# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha






नवां सत्र, १९५५

(खंड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

# विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)


अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

**अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर** ४९३—४९५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . ११७१

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . १३४१

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . १४०९

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल [[जिला पीलीभीत व जिला बरेली–(पूर्व)
अग्रवाल, श्रीमन्नारायण (वर्धा)
अग्रवाल, श्री होती लाल [जिला जालौन व जिला इटावा–(पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा–पश्चिम)
अवलू, श्री सुंकम (नलगोंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
अचिन्त राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री के० टी० (कैंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा–रक्षित अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिरअली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)
अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा–पश्चिम)
अमृत कौर, राजकुमारी (मण्डी–महासु)
अय्यगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री सी० आर० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीता राम (जिला आजमगढ़ पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर, व जिला बरेली–पश्चिम)
आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्णिया व संथाल परगना)
आनन्दचन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फ़ाज़िल्का-सिरका)
इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमाल, श्री एल० (कुडलूर–रक्षित-अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्निया–उत्तर-पूर्व)
ईयाचरण, श्री आई० (पोन्नानी-रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़–पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)
उपाध्याय, श्री शिव दयाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रक (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचेंगोड)

कक्कन, श्री पी० (मदुरई—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री वीरेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल–रक्षित –अनुसूचित आदिम जातियां)

कमल सिंह, (शाहबाद उत्तर-पश्चिम)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़–उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज हाइनैस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर चूरू)

कासलीवाल, श्री नेमि चन्द्र (कोटा-झालावाड़)

काचिरायर, श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी (कुडलूर)

काजमी, श्री सैयद मुहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर–उत्तर व ज़िला फैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथीकर (नान्देड़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम–व ज़िला राय बरेली–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री प्यारेलाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, श्री जे० बी० (भागलपुर व पूर्णिया)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा–पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलर)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर–उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (जिला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कौट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज टामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम)

खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर श्री गोपालराव बाजीराव (बुल-डाना-अकोला)

खोंगमेन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला वाराबंकी–रक्षित–अनुसूचित जातियां

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर–पूर्व रक्षित-अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फिरोज (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच-महाल व वढ़ौदा पूर्व)

गांधी श्री ी बी० (बम्बई नगर–उत्तर)

गाडकिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना मध्य)

गाडिलिंगन गौड़, श्री (कुरनूल)

गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

गडवानी, श्री चोइथराम प्रताबराय (थाना)
गिरधारी भोई, श्री (कालाहांडी)—डोलनरि—रक्षित—अनुसूचित आदम-जातियां
गिरि, श्री वी० वी० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्नूर)
गोपीराम, श्री (मंडी महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)
गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरिया-कुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशीलरंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चाड़क, ठाकुर लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर-उत्तर लखिमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (बाटल)
चौधरी मुहम्मद शफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री रायजी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर — रक्षित— अनुसूचित जातियां)

बेठन, श्री खेरवार (पालामउ व हज़ारीबाग़ व रांची–रक्षित–अनुसूचित आदिम

बेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बेना, श्री निरंजन (ढेंकानाल-पश्चिम कटक–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर–रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बेंदी, कर्नल बी० ए० (जिला हरदोई–उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद–पूर्व व जिला शाहजहांपुर–दक्षिण)

बैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुरज-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर–उत्तर)

बैन्न, श्री नेमी शरण (जिला बिजनौर–दक्षिण

बोगेंन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच–पश्चिम)

बोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

बोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

बोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)

बोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि-दक्षिण)

बोशी, श्री लीलाधर (शाहजापुर–राजगढ़)

बोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ब्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर-उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर-मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद पश्चिम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूल सिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झाबुआ–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़)

तिवारी, श्री वेंमटेश नारायण (ज़िला कानपुर–उत्तर व ज़िला फर्रुखाबाद–दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुलसीदास किला चन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)

तेंलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर–उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर–पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामख्या प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई–दक्षिण पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फरनगर–दक्षिण)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थामस, श्री ए० एम० (एरणाकुलम्)

थामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुंटम्)

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

ब

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा–पूर्व)

दामोदरन्, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दामोदरन्, श्री नेत्तूर पी० (टेल्लिचेरी)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांव उत्तर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम–रक्षित–अनसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)

दास, श्री बी० (जाजपुर–क्योंझर)

दास, श्री बेली राम (बारपेटा)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

दास, श्री राम धनी (गया–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल–पश्चिम कटक)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा–पश्चिम व ज़िला मैनपुरी–पश्चिम व ज़िला मथुरा–पूर्व)

दीवान, श्री राघवेन्द्र राय श्री निवास राव (उस्मानाबाद)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती–उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद–उत्तर)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)

कचारलुशाई पहाड़ियां)

देव, हिज़ हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी–बोलनगिर)

देवगम, श्री कान्हू राम (चैंबस्सा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक–मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती–पश्चिम)

देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)

देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती–पूर्व)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर–मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी–दक्षिण)

धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती–मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकांठा)

नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम्)

नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजमंद्री)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्कारा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरयिन्कील)

नायर, श्री सी० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़–दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी–पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद–पूर्व व ज़िला जौनपुर–पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर–उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा–दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा–उत्तर-पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फैजाबाद–उत्तर-पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वेंकटाराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पांडे, श्री सी० डी० [ज़िला नैनीताल व जिला अलमोड़ा – (दक्षिण पश्चिम) व ज़िला बरेली–(उत्तर)]

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर–दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर–उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड़ बीरनगौड़ (बेलगांव–दक्षिण)

पारिख, डा० जयंतीलाल नरभरी (झालावाड़)

पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना–पूर्व)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पि)

पोकर साहब, श्री बी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिव नारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं पश्चिम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर-लुधियाना–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्ना लाल (गंगानगर–झुंझुनू–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री एस० सी० ईरोड–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम्, श्री एस० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (ज़िला बुलंदशहर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर–पूर्व)
बीरेनदत्त, श्री (त्रिपुरा–पश्चिम)
बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मुसलीपट्टनम्)
बूबराघस्वामी, श्री वी० (पैरम्बलुर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाशरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर–दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)
ब्रह्म चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल–पूर्व) व ज़िला मुरादाबाद–उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना–अकोला–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़–जालौर)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामीराज सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बासवाड़ा–डुंगरपुर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरि–उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री यू० श्रीनिवास (दक्षिण–कन्नड़–उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री [(जिला इलाहाबाद–(पूर्व) व जिला जौनपुर–(पश्चिम)–रक्षित–अनुसूचित जातियां)]
मसुदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़–रक्षित—अनुसूचित–आदिम जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम–दक्षिण व धालभूम–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)
मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)
मादिया गौडा, श्री (बंगलौर–दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)
मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)
मालवीय, श्री भगनन्दु (शाजपुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री मोती लाल (छतरपुर-दतिया टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मावलंकर, जी० वी० (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर-उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया-उत्तर)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन सहाय (दरभंगा-उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)
मिश्र, पंडि रेश चन्द्र (मूंगेर-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकुण, श्री वाई० एम० (थाना-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरुणन्, श्री ए० (वैल्लोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कुम्बकोणम्)
मुनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिवाश)
मुनिस्वामी अवर्गल, थिरुकुरलार, श्री वी० (तिंडीवनम्)
मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझुनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पुर्णिया रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)
मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मैथ्यू, श्री सी० पी० (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैया, श्री कोटा (तेनाली)
रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)
रजमी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री एम० हिफ्जुर (ज़िला मुरादाबाद-मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पुनुकोंडा)
राघवैया, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री एन० (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राज बहादुर, श्री (जयपुर–सवाई–माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)
राम दास, श्री - (होशियारपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग–पश्चिम)
राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती–मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर–पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद–पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद–दक्षिण)
रामस्वामी, श्री एम० डी० (अरुपक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्ग)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई–दक्षिण-पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (जिला देवरिया–पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)
राय, श्री काडयाला गोपाल (गुड़िवाड़ा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजामंद्री – रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलूरु–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा–दक्षिण
राव, श्री रायसम शषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित–अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम्, डा० (विशाखापटनम्)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फैजाबाद–उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लालसिंह, सरदार (फिरोजपुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला जालौन व जिला इटावा–पश्चिम व ज़िला झांसी–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन–उत्तर)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई–उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद–पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर–दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री मानिक लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया–पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (जालधर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आजमगढ़ पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री आर० (तंजोर)
वैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्कारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूरदास (अहमदाबाद–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा–पश्चिम)
शंकरपांडियन्, श्री एम० (शंकरनायिनार–कोविल)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरठ–दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (ज़िला मेरठ–पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर–दक्षिण व ज़िला इटावा–पूर्व)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)
शास्त्री, श्री अलगू राय (ज़िला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शहडोल-सिद्धि)
शाह, हर हाईनेस राजामाता कमलेन्दु मति (ज़िला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व ज़िला जिनौर–उत्तर)
शाह, श्री चिमन लाल चाकू भाई (गोहलवाड़ सोरठ)
शाह, श्री रायचन्दभाई एन० (छिंदवाड़ा)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ–उत्तर-पूर्व)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली–दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट–जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर–मध्य)
सामन्त श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

श्री चंडीकेश्वर शरण (सरगुजा-यगढ़)
श्री झूलन (सारन–उत्तर)
श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस–र्व)
श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर–तर-पूर्व)
श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व मुई)
श्री महेन्द्र नाथ (सारन–मध्य)
ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर–तर-पश्चिम)
श्री राम नगीना (ज़िला गाजीपुर–पूर्व ज़िला बलिया–दक्षिण-पश्चिम)
श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक ीपुर)
डा० सत्य नारायण (सारन–पूर्व)
श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर–पूर्व)
श्री सत्येन्द्रनारायण (गया–पश्चिम)
श्री हर प्रसाद (ज़िला गाजीपुर–श्चिम)
न सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर–क्षण)
जप्पा, श्री एच० (हसन-चिकमगलूर)
, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर–र्व)
, श्री एस० (पाटलिपुत्र)
, श्री कैलाश पति (पटना–मध्य)
, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व गारीबाग व रांची)
, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना–पूर्व)
, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग–र्व)
लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर–पश्चिम ज़िला मुजफ्फरनगर–उत्तर–रक्षित–नुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (वेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्णिया–मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा, (भागलपुर–दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमूर)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन–पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

## ह

हंसदा, श्री बेंजिमिन (पूर्णिया व संथाल परगना–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)
हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरि मोहन, डा० (मानभूम उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर–झाड़ग्राम रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हजारीबाग–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा–उत्तर)

# लोक-सभा

## अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

## उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

## सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

## सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

## कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री ए० एम० थामस
श्री नरहर विष्णु गाडगील
श्री देव कान्त बरुआ
श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह
श्री मूलचन्द दुबे
श्रीमती उमा नेहरू
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

## विशेषाधिकार समिति

डा० कैलाश नाथ काटजू (सभापति)
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री ए० के० गोपालन
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री सारंगधर दास
श्री बी० शिवा राव
श्री आर० वेंकटरामन्
डा० सैयद महमूद
श्री राधेलाल व्यास

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री देव कान्त बरुआ
श्री बहादुरभाई कुण्ठाभाई पटेल
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम धनी दास
श्री अब्दुस सत्तार
श्री राम शंकर लाल
श्री बी० एल० चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री बी० एस० मूर्त्ति
श्री एम० आर० कृष्ण
श्री टी० बी० विट्ठल राव
श्री यू० एम० त्रिवेदी
श्री ए० ई० टी० बैरो

## आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी (सभापति)
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री देव कान्त बरुआ
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री राधा चरण शर्मा
श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर
श्री उदय शंकर दुबे
श्री रामानन्द दास

श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री वी० मुनिस्वामी अय्या० तिरुकुरलार
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी

### लाभपदों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (सभापति)
श्री वी० बी० गांधी
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० रघुरामय्या
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री आर० वी० धुलेकर
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री एस० एस० मोरे
श्री कमल कुमार बसु
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
काज़ी करीमुद्दीन
श्री अमोलक चन्द
प्रो० जी० रंगा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

### याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामय्या (सभापति)
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री सी० पी० मैथ्यू
श्री सोहन लाल धूसिया
श्री बेली राम दास
श्री लीलाधर जोशी
श्री य० आर० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री भोला राउत
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री रामजी वर्मा
श्री पी० सुब्बा राव
श्री आनन्द चन्द
श्री पी० एन० राजभोज

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री पी० नटेशन
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी
डा० नटवर पांडे
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री सी० आर० दासप्पा
श्री बी० एच० खडकर
श्री टी० बी० विट्ठल राव

## अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री ए० वी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम्
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री ए० इब्राहीम
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेकचन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री एस० सिन्हा
श्री ए० कृष्णस्वामी

## प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री कमल कुमार बसु
श्रीमती बी० खेंगमेन

श्री राधेलाल व्यास
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री टी० मादिया गौडा
श्री दीवान चन्द शर्मा
पंडित बालकृष्ण शर्मा
श्री मोहनलाल सक्सेना
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री ललित नारायण मिश्र
श्री नल्ला रेड्डी नायडू
कुमारी एनी मैस्करीन
डा० राम सुभग सिंह
श्री सी० पी० मैथ्य
डा० लंका सुन्दरम्
श्री एम० डी० रामस्वामी
श्री वी० बी० गांधी
श्री एम० आर० कृष्ण
श्री अहमद मुहीउद्दीन
डा० नटवर पांडे
श्री पी० एन० राजभोज
श्री के० केलप्पन

**आवास समिति**

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह
श्री के० जनार्दन रेड्डी
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री राधा चरण शर्मा
श्री हीरा सिंह चिनारिया
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी काचिरोयर
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री राज चन्द्र सेन
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़

**पुस्तकालय समिति**

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री उमा चरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री वी० एन० तिवारी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री हृदय नाथ कुंजरू
डा० श्रीमती सीता परमानन्द
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर

## लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (सभापति)
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री रामानन्द दास
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल
श्री श्री नारायण दास
श्री बलवन्त सिंह मेहता
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री आर० वेंकटरामन्
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी
श्री वी० पी० नायर
डा० इन्दुभाई बी० अमीन
श्री यू० एम० त्रिवेदी
श्रीमती वायलेट आल्वा
दीवान चमन लाल
श्री के० एस० हेग्डे
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू
श्री राम प्रसाद टामटा
श्री मुहम्मद वलीउल्ला
श्री जे० वी० के० वल्लभराव

## नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री टेक चन्द

श्री सत्य नारायण सिंह
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री एन० केशवैय्यंगार
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री शिवराम रंगो राने
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री भवानी सिंह
श्री के० के० बसु
श्री के० एस० राघवाचारी

# भारत सरकार

## मंत्रिमंडल के सदस्य

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति विभाग के भी भार-साधक मंत्री**
—श्री जवाहरलाल नेहरू

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री**—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

**गृह-कार्य मंत्री**—श्री गोविन्द वल्लभ पंत

**संचार मंत्री**—श्री जगजीवन राम

**स्वास्थ्य मंत्री**—राजकुमारी अमृत कौर

**वित्त मंत्री**—श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख

**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री**—श्री गुलजारी लाल नन्दा

**रक्षा मंत्री**—डा० कैलाश नाथ काटजू

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री**—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री**—श्री सी० सी० बिस्वास

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री**—श्री लाल बहादुर शास्त्री

**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री**—सरदार स्वर्ण सिंह

**उत्पादन मंत्री**—श्री के० सी० रेड्डी

**खाद्य तथा कृषि मंत्री**—श्री अजित प्रसाद जैन

**श्रम मंत्री**—श्री खंडूभाई देसाई

**मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री** (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

**संसद् कार्य मंत्री**—श्री सत्य नारायण सिंह

**रक्षा संगठन मंत्री**—श्री महावीर त्यागी

**सूचना और प्रसारण मंत्री**—डा० बी० वी० केसकर

**वाणिज्य मंत्री**—श्री डी० पी० करमरकर

**कृषि मंत्री**—डा० पंजाबराव एस० देशमुख

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री**—डा० सैयद महमद

**विधि मंत्रालय में मंत्री**—श्री हरि विनायक पाटस्कर

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री**—श्री के० डी० मालवीय

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री**—श्री एम० सी० शाह

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री**—श्री अरुण चन्द्र गुहा

**पुनर्वास मंत्री**—श्री मेहर चन्द खन्ना

## उपमंत्री

संचार उपमंत्री--श्री राज बहादुर

रक्षा उपमंत्री--सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

गृह-कार्य उपमंत्री--श्री बलवन्त नागेश दातार

श्रम उपमंत्री--श्री आबिद अली

पुनर्वास उपमंत्री--श्री जगन्नाथराव कृष्ण राव भोंसले

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री--श्री ओ० वी० अलगेशन

स्वास्थ्य उपमंत्री--श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्री अनिल कुमार चन्दा

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री एम० वी० कृष्णप्पा

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री--श्री जयसुख लाल हाथी

रक्षा उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री--श्री एस० एन० मिश्र

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री --श्री नित्यानन्द कानूनगो

## सभा सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव--श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव--श्री शाहनवाज खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव--श्री जोगेन्द्रनाथ हजारिका

वित्त मंत्री के सभासचिव--श्री बी० आर० भगत

उत्पादन मंत्री के सभासचिव--श्री राजाराम गिरधारी लाल दुबे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव--श्री सादत अली खां

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव--श्री जी० राजगोपालन

शिक्षा मंत्री के सभासचिव--डा० मन मोहन दास

शिक्षा मंत्री के सभासचिव--डा० के० एल० श्रीमाली

# लोक-सभा वाद-विवाद

भाग—१ प्रश्नोत्तर

खण्ड १ भारत की प्रथम संसद् के नवें सत्र का द्वितीय दिवस अंक १




# लोक-सभा

मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री जी० वी० मावलंकर) पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### किंग्जवे शरणार्थी शिविर

*१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के पश्चात् सरकार ने किंग्जवे शरणार्थी शिविर के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से कुल कितनी जमीन ले ली है ;

(ख) विश्वविद्यालय को कुल कितनी वापस जमीन दिये जाने का करार किया गया है ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई भवन बनाये गये हैं ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में लगभग १०५ एकड़ भूमि काम में लायी गयी है ।

(ख) रीड्स लाइन्स में २८·४० एकड़ जमीन विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को वापस दे देने की प्रस्थापना की गई है । हडसन लाइन्स के लगभग ४३ एकड़ के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) हां ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या ऐसे कोई विस्थापित व्यक्ति हैं, और यदि हां, तो कितने जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं जो विश्वविद्यालय को पुनः वापस दिया जाने वाला है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : रीड्स लाइन्स में लगभग ५५० परिवार हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह** : उन के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : इन परिवारों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए हम एक जमीन का टुकड़ा अवाप्त कर रहे हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या ऐसे कोई शरणार्थी हैं जिन का उस क्षेत्र पर कब्जा हो जो अब भी विश्वविद्यालय का होते हुए किंग्जवे शिविर में है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : कुल तीन क्षेत्र हैं । एक रीड्स लाइन्स है जिसे हम दे

रहे हैं। दूसरा हडसन लाइन्स है; जिस में लगभग १,१३५ परिवार रहते हैं। हम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ऐसा समझौता किया है कि ज्यों ही हम कोरोनेशन एरिया में उसे ४० एकड़ ज़मीन दे देंगे, वह हमें उस क्षेत्र को वापस देने के लिए आग्रह नहीं करेगा। तीसरा क्षेत्र बैंडस्टैंड एरिया है जो विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को नहीं दिया जायेगा।

**कम आय वाले समुदाय के लिए मकान बनाने की योजना**

*२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने कम आय वाले समुदाय के लिए मकान बनाने की योजना से जो केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में बनायी है, लाभ उठाया है; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह योजना केवल गत नवम्बर के अन्त में ही राज्य सरकारों को बतायी गयी थी। प्रायः सभी राज्यों ने अपनी अपनी संभाव्य आवश्यकताएं बता दी हैं और सरकार ने राज्य सरकारों को दिये जाने वाले प्रथम नियतनों के बारे में अभी हाल ही में निर्णय किया है। अतः अभी यह बताना कि कितने राज्यों ने और किस हद तक इस योजना से लाभ उठाया है समय से बहुत पूर्व है।

(ख) यदि मकानों की स्थिति म कोई महत्वपूण सुधार करना हो तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। अतः इस योजना के अधीन व्यय इस बात से सीमित नहीं होगा कि आवश्यकता कितनी है बल्कि इस बात से कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार कितना दे सकती है।

**श्री एस० एन० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि इस कार्य के लिए धन की मांग की गई तो विभिन्न राज्यों के आवंटन का क्या आधार होगा ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : विभिन्न राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण।

**श्री एस० एन० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना में ऐसे भवनों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली किन्हीं सुविधाओं का उपबन्ध है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : राज्य सरकारों को इस विषय के बारे में लिखा गया है और उन से उस प्रश्न पर विचार करने को कहा गया है। योजना में ही एक ऐसा उपबन्ध भी है जिस के अनुसार उपयुक्त भूमि क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिया जा सकता है जो तीन वर्ष में पुनः देय होगा।

**श्री एस० एन० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि योजना में उपबन्धित ३८·५ करोड़ रुपये में से हम योजना-अवधि में कितना व्यय कर सकेंगे ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : विचार यह है कि योजना अवधि में ही सारा उपबन्धित धन व्यय किया जाये और कदाचित् कुछ और अधिक की मांग करने का प्रयत्न किया जायेगा।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या इस सिलसिले में अभी तक किन्हीं राज्य सरकारों

को केन्द्रीय सरकार ने कर्ज़ दिया है, कोई धनराशि दी है, यदि हां, तो किन किन राज्यों को वह सहायता दी गयी है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह तो मैं अपने जवाब में कह चुका हूं कि पन्द्रह राज्य सरकारों को पहले एलोकेशन के मुताल्लिक इत्तिला दी गयी है । उन के नाम ये हैं : आसाम, विहार, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पेप्सू, भोपाल, देहली, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और कच्छ ।

**राज्य उद्योग**

*३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति के १०वें प्रतिवेदन की कंडिका ६९ में उल्लिखित इन सुझावों पर कि राज्य उद्योगों में अपेक्षित विशिष्ट सामानों की वार्षिक आवश्यकताओं के आंकड़े इकट्ठे किये जायें और भारत में उन के उत्पादन की संभावनाओं की जांच की जाये, क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : राजकीय उद्योगों में अपेक्षित विशिष्ट सामानों की वार्षिक आवश्यकताओं के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । यह आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा होते ही भारत में उन विशिष्ट सामानों के निर्माण की संभावनाओं का परीक्षण किया जायेगा ।

**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रक्रिया के अनुसरण किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली बड़ी बचतों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने इस विषय में शीघ्र ही कोई निर्णय करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

**श्री आर० जी० दुबे** : हां । उत्पादन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न उद्योगों को पहले ही पत्र भेजे जा चुके हैं और कुछ जानकारी पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहता हूं कि १९५१ में भारतीय प्रशुल्क बोर्ड ने इन विशिष्ट सामानों के निर्माण में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कुछ सिफारिशें की थीं और सरकार ने उन में से कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिये हैं ।

**रेशम का निर्यात**

*४. **श्री कैशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही की प्रस्थापना करती है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: निर्देश स्पष्टतः रेशमी कपड़े की ओर है । (१) हाथ करघे से बने रेशमी कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड के विदेशी विपणन संगठन के द्वारा विदेशों में उन का प्रदर्शन और उन की बिक्री की जा रही है।

(२) रेशम और नकली रेशम (रेयों) के निर्यात में वृद्धि करने के लिए एक निर्यात वृद्धि परिषद् भी बनायी गयी है ।

**श्री केंशवैयंगार** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सही बात है कि हमारे देश में जो सिल्क पैदा होता है उस को इकट्ठा करने का सरकार विचार कर रही है और उस के बारे में सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कोई रिप्रेजेंटेशन आया है ?

**श्री करमरकर** : इकट्ठा करने से क्या मतलब है ?

**कुछ माननीय सदस्य** : इकट्ठा करना ।

**श्री केशवैयंगार** : सभी रेशम को एक स्थान पर एकत्र करना ।

**श्री करमरकर** : वितरण की दृष्टि से रेशम को एक स्थान पर एकत्र करना ? मैं ने सिल्क फेब्रिक्स के बारे में कहा और जनाब सिल्क के बारे में पूछते हैं । वह तो बिल्कुल एक अलहिदा चीज़ है ।

**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या मैं जान सकती हूं कि मुर्शिदाबाद का रेशम फिलहाल किसी देश को निर्यात किया जाता है, और यदि हां, तो किन देशों को और किस परिमाण में निर्यात किया जाता है ?

**श्री करमरकर** : मैं जानता हूं कि मुर्शिदाबाद का रेशम बहुत सुन्दर होता है और मैं उस के निर्यात किये जाने के विचार को बहुत पसन्द करता हुं । मेरा ख्याल है है कि कुछ निर्यात किया जा रहा है ।

**श्री अलगू राय शास्त्री** : किन देशों को और किस परिमाण में ?

**पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों का सामूहिक निष्क्रमण**

*६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों के सामूहिक निष्क्रमण में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार महीनों में सीमा पार करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है; और

(ग) उन के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) हां ।

(ख) सितम्बर से दिसम्बर, १९५४ तक के चार महीनों की अवधि में, ६५,३९१ व्यक्ति ।

(ग) इन व्यक्तियों को सत्कार केन्द्रों से अस्थायी शिविरों में ले जाया गया है और कुछ मामलों में ४८ घंटें में ही सीधे कार्य-स्थान शिविरों में ले जाया गया है। अस्थायी शिविरों से उन को यथा संभव शीघ्र कार्य-स्थान शिविरों में भेज दिया जाता है ।

इस बीच इन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिये भूमि अवाप्त की जा रही है और उन्हें लाभप्रद रोज़गार दिलाने अथवा व्यापार-ऋण दे कर पुनर्वासित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या समाचार-पत्रों की इस सूचना में कोई तथ्य है कि पुनर्वास मंत्री, पाकिस्तान सरकार के मंत्री के साथ, परिस्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करने के लिये, पूर्वी बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं ?

**श्री जे० के० भोंसल** : हां ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : गत चार मास में आने वाले ६१,००० शरणार्थियों में से खेती-बारी करने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यह बात एकबारगी ही बताना कठिन है । यदि वह इसी प्रश्न की अलग से सूचना दें तो मैं इस का उत्तर दूंगा ।

**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि इन लोगों को अस्थायी शिविरों से सीधे ही कार्य-स्थान वाले शिविरों को ले जाया जाता है । यह स्पष्ट है कि यह जानने के लिये कि वे किस प्रकार का काम करेंगे किसी न किसी प्रकार की जांच की जाती होगी । इस लिये, क्या यह बताना संभव नहीं है कि आने वाले शरणार्थियों में अधिकांश संख्या खेती-बारी करने वालों की है या नहीं ?

**श्री जे० के० भोंसले** : कार्य-स्थान वाले शिविरों को वे लोग ले जाये जाते हैं जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं । अत: ४८ घंटे के भीतर उस अवसर पर यह पता लगाना कठिन है कि वे शरणार्थी खेती-बारी करने वाले हैं या नहीं । केवल दिसम्बर मास म ही २२,००० शरणार्थी पूर्वी बंगाल से आये हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई इस सूचना में कोई तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये तीन लाख व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं ?

**श्री जे० के० भोंसले** : मैं ने भी यह समाचार पढ़ा है परन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि यह पूर्ण रूप से ठीक है या नहीं ।

**श्री जेठालाल जोशी** : इस प्रकार व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आने के कारणों के सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई जानकारी है ?

**श्री जे० के भोंसले** : इस के बहुत कारण हैं, जैसे पतनोन्मुख आर्थिक दशा तथा हाल में आई बहुत बड़ी बाढ़ इस के कारण हैं ।

**तिब्बत को निर्यात**

*७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष की तुलना में तिब्बत के साथ होने वाले भारतीय निर्यात व्यापार में १९५४ में वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : निर्यात की मात्रा में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है ।

**श्री विश्व नाथ राय** : क्या तिब्बत में भारतीय निर्यात की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

**श्री करमरकर** : कोई विशेष प्रयत्न तो नहीं किये गये ह, परन्तु इस का परित्राण अवश्य किया गया है कि यहां से वहां को वस्तु ों के स्वतन्त्रतापूर्वक भेजे जाने या वहां से यहां माल के आने की दशाओं में कोई परिवर्तन न होने पाये ।

**श्री विश्व नाथ राय** : गत वर्ष किये गये आयात की विशेष वस्तुएं कौन सी हैं ?

**श्री करमरकर** : विशेष वस्तुओं की संख्या लगभग १९ हैं जिन में सूती कटपीस, रंग, लोहा, चीनी, गुड़, धातुएं, चमड़ा त । खालें सम्मिलित हैं ।

**निष्क्रान्त सम्पत्ति के लिए प्रतिकर**

*८. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५१ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को, उन सम्पत्तियों का, जिन को वे छोड़ कर आये हैं, प्रतिकर देने के लिये, सिंध (पश्चिमी पाकिस्तान) की स्वच्छता समितियों वाले हल्कों को नगरीय क्षेत्र मानने के सम्बन्ध में, कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो जो निर्णय किया गया है वह किस प्रकार का है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) और (ख). यह विषय परामर्श के लिये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत हाल में बनाये गये मंत्रणा बोर्ड के पास भेज दिया गया है ।

**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले आय-व्ययक सत्र में जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो भूतपूर्व मंत्री ने कहा था कि प्रतिकर देने के लिये इनमें से

कुछ क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र समझा जायेगा ?

**श्री जे० के० भोंसले** : मैं यह तो नहीं जानता कि भूतपूर्व मंत्री ने क्या उत्तर दिया था, परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि विधि के अनुसार जो कुछ भी करना सभव है वह सब कुछ किया जायेगा ।

**श्री गिडवानी** : इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए नगरीय दावेदारों को दी गई राशियों की तुलना में, इन क्षेत्रों के शरणार्थियों को, प्रतिकर की राशि का केवल ५० प्रतिशत दिया जा रहा है। क्या सरकार अन्तिम निर्णय हो जाने पर इन के मामलों पर फिर से विचार करेगी तथा उन को शेष राशि का भुगतान करेगी ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यह तो केवल अन्तरिम प्रतिकर है । अन्तिम निर्णय हो जाने पर, यदि यह पाया गया कि इन को शेष राशि का भी भुगतान किया जाना चाहिये तो अवश्य ही उस का भी भुगतान किया जायेगा ।

**श्री हेम राज** : क्या उन क्षेत्रों को, जो उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के न्यायालयों द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित किये गये हैं, प्रतिकर का भुगतान करने के लिये, नगरीय क्षेत्र समझा जायेगा ?

**श्री जे० के० भोंसले** : जैसा मैं बता चुका हूं मंत्रणा समिति द्वारा इस समूचे प्रश्न की जांच की जा रही है ।

**श्री गिडवानी** : क्या विस्थापित व्यक्ति संगठनों के प्रतिनिधियों को मंत्रणा बोर्ड के सामने अपने मामले रखने का अवसर दिया जायेगा ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यह मैं नहीं बता सकता हूं। हम मंत्रणा बोर्ड को उन के मामलों की जांच करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है कि यदि बाद में यह मामले सरकार के सामने प्रस्तुत किये गये तो उन पर विचार किया जायेगा।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना**

*१०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना का प्रचार करने तथा उस को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार के कौन कौन से तरीके व्यवहार में लाये गये हैं; और

(ख) १९५४ में इस सम्बन्ध में खर्च की गई राशि कितनी है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]

(ख) सन् १९५४ में अर्थात् जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक, खर्च की गई राशि २५,८६,२३४ रुपये थी ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कितने प्रलेखीय चलचित्र अभी तक तय्यार किये गये हैं तथा कितने १९५५ में तय्यार किये जाने वाले हैं ?

**डा० केसकर** : मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : इस पंच वर्षीय योजना को लोकप्रिय बनाने के कार्य में कितनी चलती मोटर गाड़ियां काम में लाई जा रही हैं तथा क्या मंत्रालय को विदित है कि इन चलती गाड़ियों ने १९५४ में भारत के कितने ग्रामों का दौरा किया है ?

**डा० केसकर** : जहां तक केन्द्र के अधिकार वाली मोटर गाड़ियों की संख्या का सम्बन्ध है, हमारे पास लगभग ३५ चलती मोटर गाड़ियां हैं। परन्तु यह प्रचारकार्य केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई चलती मोटर गाड़ियों द्वारा ही नहीं किया जाता है, वरन इस का अधिकांश भाग राज्य सरकारों की चलती मोटर गाड़ियों द्वारा भी किया जाता है। मैं एकबारगी यह नहीं बता सकूंगा कि राज्य सरकारों के पास इस प्रकार की मोटर गाड़ियां कितनी संख्या में हैं। इन की संख्या बहुत बड़ी है।

**श्री शिवनंजप्पा** : क्या कन्नड़ भाषा में भी कोई प्रलेखीय चलचित्र तय्यार किये गये हैं ?

**डा० केसकर** : पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी सभी प्रलेखीय चलचित्र समस्त प्रदेशीय भाषाओं में तय्यार किये जा रहे हैं।

**छोटे पैमाने के उद्योग**

*११. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल द्वारा की गई इस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि छोट पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत की गति बहुत धीमी है और यह कि बहुत से छोटे उद्योग इस समय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस विचार से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या तात्कालिक कार्यवाही करने का विचार करती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सरकार उन संकटों से परिचित है जो छोटे छोटे उद्योगों के सामने हैं तथा उस ने उन के विकास के लिये अनेक योजनायें आरम्भ की हैं।

**श्री मुरारका** : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल के कथनानुसार कौन से उद्योग विशेष इस समय संकट का सामना कर रहे हैं ?

**श्री कानूनगो** : वे मुख्यतया छोटे उद्योग हैं जो धातुओं, लकड़ी, घास तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं से सम्बन्धित हैं। वास्तव में यह वर्गीकरण प्रयुक्त वस्तुओं अथवा उत्पादित सामग्री के आधार पर नहीं बल्कि उत्पादन की प्रणाली के अनुसार किया गया है।

**श्री मुरारका** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संकट को दूर करने के लिये उन दस्तकारों को एक गांव से दूसरे गांव में भेजने का प्रबन्ध किया गया है ?

**श्री कानूनगो** : नहीं, यह प्रयत्न नहीं किया गया है। इस के बजाय उन्हें वहीं पर रोज़गार देने की कोशिश की जा रही है।

**श्री मुरारका** : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन की प्रणाली तथा उत्पादन की क्षमता में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

**श्री कानूनगो** : केवल इसी उद्देश्य के लिये ही प्रादेशिक संस्थाएं बनाई गई हैं।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा जो सहायता दी जा रही है क्या वह राज्यों के माध्यम से दी जा रही है या सीधी दी जा रही है, और यदि राज्यों के माध्यम से दी जा रही है, तो क्या केन्द्र में कोई अधिकरण ऐसा है जो इस बात की देखभाल करे कि यह सहायता तुरन्त ही दी जा रही है या नहीं ?

**श्री कानूनगो** : सहायता अधिकतर राज्यों के माध्यम से दी जाती है। पत्र-व्यवहार

तथा राज्य प्रशासन के निरीक्षण द्वारा इस की देखभाल की जाती है ।

**श्री के० के० बसु** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन छोटे पैमाने के उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वास्तव में कोई प्रत्यक्ष सहायता दी गई है या अभी यह सब केवल एक प्रस्ताव भर ही है ?

**श्री कानूनगो** : नहीं । वास्तव में वित्तीय सहायता दी गई है और उस को तेजी से बढ़ाया जा रहा है ।

### फ़ैरो-मेंगनीज़ संयंत्र

*१२. **श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़ैरो-मेंगनीज़ फैक्टरी के संस्थापन के लिये हाल ही में कोई अनुज्ञप्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किसे दी गई है;

(ग) वह फ़ैक्टरी कहां है;

(घ) क्या इस में केन्द्रीय सरकार का भी कोई अंश होगा; और

(ङ) इस फ़ैक्टरी की अनुमानित लागत कितनी है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कारखाने को प्रारम्भ करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है, और यदि हां, तो वह तिथि कौन सी है ?

**श्री कानूनगो** : कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है । साधारणतया, जैसा मामला हो, उस के अनुसार अनुज्ञप्ति की अवधि का समय एक वर्ष से अठारह महीने तक होता है और इस बीच कार्य की प्रगति प्रतिवेदित की जाती है और जांच की जाती है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कारखानों की मूल सामर्थ्य क्षमता कितनी होगी ?

**श्री कानूनगो** : पांच अनुज्ञप्तियां दी गई हैं । उन में से माननीय सदस्य किस के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं ?

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : इन सब कारखानों की कुल संस्थापित सामर्थ्य क्षमता क्या है ?

**श्री कानूनगो** : मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की प्रस्तावित क्षमता १,८००, जयपुर माइनिंग सिंडीकेट की १०,००० से १२,०००, राय बहादुर ठाकुर की २०,०००, खम्भाता इंडस्ट्रीज़ की ३०,०००, लालभाई पटेल की १२,००० और टाटा आयरन एण्ड स्टील की ३०,००० है ।

**श्री अजित सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेन्डर्ड वेकुअम एण्ड बर्मा ऑयल रिफाइनरीज़ को दिये गये आश्वासन की भांति क्या इन्हें भी यह आश्वासन दिया गया है कि किसी विशेष समय तक उन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**श्री कानूनगो** : नहीं ।

### सिन्द्री उर्वरक कारखाना

*१३. **ठाकुर युगलकिशोर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में (३१ जनवरी, १९५५ तक) सिन्द्री उर्वरक

कारखाने में अमोनियम सल्फेट का कितना उत्पादन हुआ और उस में से कितने माल की निकासी हुई;

(ख) क्या हाल ही में कारखाने में कुछ स्टॉक इकट्ठा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्टॉक को बेचने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) उत्पादन क्रमशः २,४९,९५३ टन और २,४७,६५८ टन है ।

निकासी क्रमशः २,६८,०८३ टन और २,७१,४९३ टन है ।

(ख) से (घ). नहीं । उर्वरकों की निकासी का मौसम बीत जाने पर, पिछले दो महीनों में स्टॉक कुछ अधिक इकट्ठा हो गया है किन्तु तो भी १५ फरवरी, १९५५ को यह स्टॉक लगभग एक महीने के उत्पादन के बराबर था ।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : १९५३-५४ और १९५४-५५ में उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था ?

**अध्यक्ष महोदय** : १९५३-५४ और १९५४-५५ में उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : देश में कितनी डिमांड है और क्या यह उत्पादन मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये काफ़ी है ?

**श्री आर० जी० दुबे** : देश में डिमांड कुछ हद तक ज्यादा है और इस डिमांड को पूरा करने के लिये हमारे पास काफ़ी सप्लाई तो नहीं है लेकिन उस के लिये गवर्नमेंट ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ क़दम उठाये हैं ।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : डिमांड कितनी ज्यादा है ?

**श्री आर० जी० दुबे** : यह जानने के लिये अगर नोटिस दिया जाये तो बता सकेंगे ।

### राष्ट्रीय विकास परिषद्

*१४. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८ और ९ जनवरी, १९५५ को समवेत हुई ,राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ख) इस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ३]**

**श्री आर० एन० सिंह** : क्या सरकार की तरफ से नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के लिये कोई भारतीय नाम भी रखने का प्रयत्न किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस नाम का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी कोई प्रयत्न किया गया है ?

**श्री हाथी** : मैं समझा नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

**श्री आर० एन० सिंह** : क्या इन स्कीमों में कहीं पर ब्रह्मचर्य के लिये भी कोई स्थान रखा गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

### आयात नीति

*१५. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी उदार-आयात-नीति के अब तक के परिणामों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार की उदार-आयात-नीति के परिणाम को इतनी जल्दी नहीं जांचा जा सकता है । उद्योग तथा व्यापार द्वारा इस नीति को ठीक समझा गया है ।

**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि इस विषय में अपनाई गई नीति अधिकांशतः एकाधिकार व्यापार जैसी है, और यदि हां, तो क्या वह राजकीय व्यापार होगा ?

**श्री कानूनगो** : बिल्कुल नहीं ।

**श्री हेडा** : क्या इस नीति से छोटे आयातकर्ता को लाभ होगा, और यदि हां, तो कैसे ?

**श्री कानूनगो** : हमारा मुख्य ध्येय आन्तरिक व्यापार के गुण तथा परिमाण को प्रोत्साहन देना है ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पिछले दो वर्षों से कुछ वस्तुओं के विषय में उदार-आयात-नीति से काम लेने से सरकार अब अपने समस्त आयात को केवल दो फर्मों के द्वारा ही प्राप्त कर रही है, विशेषतः जैसा कि कहा गया है कि सोडा भस्म का समस्त आयात या तो इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ अथवा टाटा के द्वारा किया गया था ?

**श्री कानूनगो** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमारी नीति पूर्णरूपेण उदारता की नहीं अपितु केवल सीमित उदारता की रही है । जिन वस्तुओं के विषय में माननीय सदस्य ने अभी कहा है, उन के लिये सरकार ने इस प्रकार के व्यापार की स्वीकृति दे दी है, जिस का अर्थ यह है कि वितरण इन दो फर्मों के द्वारा किया जायेगा, जिन के पास इस वस्तु विशेष के वितरण के लिये उपयुक्त व्यवस्था है ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि दो वर्ष पहले ही सोडा-भस्म के आयात के एकाधिकार को तोड़ना उचित समझा गया था ? यदि हां, तो इतना बड़ा लाभ पहुंचाने के लिय समस्त एकाधिकार को इन दो फर्मों को ही देना क्यों आवश्यक समझा गया ?

**श्री कानूनगो** : यह किसी फर्म को आयात का एकाधिकार देना नहीं है । आयात तो सरकार द्वारा किया जाता है और वितरण इन दो फर्मों द्वारा किया जाता है जिन के पास इस की उचित व्यवस्था है ।

### बर्मा को सीमेन्ट का निर्यात

*१६. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का बर्मा से सीमेन्ट-व्यापार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

**प्याज़ और मिर्च**

*१७. **श्री सारंगधरदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास प्याज व्यापारी संथा (अनियन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन) से प्याज और मिर्च के निर्यात अभ्यंश के उदार आवण्टन के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अभ्यावेदन पर अभी तक कोई निर्णय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो गया है और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी किसी निर्यात की आज्ञा नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात की आज्ञा न दिये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) से (घ). जुलाई-दिसम्बर १९५४ की अवधि में १,००० टन प्याज़ और १,७५० टन मिर्च के निर्यात की अनुमति दी गई थी। निर्यात किये जाने वाले परिणाम के सम्बन्ध में निर्णय इन राज्यों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की सम्पूर्ण संभरण स्थिति तथा इन क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य स्तर ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्योंकि मूल्य अभी भी अधिक थे, अतः अधिक आयात की अनुमति देना ठीक नहीं समझा गया। चालू अर्द्ध वर्ष सम्बन्धी नीति अभी विचाराधीन है ।

**श्री सारंगधर दास** : क्या यह सच है कि १०,००० टन छोटी प्याज़ का स्टॉक था, जिस का उत्पादन अधिकांशतः मद्रास राज्य में ही होता है और खपत भी केवल वही होती है और जिस के परिणामस्वरूप मद्रास राज्य के बाहर की खपत के लिये इस स्टॉक का सुरक्षण करना संभव नहीं है, उस सम्पूर्ण स्टॉक के निर्यात की अनुमति दे दी गई है ?

**श्री कानूनगो** : इस प्रकार का प्रतिनिधान तो मद्रास प्याज़ व्यापारी सन्था ने सरकार से किया था परन्तु यह सत्य नहीं है ।

**श्री वेलायधुन** : इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने, मद्रास सरकार द्वारा की गई सिफारिश को पूर्णतया स्वीकार कर लिया था अथवा उस में कोई परिवर्तन किया गया था, और यदि किया गया था, तो उस के क्या कारण थे ?

**श्री कानूनगो** : यह निर्णय राज्य सरकार, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से मंत्रणा करने के पश्चात् किया गया है । इस का उद्देश्य आन्तरिक मूल्यों को उचित स्तर पर रखना है ।

**आंध्र में छोटे पैमाने के उद्योग**

*१८. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र राज्य सरकार ने कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य को वित्तीय सहायता देने का कोई निश्चय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(घ) राज्य किन उद्योगों को प्रारम्भ करने का विचार कर रहा है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

**श्री माधव रेड्डी :** इन उद्योगों में नवीन टैक्नीक को लागू करने की दृष्टि से क्या आन्ध्र राज्य में, टैक्नोलोजी की चार संस्थाओं में से एक को स्थापित करने का विचार है ?

**श्री कानूनगो :** जी नहीं। दक्षिण प्रदेश के लिये यह संस्था मदुरा में स्थापित की गई है। यह विचार किया गया है कि मांग किये जाने पर इस संस्था की शाखायें खोली जायेंगी।

**औलीवेत्ति टाइपराइटर**

*२१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औलीवेत्ति टाइप-राइटर के निर्माण के लिये एक कारखाना खोलने के लिये कोई निश्चय किया गया है;

(ख) मैसर्स औलीवेत्ति के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की जो वार्ता हुई उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार ने इस कंम्पनी के सामने क्या शर्तें रखी हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो :** (क) से (ग). टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिये मैसर्स औलीवेत्ति का प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है ?

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या अब इस वक्त जो बातचीत चल रही है उस में कोई तरक्की हुई है ?

**श्री कानूनगो :** यह बताया गया है कि वे यह टाइपराइटर तैयार करेंगे, किस तरह करेंगे, इस के बारे में कोई तफसील नहीं दी है। एक दूसरी कम्पनी ने भी प्रस्ताव दिया है और इस कम्पनी का दावा है कि वह ५५ प्रति शत चीजें हिन्दुस्तान में बना सकेंगी।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि मैसर्स औलीवेत्ति ने जो कहा है कि हम काम चालू करेंगे, क्या उस के लिये कोई हिन्दी का 'की बोर्ड' सरकार ने तैयार कर लिया है जिस के आधार पर वह टाइप-राइटर बनेंगे ?

**श्री कानूनगो :** सरकार ने तैयार नहीं किया है, लेकिन दूसरी कम्पनियों ने हिन्दी के 'की बोर्ड' तैयार किये है।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या सरकार ने उस 'की बोर्ड' के लिये अपनी एप्रूवल दे दी है ?

**श्री कानूनगो :** सरकार की एप्रूवल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

**श्री के० के० बसु :** क्या मैं जान सकता हूं कि औलीवेत्ति टाइपराइटर कम्पनी का कारखाना स्थापित हो जाने से क्या भविष्य में भारतीय निर्माताओं के द्वारा टाइपराइटर निर्माण कार्य की सामर्थ्य में प्रगति करने की संभावनायें पूर्णरूप से समाप्त हो जायेंगी ?

**श्री कानूनगो :** यहां टाइपराइटरों की मांग बहुत सीमित है। इस समय भी पुर्जों को जोड़ने वाली कम्पनियां हैं तथा एक कम्पनी का दावा है कि वह टाइपराइटर में काम आने वाले ९५ प्रतिशत पुर्जों का निर्माण कर सकेगी। इसलिये सरकार की निर्माण नीति का निश्चय करने में इन सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है।

**पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति**

*२२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है; और

(ख) उन में से कितने क्रमशः देहाती नगरीय क्षेत्रों में पुनर्वासित किये गये हैं ?

**पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भौसले)** : (क) और (ख). सूचना संबंधित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा संभवतया शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**डा० राम सुभग सिंह** : जब तक यह समाचार संग्रह किया जायेगा तब तक क्या सरकार को यह पता है कि इस समय कितने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी पुनर्वास के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई अनुमान है ?

**श्री जे० के० भौंसले** : इस का उत्तर मैं दे चुका हूं कि हर हफ्ते २२,००० लोग हिन्दुस्तान में आ रहे हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : क्या सरकार का ध्यान कलकत्ते में जहां शरणार्थियों की बेकारी के आंकड़ों की संख्या २५ प्रतिशत है की ओर आकर्षित किया गया है, तथा क्या वह इस विवरण से मिलती है कि अधिकांश शरणार्थियों को पुनर्वासित किया जा चुका है ?

**श्री जे० के० भौंसले** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**डा० रामसुभग सिंह** : जो शरणार्थी इस समय कैम्पों में हैं उन की तादाद क्या है ?

**श्री के० के० भौंसले** : लगभग एक लाख ३५ हजार।

## कोयला

*२३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धातुर्कमिक कोयले का रक्षण करने की दृष्टि से भारत स्थित रेलवे की कोयला खानों को कोयले में मिलावट करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट आदेश दिये गये हैं ; और

(ग) कोयला की खान संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम, १९५२ के पारित होने के पश्चात्, रेलवे की कोयला खानों से निकले कितने कोयले में मिलावट की गई है तथा १९५४ के अन्त तक कितने धातुकार्मिक कोयले को इस प्रकार बेकार होने से बचा लिया गया है ?

**उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच है कि रेलवे उस धातुकार्मिक कोयले को भी जो बचाया जा सकता है काम में ले लेती है तथा घटिया किस्म के कोयले से भी वाष्प चालन की क्रिया की जा सकती है ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जी हां। सत्य तो यह है कि देश में लगभग ७० से ८० लाख टन धातुकार्मिक कोयले का उत्पादन हो रहा है, तथा इस का कुछ भाग ही धातुकार्मिक कार्यों के लिये अपेक्षित है। प्रश्न शेष धातुकार्मिक कोयले को काम में लाने का है। जब तक कि हम धातुकार्मिक कोयले की उतनी परिमात्रा निकालें तब तक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव व्यर्थ सा ही है।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में बताये गये अधिनियम का निर्देश कर के बतायेंगे कि जब इस अधिनियम को पारित किया गया था तो क्या उस समय सरकार का यह उद्देश्य नहीं था कि धातुकार्मिक कोयले का रक्षण किया जाये, तथा क्या इस अधिनियम के अधीन अभी तक कोई नियम बनाये गये हैं ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जी हां। एक उद्देश्य यह भी था। धातुकार्मिक कोयले के

उत्पादन पर कुछ समय में ही नियंत्रण लगाना पड़ेगा जिस से कि इस समय चल रही कोयला खानों के आर्थिक कार्यकरण में कोई बाधा न हो तथा श्रमिकों की व्यर्थ में छंटनी भी न करनी पड़े। हमें इन सभी तथ्यों पर ध्यान रखना है।

**श्री वी० पी० नायर :** अधिनियम में एक उपबन्ध है कि जिस के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम सरकारी कोयला खानों पर भी लागू किये जा सकते हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या इन नियमों के अन्तर्गत क्या किसी भी सरकारी कोयला खान को धातुकार्मिक कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई आदेश दिये गये हैं ?

**श्री के० सी० रेड्डी :** जी हां। सामान्य आदेश दिये जा चुके हैं। परन्तु विशेष आदेशों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**दस्तकारी प्रदर्शनालय**

*२४. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ दिसम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनालय स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के लिये अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इन प्रदर्शनालयों के कब तक खोले जाने की आशा है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). अधिकतर राज्यों में प्रदर्शनालय हैं। वर्तमान प्रदर्शनालयों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५] जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर में बताया गया है, अन्योन्य आधार पर वस्तुओं का स्टॉक करने वाले प्रदर्शनालयों के सम्बन्ध में कुछ योजनायें अभी प्राप्त हुई ह। वर्तमान प्रदर्शनालयों का विस्तार करने की भी कुछ योजनायें प्राप्त हुई हैं। ये विचाराधीन हैं।

**श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि वस्तु निर्माताओं से जो माल ख़रीदा जायेगा उस पर कितने प्रतिशत लाभ रख कर एम्पोरिया सामान बेचेंगे ?

**श्री कानूनगो :** जिस गवर्नमेंट का एम्पोरियम होता है वह अपना मूल्य निर्धारित करती है। जिस चीज की ज्यादा बिक्री होती है उस पर कम प्राफिट रखा जाता है और जिस चीज़ की कम बिक्री होती है उस पर ज्यादा प्राफ़िट रखा जाता है। लेकिन इस काम में कोई प्राफ़िट मोटिव नहीं है। ख़र्चा चलाने के लिए ही प्राफ़िट लिया जाता है।

**श्री बी० डी० शास्त्री :** एम्पोरिया ख़ोलने का एकमात्र लक्ष्य यह है कि हाथ की बनी हुई चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाये। अस्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सरकार भी इन चीज़ों पर मुनाफ़ा लेगी तो क्या यह ज्यादा महंगी नहीं हो जायेंगी, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीजें तो वैसे ही महंगी होती हैं।

**श्री चट्टोपाध्याय :** दस्तकारी करने वाले कारीगरों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है ? जैसे कि उदाहरण के लिये, कोंडापल्ली ग्राम में खिलौने बनाने वालों के कुटुम्ब समाप्त होते जा रहे हैं। क्या उन को धन की सहायता दे कर उन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिस से कि वे अपनी दस्तकारी को करते रहें ?

**श्री कानूनगो** : प्रदर्शनालय का उद्देश्य उस के द्वारा खिलौनों तथा दस्तकारी की अन्य वस्तुओं के लिये बाज़ार खोजना तथा यह देखना है कि क्या ये वस्तुयें अधिक मात्रा में बिक सकती हैं । जहां तक कोंडापल्ली खिलौनों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि खिलौने बनाने वालों की एक समिति बना दी गयी है, तथा पिछले एक वर्ष में, उन का उत्पादन कुछ सौ रुपयों से बढ़ कर कई हजार रुपये हो गया है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या कुछ डिपो भी हैं जिन में प्रारम्भिक निर्माता जा कर अपनी वस्तुओं को बेच सकें ? क्या इन प्रदर्शनालयों ने कोई डिपो खोले हैं जहां निर्माता स्वयं आ कर अपनी उन वस्तुओं को बेच सकें, जिन का कि प्रदर्शनालयों में प्रदर्शन हो चुका हो ?

**श्री कानूनगो** : इस प्रकार के कोई डिपो नहीं हैं केवल उन स्थानों को छोड़ कर जहां बहुत से निर्माता एक ही स्थान पर रहते हैं । प्रदर्शनालय स्वयं वस्तुओं का क्रय करते हैं तथा विभिन्न निर्माताओं से अपने एजेन्टों तथा कर्मचारियों के द्वारा खरीदारी करने का कार्य करते हैं ।

**हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड**

*२५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड (कृमि-नाशक) लिमिटेड जो अभी दिल्ली में बन रहा है, कब से उत्पादन करना आरम्भ करेगा;

(ख) किस किस प्रकार के कृमिनाशक इस में तैयार किये जायेंगे; और

(ग) उस का वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

**उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी)** (क) परीक्षण प्रारम्भ हो गया है और प्रथम डी० डी० टी० मार्च १९५५ के अन्त तक तैयार हो जायेगा ।

(ख) इस समय तो केवल डी० डी० टी० ही ।

(ग) ७०० टन डी० डी० टी० शिल्पिक ।

**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस कारखाने के बनाने पर क्या व्यय होगा ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : मैं बिना जानकारी प्राप्त किये आंकड़े नहीं बता सकता । मेरा विचार है इस में तीस चालीस लाख रुपये व्यय होंगे ।

**श्रीमती इला पालचौधरी** : राष्ट्रपति ने कल जिस नयी डी० डी० टी० फैक्टरी का जिक्र अपने अभिभाषण में किया था क्या वह पश्चिमी बंगाल में खुलेगी या नहीं ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : मैं अभी और इसी समय माननीय सदस्या को यह नहीं बता सकता कि फैक्टरी पश्चिमी बंगाल में खुलेगी या नहीं । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दूसरा स्थान या तो बम्बई में होगा या त्रावनकोर-कोचीन में ।

**श्री के० के० बसु** : क्या यह बात सही ह कि डी० डी० टी० का प्रयोग करने पर भी मच्छर नहीं मरते ? यदि हां, तो क्या सरकार अग्रेतर उत्पादन में विकास किये जाने से पहले उस सम्बन्ध में इस बात को भी ध्यान में रख रही है ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : मैं ने इस प्रकार की बातें समाचारपत्रों में पढ़ी हैं पर इन के आधार पर हम डी० डी० टी० या पेन्सिलिन या कोयला या इस प्रकार की अन्य चीज़ों का उत्पादन रोक नहीं सकते ।

**सूचना मन्त्रियों का सम्मेलन**

*२६. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना ओर प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : ८ जनवरी, १९५५ को नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उस का विवरण राज्य सरकारों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है । क्योंकि यह कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों के सहयोग से ही किया जायेगा, अतः इतनी जल्दी यह बतलाना सम्भव नहीं है कि अमल में लाने के लिए क्या कर्यवाई की जायेगी ।

**श्री हेम राज** : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जहां गांव दूर दूर हैं और यातायात का प्रबन्ध नहीं है वहां पर इस किस्म के सूचना केन्द्रों को खोलने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

**डा० केसकर** : सब गांवों तक पहुंचाने के लिए, और खासकर जहां रास्ते नहीं हैं, दो तरीके ही हो सकते हैं । और सब से अच्छा तरीका तो यह है कि सूचना विभाग जीपों द्वारा ऐसे गांवों में अपनी सामग्री पहुंचाया करे ।

**श्री हेम राज** : जहां जीपें भी नहीं जा सकतीं वहां के लिए क्या इन्तिजाम है ?

**डा० केसकर** : वहांआदमी पैदल जायगा और क्या हो सकता है ।

**आल इंडिया रेडियो स्टेशन राजकोट**

*२७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेडियो के राजकोट स्टेशन से किन किन भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं,; और

(ख) अभी वहां कितने पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवायुक्त हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : (क) राजकोट केन्द्र से मुख्यतः गुजराती में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, परन्तु इस के अलावा और कार्यक्रम अन्य केन्द्रों की भांति हिन्दी और अंग्रेज़ी में भी होते हैं ।

(ख) राजकोट केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची सभा की मेज़ पर रख दी गयी है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]

**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि राजकोट केन्द्र से 'हिन्दी सीखो' कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है ?

**डा० केसकर** : जी हां, इस का भी विचार है ।

**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा विवरण दिया है उस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर जो अन्य कर्मचारी रखे गये हैं उन में हरिजन कितने हैं ?

**डा० केसकर** : इस के लिये नोटिस चाहिए ।

**नारियल का तेल**

*२९. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के तेल की कितने प्रतिशत आवश्यकता १९५५ में, स्वदेशी उत्पादन से पूरी होने की आशा है; और

(ख) क्रमशः १९५३ और १९५४ में भारत में आयातित नारियल की गरी और नारियल के तेल की मात्रा क्या है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लगभग ७५ प्रतिशत ।

(ख)

| | १९५३ मात्रा (टनों में) | १९५४ मात्रा (टनों में) |
|---|---|---|
| १. नारियल की गरी | २६,६५५ | ६२,१२५ |
| २. नारियल का तेल | २३,००६ (लगभग) | २३,३२४ (लगभग) |

**श्री अच्युतन** : नारियल की गरी और नारियल का तेल मुख्य रूप से किन देशों से आयात किया जाता है । क्या इस पर कुछ आयात शुल्क भी लिया जाता है; यदि हां, तो प्रति टन किस दर से ?

**श्री कानूनगो** : मुख्यतया आयात श्रीलंक से होता है । इस समय मैं प्रशुल्क के सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता ।

**श्री अच्युतन** : क्या सरकार ने नारियल की गरी और नारियल के तेल के आयात के सम्बन्ध में मूल्य सम्बन्धी या मात्रा सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध लगाने की बात पर विचार किया है ?

**श्री कानूनगो** : हां, मूल्य सम्बन्धी और मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैं; एक और प्रतिबन्ध यह भी है कि एक-तिहाई अनुज्ञप्तियों पर नारियल की गरी था नारियल का गूदा आयात किया जायेगा ताकि उनको देश में पेरा जाये जिस से कुछ लोगों को काम मिलेगा।

**श्री अच्युतन** : क्या सरकार को पता है कि नारियल की गरी और नारियल के तेल का विदेशों से आयात बढ़ जाने के कारण भारतीय नारियल और नारियल की गरी का मूल्य ३५ प्रतिशत कम हो गया है ?

**श्री कानूनगो** : नारियल के गूदे और नारियल के तेल का मूल्य सब जगह कम हो रहे हैं, और भारत में भी इन के मूल्य कम हो गये हैं ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि नारियल की गरी और तेल पर आयात शुल्क घटा देने के बाद देशी नारियल की गरी और तेल के दाम बराबर कम होते गये हैं ? आयात किये गये नारियल के तेल में से कितने प्रतिशत तेल औद्योगिक कार्यों में खर्च होता है ?

**श्री कानूनगो** : औद्योगिक कार्यों और अन्य कार्यों के काम में आये तेल की मात्रा बनाना कठिन है । मोटे तौर से, आयात किये गये और देशी तेल की कुल मात्रा की दो-तिहाई औद्योगिक कार्यों में खर्च होती है ।

**प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तिकायें**

*३०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ग्रामीण जीवन में नई जान डालने के लिए ३१ जनवरी, १९५५ तक कितनी पुस्तिकायें निकाली गयीं;

(ख) उन के विषय क्या थे;

(ग) उन के वितरण का साधन क्या था; और

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि क्या यह पुस्तिकायें उन लोगों के पास तक पहुंचीं जिन के लिये बनाई गयी थीं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). अभी तक "ग्राम धर्म" नामक एक सूचनात्मक पुस्तिका निकाली गई है । छः पुस्तिकायें बनाई जा रही हैं ।

(ग) भारत सरकार की तथा राज्य सरकारों की, ग्रामों का दौरा करने वाली, क्षेत्र प्रचार टुकड़ियां तथा अन्य 'बाह्य' अभिकरण; तथा प्राप्य गैर-सरकारी अभिकरण ।

(घ) प्रथम पुस्तिका अभी निकाली गई है तथा इस की बहुत सी प्रतियां बांटी

जा रही हैं। इन के लिए पात्र व्यक्तियों तक इन्हें पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक यह पुस्तक किस किस भाषा में निकाली गयी है और सब से ज्यादा किस भाषा में छपी है ?

**डा० केसकर** : अभी तक हिन्दी, बंगाली, तामिल और पंजाबी में छप चुकी है और और भाषाओं में भी बन रही है, सब से ज्यादा कापी इस की हिन्दी में बनी हैं।

**श्री विभूति मिश्र** : क्या मंत्री जी ने स्वयं कुछ गांवों में जा कर यह देखने के लिए कि इन पर्चियों का क्या असर पड़ा है, कष्ट उठाया है ?

**डा० केसकर** : अगर मुझ को समय होता तो मैं जरूर कुछ गांवों में जाता।

**श्री विभूति मिश्र** : ज्यादा नहीं दो, चार गांव में ही क्या वे गये हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : उस का जवाब तो उन्होंने दे दिया है।

### हथकरघा उद्योग

*३२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य वार, १९५४ में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) सरकार ने हथकरघे की वस्तुओं के विक्रय से सम्बन्धित सुविधाओं को बढ़ा देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : धनराशि मंजूर करते समय किन बातों पर विचार किया जाता है—राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अथवा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की सिफारिशों पर ?

**श्री कानूनगो** : प्रधानतः यह अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार होता है, जिस में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या सरकार को यह पता है कि इस वक्तव्य में उल्लिखित रक्षण हथकरघा उत्पादों के लिये पर्याप्त विक्रय-व्यवस्था प्रस्तुत करने में नितान्त असफल रहे हैं; यदि हां, तो क्या सरकार श्री राजगोपालाचारी की योजना को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

**श्री कानूनगो** : सरकार की दृष्टि में ये पूर्वानुमान सही नहीं हैं। पिछले दो वर्षों में हथकरघे के कपड़े का उत्पादन काफी बढ़ा है।

**श्री केलप्पन** : चलने वाले करघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

**श्री कानूनगो** : मैं हथकरघों की संख्या नहीं दे सकता, किन्तु निर्मित कपड़े के परिमाण में अवश्य वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु यदि माननीय सदस्य रुचि रखते हों तो मैं उन्हें ये आंकड़े दे सकता हूं। वे समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।

### मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना

*३३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के न्यूज़ प्रिंट के कारखाने में उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : आशा है कि अक्तूबर १९५५ से नियमित रूप से उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायेगा, जब कि कैमिकल पल्प मिल भी तैयार हो जायगा। परन्तु ११ जनवरी, १९५

को विदेशों से मंगवाये गये रासायनिक पल्प की सहायता से यह मिल पहली बार परीक्षण के रूप में काग़ज़ बना चुकी है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस फैक्टरी में कितना माल तैयार किया जा सकेगा ?

**श्री कानूनगो** : इस साल फरवरी में १२० टन, मार्च में २२५ टन और अप्रैल में ३०० टन तक कागज तैयार करने की आशा है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस मिल के प्रोडक्शन की टोटल कैपेसिटी क्या होगी ?

**श्री कानूनगो** : एक हजार टन तक माल तैयार करने की उम्मीद है; हां, यदि रासायनिक लुगदी उपलब्ध हो सके ।

**श्री भक्त दर्शन** : अखबारी कागज़ की हमारे देश में जो कमी है, उस के सम्बन्ध में विगत १५ नवम्बर के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने फ़रमाया था कि कुछ और स्थानों पर भी इस तरह की मिलें खोलने का विचार किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

**श्री कानूनगो** : अभी एक मिल चालू हो जाने के बाद दूसरी मिलों का प्रबन्ध किया जायेगा ।

**श्री डाभी** : इस में कितनी पूंजी लगायी जायेगी ?

**श्री कानूनगो** : लगभग ४ करोड़ रुपये

**सरदार ए० एस० सहगल** : श्रीमान्, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि करने के लिये कितनी सहायता मांगी थी ?

**श्री कानूनगो** : चार करोड़ ।

**विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में मकान**

*३४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों की किन्हीं सन्थाओं ने सरकार को, विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सरकार द्वारा निर्मित मकानों की बिक्री के सम्बन्ध में संशोधित नीति का पुनर्विलोकन करने के लिये स्मृतिपत्र प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन स्मृतिपत्रों पर विचार किया है तथा पुनर्विलोकन करने का निर्णय किया है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** (क) जी हां ।

(ख) जी हां, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अधीन बनाये गये नियमों के प्रारूप सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के निपटाये जाने की पद्धति से सम्बन्ध रखते हैं । इस अधिनियम के अधीन बनाये गये मंत्रणादाता बोर्ड को ये नियम निर्दिष्ट किये गये हैं तथा उन की मंत्रणा प्राप्त होने पर इन का अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इन उपनगरों में बिक्री के लिए उपलब्ध मकानों की संख्या निर्धारित कर ली गई है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : मोटे तौर पर यही अनुमान लगाया गया है कि सवा से डेढ़ लाख तक बिकाऊ मकान हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या सरकार इन मकानों की बिक्री प्रारम्भ कर रही है, अथवा मंत्रणादाता बोर्ड के निर्णय तक बिक्री निलम्बित कर दी गई है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यों तो आम नीलाम प्रारम्भ नहीं हुए हैं किन्तु हम कुछ

ही मकान तथा भूमिखण्ड (प्लाट) बेच सके हैं ।

**वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन**

*३६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन की कंडिका ४३ की ओर आकर्षित किया गया है जिस में प्राथमिक उत्पादनकर्ता के शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से बिचोलियों को खत्म करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) सरकार ने ऐसे बिचोलियों को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). भारत सरकार वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

**पाकिस्तान के लिये कपड़ा**

*३७. **श्री ऐम० ऐस० गुरुपादस्वामीं** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमेरिकन एजेंसी ने हाल में ही पाकिस्तान में निर्यात करने के लिये बम्बई से कुछ कपड़ा खरीदा;

(ख) क्या यह सच है कि उस का मूल्य डालरों में चुकाया गया;

(ग) यदि हां, तो देश को इस सौदे से कितना लाभ हुआ; और

(घ) इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निर्यात का क्या कारण है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (घ). अमेरिकन सरकार के पदाधिकारियों का एक दल पूर्वी बंगाल में बाढ़ ग्रस्त लोगों की सहायता कर रहा था । इसी को पूर्वी बंगाल भेजने के लिये मिलों के गोदामों से भारत द्वारा निर्मित कपड़ा खरीदने की अनुमति दी गई । यह कपड़ा बाढ़ सहायता के अभिप्राय से दिया गया है तथा निर्यात की अनुमति पाकिस्तान सरकार के कहने पर दी गई है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) लगभग १४,६०,००० डालर अथवा ६,९३,००० रुपये ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : चालू वर्ष में पाकिस्तान को निर्यात किये गये कपड़े का कुल परिमाण क्या है ?

**श्री कानूनगो** : क्षमा कीजिये, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मंत्रालय को यह ज्ञात है कि जो कपड़ा भारत से पाकिस्तान को निर्यात होता है उसके अधिकांश भाग का उपयोग पाकिस्तान विदेशों में भारत का बाजार बिगाड़ने के उद्देश्य से करता है ?

**श्री कानूनगो** : सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है ।

**श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी** : क्या विदेशों में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वस्त्रों के व्यापार के सम्बन्ध में कोई शर्त रखी गई है ?

**श्री कानूनगो** : इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होता न तो कोई शर्त रखी जाती है । जब भी कोई देश माल का आयात करता है तो वह किसी प्रकार से भी उस का उपयोग कर सकता है ।

**सेठ अचल सिंह** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिकन एजेंसी ने कितने डालर का कपड़ा एक्सपोर्ट किया ?

**श्री कानूनगो** : एक्सपोर्ट नहीं हुआ, अमेरिकन एजेन्सी ने फ्लड रिलीफ के लिये कपड़ा खरीदा और उस की कीमत के रूप में १४,६०,००० डालर दिये ।

**आयात के कोटे**

*३८. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, उन मदों की, जिन का आयात-कोटा १९५५ के पूर्वार्द्ध में घटाया गया हो पूरी सूची देने की कृपा करेंगे तथा इस प्रकार कमी करने का कारण भी बतायेंगे ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

स्वदेशी उद्योग के विकास होने तथा उन्नति करने से सरकार इन मदों में आयात कोटे को घटाने तथा विदेशीय विनिमय को बचाने में समर्थ हो गई है।

**सरकारी कर्मचारियों के आवास-स्थान**

*३९. **श्री इब्राहीम** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस संभावित तारीख तक २५० रुपये तक प्रति माह वेतन पाने वाले तथा १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व नियुक्त हुए, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली में आवास-स्थान उपलब्ध हो सकेंगे ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह आशा की जाती है कि १९५८ के अन्त तक चौथी श्रेणी के नौकरों को छोड़ कर, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिये सरकारी निवासस्थान उपलब्ध हो सकेंगे ।

**श्री इब्राहीम** : इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । हमारे सूचना एकत्रित करने के दौरान यह संख्या बढ़ भी सकती है ।

**श्री के० जी० देशमुख**: इस समय तक कितने प्रतिशत मकान बन चुके हैं ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं एक वेतन वर्ग के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं जिन का वेतन १५० से २४९ रुपये तक है तथा जो श्रेणी एफ (च) के अन्तर्गत आते हैं। अब तक दिल्ली में इस की ७,८३३ मकानों की मांग थी । इस मांग में से, मेरे मित्र द्वारा सूची गई १५ अगस्त, १९४७ तक की पूर्ववर्तिता ४,७६८ है । इस में से पूरी की गई मांग की संख्या २,३२२ है ।

**श्री जांगड़े** : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रधान मंत्री ने कानपुर में कहा था कि वन रूम टेनमेन्ट का समय खत्म हो गया है और फिर गवर्नमेन्ट क्यों वन रूम टेनमेन्ट बना रही है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक कमरे वाले मकान अब नई स्कीम में बहुत कम बनते हैं ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** : चौथी श्रेणी के कर्मचारी क्यों छोड़े गये हैं ?

**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने उन्हें छोड़ा नहीं है। मैं ने कहा है कि जो आंकड़े मैं ने दिये हैं तथा जो तारीख मैं ने बतलाई है उस में चौथी श्रेणी के अलावा अन्य कर्मचारी आते हैं; इस के लिये दूसरी तारीख होगी ।

**पश्चिमी बंगाल में निष्क्रान्त संपत्ति**

*४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में निष्क्रमणार्थियों ने कुल कितने एकड़ कृषि-भूमि और नगरों तथा गांवों में कुल कितने मकान छोड़े हैं ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सूचना एकत्रित करने में विभिन्न मंत्रालयों को कितना समय लगता है।

इस प्रश्न की पूर्व सूचना पर्याप्त समय पूर्व दी गई थी ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यह सब इस बात पर निर्भर है कि पूछा गया प्रश्न किस प्रकार का है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या माननीय मंत्री पश्चिमी बंगाल में निष्क्रमणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई उस भूमि तथा उन मकानों का प्रतिशत बता सकते हैं जो पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अब तक दिये जा चुके हैं ?

**श्री जे० के० भोंसले** : मुझे खेद है कि इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : "निष्क्रमणार्थी" शब्द का प्रयोग कब तक किया जायेगा—मेरा अभिप्राय यह है : यदि वे किसी निर्धारित दिनांक के पश्चात् लौटते हैं तो, क्या उन्हें "निष्क्रमणार्थी" कहा जायेगा या नहीं ?

**श्री जे० के० भोंसले** : यह तो परिस्थितियों पर निर्भर है । यदि उन्हें भूमि वापस मिलने की तनिक भी सम्भावना होगी तो वे निष्क्रमणार्थी नहीं होंगे ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या पश्चिमी बंगाल में छोड़ी गई समस्त भूमि विस्थापित लोगों को दी जा चुकी है ? क्या वह पड़ती पड़ी है—ऐसी भूमि की स्थिति क्या है ?

**श्री जे० के० भोंसले** : मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

## हीराकुड परियोजना में काम करने वाले मजदूर

*४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हीराकुड बांध पर काम करने वाले मजदूरों की आवास स्थिति दयनीय है और उन के लिए आस पास मीलों तक कोई डाक्टरी सुविधा प्राप्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?.

**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सरकार का मत है कि आजकल हीराकुड बांध परियोजना पर काम करने वाले मजदूरों को आवास और चिकित्सा की पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हैं ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है और नहर-क्षेत्र और बहुत सी अन्य इकाइयों में, जहां हज़ारो मज़दूर काम करते हैं, प्रथम चिकित्सा सहायता की भी सुविधा प्राप्त नहीं है ?

**श्री हाथी** : मैं ने बताया कि सुविधा है ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि ठेकेदार-फर्मों ने, जिन के लाखों रुपयों के ठेके हैं और सैकड़ों मज़दूर काम पर लगे हैं, इन लोगों के लिए अस्थायी मकानों की भी व्यवस्था नहीं की है ?

**श्री हाथी** : बड़े ठेकेदारों ने मकान दिये हैं; यहां तक कि छोटे ठेकेदारों ने भी मकान देने का प्रयत्न किया है । परन्तु जहां कहीं नहर खोदने का प्रश्न है, वहां वास्तव में मज़रों की स्थिति एक प्रकार से चलते फिरते मजदूरों की सी है । उन्हें प्रायः प्रति दिन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है । कदाचित्, इसी कारण से उन के लिए स्थायी आवासस्थान प्राप्य नहीं हैं ।

**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि यदा-कदा, जब भी मैं उन स्थानों पर गया हूं, मुझे ठेकेदारों द्वारा दिये गये मकान सन्तोषजनक प्रतीत नहीं हुए । हम

कार्यवाही कर रहे हैं और उन रहने के मकानों में सुधार करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं ।

**श्री वी० पी० नायर :** पिछले दिनों हम वहां गये थे और हम ने देखा था कि मज़दूरों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था । अनेकों स्थानों पर उन्हें जल लेने के लिये एक दो मील जाना पड़ता था ।

**श्री नन्दा :** इस का सम्बन्ध विशेषकर ठेकेदारों द्वारा दिये गये मकानों से है । हम इन मकानों में यथासम्भव सुधार करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं । जल सम्बन्धी असुविधायें रही हैं । क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जल देने का भार हम ने अपने ऊपर लिया है ।

**श्री वी० पी० नायर :** प्रत्यक्ष रूप से सरकार ने और ठेकेदारों ने क्रमशः कितने कितने मज़दूर काम पर रखे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस अनुपात में आवास सुविधा की गई है ?

**श्री हाथी :** सरकार ने ११,३१८ और ठेकेदारों ने २१,५७१ मज़दूरों को काम पर रखा है ।

### बेकारी

*४३. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **योजना मंत्री** २१ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस तारीख के पश्चात् हैदराबाद सरकार की उन योजनाओं पर जो उस ने बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई हैं, कोई विनिश्चय किया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

**श्री माधव रेड्डी :** क्या सरकार ने उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

**श्री हाथी :** अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है और इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ।

### भूमि-सुधार

*४४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचवर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् किसी राज्य में भूमि सुधार में कोई प्रगति हुई है ?

**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और समस्त राज्यों से उत्तर प्राप्त होते ही एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या सीलिंग रखा जायेगा ?

**श्री नन्दा :** इस सीलिंग के मामले में हर स्टेट में अपने अपने तौर पर फैसला हो रहा है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सीलिंग की प्रणाली को सूत्रबद्ध करने के लिए योजना आयोग की कोई योजना है ?

**श्री नन्दा :** इस मामले में साधारण दृष्टिकोण बनाया जा चुका है और विभिन्न राज्यों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### मद्रास में प्रदर्शनी

*५. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांग्रेस के पिछले

अधिवेशन के अवसर पर मद्रास में एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कोई अनुदान मंजूर किया था;

(ख) इस विशेष अवसर पर प्रदर्शनी आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए सरकार ने अनुदान क्यों दिया था ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय मद्रास स्थित आवड़ी में पिछले दिनों हुए कांग्रेस के अधिवेशन से है। ढाई लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे ।

(ख) तथा (ग). सरकार खादी तथा ग्रामोद्योगों की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने और उन के विक्रय में वृद्धि कराने के लिए प्रदर्शनियों की उपादेयता को मान्यता देती है । इस वर्ष के लिए एक बड़ी प्रदर्शनी की स्वीकृति मिली थी । मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर, जिस में देशभर से अनेकों लोग आते हैं, खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रदर्शनी के आयोजन से लाभ उठाया गया ।

### जापान

*९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को गत युद्ध से पूर्व के आर्थिक ऋण जो कि आभारों तथा संविदाओं से उद्भूत हुए थे वापिस दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आर्थिक दावों के बारे में समझौता दावेदारों तथा जापानी ऋण दाताओं के मध्य शान्ति सन्धि के अनुसार सीधे वार्तालाप से सम्पन्न होगा । अतः सरकार के पास उन भुगतानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि इन दावों के बदले में किये गये हों ।

### पैनिसिलिन का कारखाना

*१९. **श्री अमज़द अली** : क्या **उत्पादन** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी के पैनिसिलिन कारखाने में अब उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उत्पादित पैनिसिलिन की मात्रा क्या है; और

(ग) अधिकतम सामर्थ्य का उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) गत दिसम्बर में जो परीक्षात्मक कार्य हुआ था, वह सफल रहा है ।

किन्तु अभी तक नियमित उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस वर्ष के प्रथमार्ध में बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और अधिकतम उत्पादन इस वर्ष के अन्त तक होने लगेगा ।

### साबुन उद्योग

*२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय साबुन उद्योग को विदेशी तथा अर्ध-विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से जो कि भारत में विदेशी पूंजी द्वारा पोषित हैं, स्पर्धा होने से खतरा है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : अपने उत्पादनों के पण्य के लिए सभी निर्माताओं के बीच सदैव ही स्पर्धा रही है । ऐसी स्पर्धा उपभोक्ताओं के लिए एक अनिवार्य संरक्षण है जिस से कि उनसे अधिक मूल्य नहीं लिया जा सकता ।

**ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना**

*३१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास राज्य के मलाबार जिले में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों पर, ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा अभी तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है; और

(ख) अभी तक उन क्षेत्रों में कुल कितने मकान बनाये गये हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**कोरबा कोयला क्षेत्र**

*३५. **श्री टी० बी० विटठल राव** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के कोरबा के कोयला क्षेत्रों को ले लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) अभी तक केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के कोरबा के समस्त कोयला मैदानों को ले लेने का कोई निर्णय नहीं किया है । किन्तु सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी इस इच्छा से सूचित कर दिया था कि लगभग १० वर्ग मील के क्षेत्र को चालू करने का उस का विचार है, तथापि इस प्रश्न पर भी अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । मध्य प्रदेश में कोरबा के कोयला मैदानों को चालू करने की योजना पर अभी केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश सरकार में बातचीत चल रही है ।

(ख) अभी उत्पन्न ही नहीं होता ।

**दस्तकारी के उत्पाद**

*४२. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी के उत्पादों के मानस्थापन के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जब तक इनका मानस्थापन नहीं किया जाता तब तक दस्तकारी संगठन बड़े पैमाने के आर्डरों की पूर्ति नहीं कर सकते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा क्या करने का विचार है ।

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्

(ख) और (ग). समस्त दस्तकारी के लिए मानस्थापन का नियम समान रुप से अपनाया जा सकता । जहां पर संभव है वहां पर विशेषांकन तथा प्रमापों के नमूनों को लागू करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

**हथकरघा उद्योग**

*४५. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने उस राज्य में हथकरघा उद्योग को सुधारने के

लिए जो योजनायें समर्पित की हैं उनकी अनुमानित लागत तथा नाम क्या हैं;

(ख) उन में से केन्द्र ने कितनी योजनायें मन्जूर की हैं; और

(ग) इस समय त्रावनकोर-कोचीन राज्य में हथकरघों पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)** :(क)और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये** परिशिष्ट १, **अनुबन्ध संख्या १०**]

(ग) लगभग १५०,००० ।

**आवास स्थान (आवंटन सम्बन्धी नये नियम)**

*४६. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, जो कि २५०–४४९ रुपये वेतन श्रेणी के हैं और जिन्होंने आवंटन के नये नियमों के अधीन दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थान के लिए सरकार से आवेदन किये हैं, संख्या कितनी है;

(ख) अभी तक सरकार ने उन में से कितनों को आवास स्थान दे दिया है; और

(ग) शेष कर्मचारियों को आवास–स्थान देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस समय आंकड़े २५०–४९९ वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों के सम्बंध में तो उपलब्ध हैं और यह श्रेणी नियमों में भी मान्य है, किन्तु २५०–४४९ वेतन श्रेणी के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं। उस श्रेणी के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]

(ग) सरकार के पास पट्टे पर तथा अधिग्रहण में नई दिल्ली में ८४ एकक हैं, जो इसी श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित कर दिये गये हैं। सरकारी आवासों का और भी निर्माण किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा ।

**सहकारी अंदोलन**

*४७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी आन्दोलन पर कोई चित्र तैय्यार किये गये हैं; और

(ख) इस आन्दोलन का ग्रामों तथा पाठशालाओं में प्रचार करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ग्राम पंचायतों तथा सहकारी स्थाओं पर पुस्तिकायें भी लिखी जा रही हैं ।

**प्रलेख-चित्रों का निर्माण**

*४८. **श्री मुरारका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिश से जो कि उन के ग्यारहवें प्रतिवेदन की कंडिका २९ में दर्ज है, कि प्रलेख चित्रों का उत्पादन धीरे धीरे व्यापारियों को सौंपा जाये, सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). इस समय भी प्रलेख चित्रों के एक भाग को, जो कि

सामान्य प्रकार कार्यक्रम के लिए मंजूर किये जाते हैं, व्यापारियों को सौंपने का उपबन्ध है। इस के अतिरिक्त, गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा अपने खर्च पर निर्मित प्रलेख चित्रों को भी जिन्हें चित्र सलाहकार बोर्ड अनुमोदित कर दे, क्रय करने पर विचार किया जाता है। हाल ही में पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के तेरह विषय इस कार्य के मुख्य गैर-सरकारी निर्माताओं को सौंपे गये हैं। एक समिति, जिस में दो सदस्य फिल्म निर्माताओं में से भी हैं, ऐसे मान्य गैर-सरकारी निर्माताओं की एक तालिका बनाने के कार्य में लगी हुई है जिन से मूल्य-कथन मंगाये जा सकें और जिन के प्रलेख चित्रों के निर्माण कार्य का सौदा किया जा सके। जब यह तालिका तैयार हो जायेगी, तो दूसरी आवश्यकतायें, अर्थात् सामाजिक कल्याण बोर्ड आदि के लिये आवश्यक चित्र, उस तालिका में सम्मिलित निर्माताओं को सौंपे जायेंगे। उसी तालिका को चित्र विभाजन भाग की ओर से चित्र निर्माण करने के लिये भी उपयोग में लाया जायेगा। निर्माण का कितना कार्य निर्माताओं को और आगे सौंपा जाये, यह तो निर्मित प्रलेख चित्रों की विशेषताओं और अन्य निर्माताओं के इस प्रकार के कार्य के लेने के लिये सहमति पर निर्भर करता है।

### कोयला

*४९. **श्री इब्राहीम :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के निर्यात में जो गिरावट आ रही थी क्या उसे रोका गया है ;

(ख) इस समय हमारे कोयले के मुख्य उपभोक्ता कौन हैं ; और

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक कोयले की मांग की है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) १९५४ में कोयले का कुल निर्यात १९५३ के निर्यात से तनिक अधिक था, इसलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय के लिये तो निर्यात में गिरावट रुक ही गई है।

(ख) मैं यह समझता हूं कि जानकारी ऐसे विदेशों के सम्बन्ध में मांगी जा रही है जो कि भारतीय कोयले का मुख्य रूप से आयात करते हैं। वह देश हैं : बर्मा, श्रीलंका हांगकांग, सिंगापुर, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया तथा पूर्वी अफ्रीका।

(ग) १९५५ के लिए पाकिस्तान की भारतीय कोयले की कुछ मांग के बारे में अभी पता नहीं है, किन्तु भारतीय कोयले के लिए उस देश की १९५४ की मांग, १९५३ की मांग से अधिक ही थी।

### समुदायिक रेडियो

*५०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सामूदायिक रेडियो के अतिरिक्त रेडियो लगाये जाने की संभावना है जिन्हें हाल ही में के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में हुए निश्चयों की योजना के अधीन लगाया जाना था ; और

(ख) उन के संस्थापन में कुल कितनी लागत आयेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) मार्च १९५६ तक संभवतः लगाये जाने वाले कुल रेडियो सैटों की संख्या का अनुमान २८,५०० तक है।

(ख) लगभग ८६ लाख रुपया, जिस में से ५० प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी।

**हैदराबाद को सहायता**

* ५१. **श्री० टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **योजना** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य सरकार ने अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन औद्योगिक विकास के निमित्त कुल कितनी रकम की वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) कितनी रकम ऋण तथा अनुदान के रूप में पृथकतया दी गई है ?

**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]

**राष्ट्रीय विकास परिषद्**

* ५२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय में, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ८ और ९ नवम्बर, १९५४ की बैठक में की गई थीं, क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ९ और १० नवम्बर, १९५४ की बैठक में जो सिफारिशें की गई थीं, उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]

**प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन**

१. **श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरे काम को बचाने तथा प्रति वर्ष ३९,००० रु० की बचत करने के लिये प्रकाशन विभाग और प्रेस सूचना विभाग के फोटो स्टूडियो को एक ही भवन में स्थापित करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समितिने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन की कंडिका ६२ में जो सिफारिशें की हैं, उन की कार्यान्विति करने के लिये सरकार ने क्या विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार विज्ञापन परामर्श दाता की शाखा के कार्यालय को शिमला से दिल्ली लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार प्रकाशन विभाग के कला विभाग को विज्ञापन परामर्शदाता की शाखा में इस के दिल्ली आने पर विलीन करने की वांछनीयता पर भी विचार कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) उपयुक्त स्थान के मिलते ही प्रेस सूचना विभाग और प्रकाशन विभाग के फोटो स्टूडियो को मिलाने का विचार है ।

(ख) सरकार पूर्व ही १९ जुलाई, १९५४ से विज्ञापन परामर्शदाता की शाखा को शिमला से दिल्ली ले आई है ।

(ग) हां, श्रीमान् सिद्धान्त रूप में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और उस की कार्यान्विति उक्त (क) के साथ की जायेगी ।

**सहायक सूचना पदाधिकारी**

२. **श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूचना तथा सहायक सूचना पदाधिकारियों के विशिष्ट कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया निश्चित करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन की कंडिका ६७ में जो यह सिफारिश की है कि काम की मात्रा की दृष्टि से सूचना और सहायक सूचना पदाधिकारियों की संख्या अधिक है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री ( डा० केसकर)** : (क) सूचना पदाधिकारी सूचना सेवाओं के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं, योजना तैयार करते हैं और उन का संगठन करते हैं। उन का काम सहायक सूचना पदाधिकारियों के काम से स्पष्टतया भिन्न है। सहायक सूचना पदाधिकारी मंत्रालयों और अधिकृत प्रेस संवाददाताओं से सम्पर्क नहीं रखते, अपितु केवल उन तथ्यों को ही इकट्ठा करने पर सीमित हैं जो समाचारपत्रों को दी जाने वाली प्रेस सामग्री का अंग बन सकें।

(ख) समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है किन्तु केवल इतना कहा है कि काम की मात्रा की दृष्टि से सूचना पदाधिकारियों और सहायक सूचना पदाधिकारियों की संख्या कुछ अधिक है। छः सूचना पदाधिकारियों और सात सहायक सूचना पदाधिकारियों के पदों के अतिरिक्त इन श्रेणियों के सारे अन्य पद अस्थायी हैं और वित्त मंत्रालय की इस जांच के उपरान्त ही कि काम के बढ़ने की दृष्टि से उन की आवश्यकता है, उन पदों को जारी रखा गया है। फिर भी, स्थायी पदों का निश्चय करते समय समिति की बात को ध्यान में रखा जायेगा।

### चल-चित्र विभाग कार्यालय

३. **श्री मुरारका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चल-चित्र विभाग के कार्यालय को बम्बई के उपनगरों के किसी सस्ते भवन में ले जाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ले जाने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री ( डा० केसकर)** : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश का निर्देश कर रहे हैं कि चल-चित्र विभाग के मुख्यालय को बम्बई के उपनगरों के किसी सस्ते भवन में ले जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये। उस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

### प्रचार चल-चित्र

४. **श्री मुरारका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य, रक्षा इत्यादि मंत्रालयों को प्रचार हेतु दिये गये चलचित्रों के मूल्य को उन मंत्रालयों के खर्चे की मदों में डालने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस के पश्चात् से वैदेशिक कार्य, रक्षा और शिक्षा मत्रालयों से उन को दिये गये चलचित्रों का मूल्य लेना चाहिए और इस मूल्य का निर्धारण वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाना चाहिए। विदेशों गये हुए भारतीय शिष्ट मण्डलों को दिये गये चल-चित्रों की प्रतियों की कीमत वैदेशिक कार्य मंत्रालय से वसूल की जाती है। सशस्त्र बल सूचना पदाधिकारी के द्वारा सशस्त्र बल की प्रदर्शनी के लिये दी गई प्रतियों तथा शिक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय चल-चित्र पुस्तकालय को दी गई प्रतियों की कीमत वसूल करने का सवाल बिचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकारों, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं इत्यादि के लिये विहित १६ मिली-मीटर चौड़ी फिल्म की कीमत वैदेशिक कार्य मंत्रालय से १०० रु० प्रति ४०० फीट की दर से वसूल की जाती है । यह दर वित्त मंत्रालय के परामर्श से निश्चित की गई थी, जिस से उस में छपाई की वास्तविक लागत भी आ जाये और उपरि व्यय की भी गुंजाइश दी जाये ।

**कपडे की मिलें**

५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में कितनी कपड़े की मिलें बंद हुईं;

(ख) कितने कपड़े की मिलों ने इस अवधि में पारियां कम कर दीं; और

(ग) मिलों के बन्द होने तथा पारियों के कम करने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिकबेरोज़गार हुए ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री ( श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]

**मचकुंड जल-विद्युत् परियोजना**

६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाद के जम जाने से मचकुंड जल विद्युत् परियोजना को नुक्सान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो जलग्राही क्षेत्र के मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री ( श्री हाथी)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) आंध्र सरकार ने यह बताया है कि मचकुंड के जलाशयों में मिट्टी का कटाव रोकने के सम्बन्ध में दो उपाय करने का विचार है : (१) निर्माण का रूपांकन ऐसा हो कि गाद हट जाये और बाद में जमा न हो और (२) जहां तक संभव हो जलग्राही क्षेत्रों में जंगल और वृक्ष लगाये जायें और खेती की जाये ताकि धरातल की मिट्टी सुरक्षित रहे । पहले उपाय के सम्बन्ध में आंध्र सरकार मुख्य इंजीनियर (विद्युत्) के इस एक सुझाव पर विचार कर रही है कि जलपुट बांध के निचले भाग पर १४ लाख रुपया खर्च कर के एक घुमावदार बांध बनाया जाये जो कि २,५९० फीट ऊंचे एक ठोस बांध के बजाय कम से कम आर० एल० २,५७० फीट ऊंचे धरातल का हो और जिस के द्वार २० फीट ऊंचे हों ताकि आर० एल० २,५९० फीट के तल तक पानी इकट्ठा किया जा सके । दूसरे उपाय के सम्बन्ध में रोक और बचाव के बांध और पुश्तों के निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार भूमि संरक्षण की एक विस्तृत योजना बनाने वाली है जिस में सीमा के बांध बनाना, भिन्न स्तरों की मिट्टी उठा कर मंजिलें बनाना, खराब मार्गों को ठीक करना और जलग्राही क्षेत्र में वन लगाना आदि सम्मिलित होगा । आंध्र राज्य द्वारा मंजूर किये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन में भूमि संरक्षण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये ११ लाख रुपये की राशि में से अब तक १ लाख रुपया भूमि संरक्षण के कार्यों में व्यय किया गया है ।

**अमोनियम सलफेट**

७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५४ से जनवरी,

१९५५ तक सिन्द्री उर्वरक कारखाने में अमोनियम सलफेट का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इस से पहले के तीन महीनों के उत्पादन की तुलना में अमोनियम सलफेट का यह उत्पादन कैसा रहा ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) ८०,५२४ टन ।

(ख) पूर्वगामी तीन महीनों की तुलना में नवम्बर, १९५४ से जनवरी, १९५५ तक का उत्पादन २,५५४ टन अधिक रहा ।

**हथकरघे के कपड़े की खरीद**

८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने हथकरघे का कुल कितना कपड़ा खरीदा है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :

१. सूती कपड़े

हथकरघे का कपड़ा---१२ लाख गज (लगभग)

तैयार की हुई चीजें, जैसे दरियां, स्पंज कपड़ा, लुंगियां और ग्लास लिनेन इत्यादि---६ लाख ।

२. ऊनी कपड़ा

| | |
|---|---|
| कम्बल का कपड़ा | ६०,२९० गज |
| पट्टू कपड़ा | २२० गज |
| बैरक के कम्बल | ४५,५४० संख्या |

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha






नवां सत्र

( खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

# विषय-सूची

## (खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)


अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

| | स्तम्भ |
|---|---|
| १९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित— | |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक— | २७—६७ |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त | |
| डा० एम० एम० दास | ६७—७२ |
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी | ७३—७६ |
| श्रीमती जयश्री | ७६—७८ |
| श्री वी० जी० देशपांडे | ७८—८५ |
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती | ८५—८९ |
| श्री एन० एम० लिंगम | ८९—९२ |
| श्रीमती इला पाल चौधरी | ९२-९३ |
| श्री नन्द लाल शर्मा | ९३—१०२ |
| कुमारी एनी मस्करीन | १०२—१०४ |
| श्री एस० एन० दास | १०४—११७ |
| श्री एस० एम० मोरे | ११७—१२२ |


अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५


| | |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण | १२३-२४ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित | १२५ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित | १२५ |
| सभापति तालिका | १२५ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त | १२५—२३० |


अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५


| | |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२ | २३१-३२ |
| कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३ | २३२ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित | २३२ |
| भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण | २३३—३५ |
| सभा का कार्य— | |
| समय क्रम का नियतन | २३५—३९ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त | २३९—३२२ |

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . . . ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . . . ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

| | स्तम्भ |
|---|---|
| औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— | ४८०—५०६ |
| विचार करने का प्रस्ताव— | |
| राजकुमारी अमृत कौर . . . . | ४८०—८४, ४९२—९६ |
| श्री गिडवानी . . | ४८४–८५ |
| श्री वी० बी० गांधी . . . . | ४८५–८६ |
| श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . . | ४८७–८८ |
| श्रीमती इला पाल चौधरी . . . . | ४८८—९० |
| डा० रामा राव . . . . . | ४९०–९१ |
| श्री धुलेकर . . . . . | ४९१—९२ |
| खण्ड १ से १७— . . . . . | ४९६–५०४ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ५०४–५०६ |
| श्री कासलीवाल . . . . . | ५०४–०५ |
| सरदार ए० एस० सहगल . . . . | ५०५–०६ |
| दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक— | |
| संशोधित रूप में पारित . . . . | ५०६—०८ |
| विचार करने का प्रस्ताव— | ५०६–०७ |
| राजकुमारी अमृत कौर . . . | ५०६–०७ |
| खण्ड १ से १७ . . . . . | ५०७ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . | ५०८ |
| चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . | ५०८–१० |
| मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त . | ५११—१५ |
| १९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित . | ५१५—६४ |
| वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . . | ५६५–६६ |


अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५


| | |
|---|---|
| समिति के लिये निर्वाचन— | |
| राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . . | ५६७–६८ |
| मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत . | ५६८—९१ |
| १९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . | ५९१—६४ |
| विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . . | ६४३—४५ |
| आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . . | ६४६—६० |
| श्री करमरकर . . . | ६४६—६६० |
| श्री यू० एम० त्रिवेदी . . . . . | ६६० |

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश . . . . . ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित . . . . ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . . ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश . . . . . ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना . . . . ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। . . . . . ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी . . . . . ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त . . . . . ८८४–८७

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री हेम राज . . . | ८८७–९० |
| डा० सत्यवादी . . . | ८९०–९२ |
| श्री खंडूभाई देसाई . . . | ८९२–९४ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . | ८९४–९६ |
| महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव— | |
| स्थगित— | ८९६ |
| श्रीमती जयश्री . . | ८९६–९८,८९९–९०० |
| श्री पाटस्कर . . . . | ९००–९०६ |
| भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक— | |
| (नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त— | ९०६ |
| श्री नम्बियार . | ९०६–१४ |
| श्री वेंकटारमन | ९१४–१८ |
| श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . | ९१८–२० |
| १९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे— | ९२०–२२ |

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

| | |
|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . . | ९२३–२५ |
| आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित— | |
| विचार करने का प्रस्ताव— | ९२५–९३ |
| श्री एन० सी० चटर्जी . . . . . | ९२५–२८ |
| श्री पाटस्कर . . . . | ९२८–३३ |
| श्री एस० एस० मोरे . . . . . | ९३३–३७ |
| श्री वी० बी० गांधी . | ९३७–३९ |
| श्री ए० एम० थामस . . . . . | ९३९–४१ |
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . . | ९४१–४५ |
| श्री एन० एम० लिंगम . . . . . | ९४५–४७ |
| श्री वी० पी० नायर . . . . . | ९४७–५५ |
| श्री तुलसीदास . . . . . | ९५५–५८ |
| श्री झुनझुनवाला . | ९५८–६० |
| श्री बंभल . . . . . | ९६०–६३ |
| श्री हेडा . . . . . | ९६३–६८ |
| श्री आर० के० चौधरी . . . . . | ९६८–७० |
| श्री अच्युतन . . . . . | ९७०–७२ |
| श्री बोगावत . . . . . | ९७२–७३ |
| श्री करमरकर . . . . . | ९७४–९३ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . . | ९९३–९४, ९९५–९७ |
| श्री करमरकर . . . | ९९४, ९९६–९९७ |
| श्री वी० पी० नायर . . . | ९९४–९५ |
| श्री सारंगधर दास . . . | ९९५–९६ |
| अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . . | ९९८–१०११ |
| विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . . | ९९८–१०१६ |
| श्री करमरकर . . | ९९८, ९९–१००२ |
| श्री वेंकटरामन . . . | ९९८–९९ |
| पंडित डी० एन० तिवारी . . | १००२–१००८ |
| श्री एस० सी० सामन्त . . . | १००८–०९ |
| श्री राघवाचारी . . . . | १००९–१०११ |
| श्री काज़मी . . . . . | १०१३–१०१४ |
| श्री रामचन्द्र रेड्डी . . . . | १०१४–१०१५ |
| श्री अलगेशन . . . . | १०१५ |
| सभा का कार्य . . . . | १०१२, १०१३, १०१४ |
| रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . . | १०१६–१०२४ |
| श्री अलगेशन . . . . | १०१६–१०१८ |
| श्री नम्बियार . . . . . | १०१८–१०२४ |
| अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५ | |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . | १०२५–२६ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . | १०२६ |
| १९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें— | |
| रेलवे —उपस्थापित . . | १०२६ |
| १९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें— | |
| आंध्र—उपस्थापित . . | १०२६ |
| १९५५-५६ के लिये आंध्र का आय— | |
| व्ययक—उपस्थापित . . . | १०२७–२८ |
| १९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— | |
| माग संख्या १—रेलवे बोर्ड | १०२७–११३६ |

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार . . . . . ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

| | स्तम्भ |
|---|---|
| मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय | |
| मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश | |
| विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . . | १२५७–५८ |
| १९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . . | १२५८–७२ |
| विनियोग (लेखानुदान) विधेयक— | |
| पुरःस्थापित और पारित . . . . | १२७३–७४ |
| श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित | १२८६–९४ |
| विचार करने का प्रस्ताव— | |
| डा० केसकर . | १२७४–७६ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी . | १२७७–८० |
| श्री एन० सी० चटर्जी | १२८०–८१ |
| श्री वेंकटरामन् . | १२८१–८२ |
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी | १२८२–८४ |
| श्रीमती खोंगमेन . . . . | १२८४ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . | १२८४–८६ |
| खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव— | १२९४ |
| डा० केसकर . . . | १२९४ |
| अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५ | |
| तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . | १२९५ |
| सभा का कार्य— | |
| आन्ध्र का आय-व्ययक . . . . . | १२९६–९८ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र . . . . . | १२९८–१३३८ |
| आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . | १३३७–३९ |
| आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक— | |
| पुरःस्थापित और पारित . . . . . | १३३९–४० |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे | १३४०–४२ |
| विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक— | |
| पुरःस्थापित और पारित . . . . | १३४३–४६ |
| रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक— | |
| विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त— | |
| पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . | १३४३–४६ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . | १३४६–४७ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . . | १३४७–५६ |
| डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया | १३५६–८५ |
| श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त . | १३८५–९४ |

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

| | |
|---|---|
| ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण . | १३९५ |
| विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण . . . . | १३९५–९६ |
| रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया. | १३९७–१४२१ |

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

| | |
|---|---|
| पण्डित ठाकुर दास भार्गव . . . . | १३९५–१४०५ |
| श्री राघवाचारी . . . . . | १४०६–०७ |
| श्री सिंहासन सिंह . . . . . | १४०७–०८ |
| श्री आर० के० चौधरी . . . . | १४०८ |
| श्री बर्मन . . . . | १४०८–०९ |
| श्री मूलचन्द दूबे . . . . . | १४०९–१० |
| श्री एस० सी० सामन्त . . . . . | १४१० |
| सरदार हुक्म सिंह . . . . . | १४१०–११ |
| श्री बी० एन० मिश्र . . . . | १४११–१२ |
| श्री एम० डी० जोशी . . . | १४१२ |
| श्री अलगेशन . . . . | १४१२–२० |

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

| | |
|---|---|
| श्री ए० सी० गुहा . . . | १४२१–२५ |
| श्री बंसल . . . . | १४२५–२९ |
| श्री डाभी . . . . | १४३०–३१ |
| श्री एस० सी० सामन्त . . | १४३१–३२ |
| श्री धुलेकर . . . | १४३२–३३ |
| पडित ठाकुर दास भार्गव . . | १४३३–३९ |
| डा० रामा राव . . . . . | १४३९–४० |
| श्री एन० राचय्या . . . | १४४०–४१ |
| श्री सिंहसन सिंह . . | १४४१–४२ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री नंद लाल शर्मा . . . . . | १४४२–४६ |
| श्री सी० आर० अय्युण्णि . . . . . | १४४६–४८ |
| श्री एन० एम० लिंगम . . . . . | १४४८–५२ |
| खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . . | १४६०–६६ |
| श्री ए० सी० गुहा . . . . . | १४६६–६७ |
| समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . . | १४६७–७२ |
| विचार करने का प्रस्ताव— | १४७४–८० |
| श्री ए० सी० गुहा . . . . . | १४६७–७२ |
| श्री सी० सी० शाह . . . . . | १४७४–७८ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी . . . . . | १४७८–८० |
| प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य | १४७३–७४ |

# लोक-सभा

मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

---

## प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

## स्थगन प्रस्ताव

### आन्ध्र में निर्वाचन

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे माननीय गृह-मंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे ।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त)** : आपके आदेशानुसार मैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में ने जांच की है और मुझे मालूम हुआ है कि ये सभी आरोप निराधार हैं अथवा अतिरंजित हैं । मुझे इस बात का शोक है कि ऐसी परिस्थितियों में यह प्रश्न उठाया गया है । आन्ध्र की जनता और प्राधिकारी आज एक महान कार्य में व्यस्त हैं । वहां पर मतदाताओं की संख्या ११० लाख से भी अधिक है । मतदान केन्द्र लगभग १४,००० हैं । चुनाव अभी तक हो रहे हैं । सारे राज्य को पांच केन्द्रों में बांटा गया था उन पांच केन्द्रों में से केवल तीन केन्द्रों में ही इस मास की ११, १५ तथा १८ तिथि को चुनाव हुए हैं । बाकी दो केन्द्रों में चुनाव २३ तथा २८ तिथियों को होंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां के लोग कितने गंभीर कार्य में व्यस्त हैं, और चुनाओं के कारण उन में कितना जोश उमड़ रहा है, यही अच्छा था कि हम सभी उन्हें प्रोत्साहन देते और उन के लिये सभी कार्यों को सुगम बनाने का प्रयत्न करते ।। मेरा विचार है कि ऐसे अवसरों पर जो कि उन लोगों के लिये शिकायत करने के लिये और भी बहुत मार्ग खले हें ; यदि हम अपने आप पर संयम रखते तो उससे उनका भला होता ।

स्थगन प्रस्ताव में बड़े व्यापक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । तथ्यों के विषय में लगाये गये आरोप स्वयं अस्पष्ट से हैं । परन्तु उन आरोपों के अतिरिक्त इस का प्रारम्भिक भाग तो बिल्कुल ही अस्पष्ट है । मैं व्यर्थ में ही काल्पनिक बातों में नहीं जाना चाहता और न ही मैं यह जानता हूं कि आन्ध्र में क्या क्या हो रहा है, परन्तु मुझे आशा ह कि यहां पर होने वाली इस चर्चा से वहां पर होने वाली घटनाओं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

जहां तक इन आरोपों का संबंध है मैं ने पहले यह ही कहा है कि इन में कोई सार नहीं । पहले आरोप के अनुसार १५

[श्री जी० बी० पन्त]

फरवरी १९५५ को नलमाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिय जाते हुए पांच हजार मतदाताओं को बलपूर्वक रोक दिया गया था। राज्य सरकार को यह ज्ञात नहीं है। उन्होंने इसके बारे में ध्यानपूर्वक जांच की है और यह पता लगा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह तो एक छोटी सी घटना घटी थी। पन्द्रह बीस मतदाता एक मतदान केन्द्र की ओर जाते हुए रास्ते में बलपूर्वक एक गन्ने के खेत से गुज़रने लगे परन्तु उस खेत का स्वामी विरोधी पार्टी का समर्थक था। अतः उस खेत के रखवाले ने उन्हें वहां से गुज़रने नहीं दिया मतदाताओं को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पर आक्रमण करके उसे घायल कर दिया इस पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर एक मुठभेड़ सी हो गयी। मतदाता अपने गांव को वापिस चले गए। जब इस आमले के विषय में दोनों ओर के लोगों के प्रतिवेदन भेज़ तो पुलिस उस गांव में गयी और उन मतदाताओं को कहा कि यदि वे अपना मत देना चाहते हैं तो वे उनके साथ मतदान केन्द्र तक चलें। परन्तु उन्होंने इंकार कर दिया। इस घटना के विषय में हम यही सत्यान्वेषण कर सके हैं। ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें संरक्षण के लिए की गयी प्रार्थना को पुलिस ने ठुकरा दिया हो। इस आरोप का यही वास्तविक आधार है। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की किसी घटना की रिपोर्ट किसी ने की है अथवा इस निर्वाचन में रुचि लेने वाले व्यक्तियों के नोटिस में इस प्रकार की कोई बातें आई हों।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हमारे नोटिस में आई हैं।

**श्री जी० बी० पन्त** : यदि आपके नोटिस में कोई बात आई है, तो स्थगन प्रस्ताव में उन स्थानों के नाम जहां ये घटनाएं घटी हैं, और उन घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए थे, परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं दी गयी।

अस्तु, वहां पर भारी संख्या में, तेज़ी से और शान्तमय मतदान हुआ है, और सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। लगभग ६० या ७० प्रतिशत लोग मत दे रहे हैं। यदि वहां पर ऐसा वातावरण होता जो कि लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक मत प्रदान करने में बाधा पहुंचाता तो लोगों की इतनी भारी संख्या मत प्रदान न कर सकती।

इस चुनाव को शुरू हुए एक सप्ताह से अधिक हो गया है और इसे कुछ दिन और लगेंगे। वहां की कार्यवाही न केवल स्थानीय संवाददाता बल्कि विदेशों से आये हुए संवाददाता भी देख रहे हैं। यह तो हो नहीं सकता कि ऐसी घटनाएं हों और उन्हें मालम न हों।

एक और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक और शिकायत है। यद्यपि यहां मतदाताओं की संख्या ५००० से घट कर १२०० रह गई है, तथापि शिकायत उसी प्रकार की है, हमने जांच की है। राज्य सरकार को चुनाव प्राधिकारियों या कार्यपालिका अधिकारियों या स्वयं उम्मेदवारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इन परिस्थितियों में हमें कहां से जानकारी प्राप्त हो सकती है।

तीसरा आरोप साम्यवादी दल के कार्यालय को तोड़ने फोड़ने के बारे में है। कोई साहसी आदमी ही ऐसा कर सकता है शिकायतें दोनों ओर से प्राप्त हुई हैं। जहां तक इस शिकायत का सम्बन्ध है, यद्यपि सब रिकार्ड देखे गये हैं, तथापि इसे सिद्ध नहीं किया जा सका। मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि कार्यालय तोड़ देने का क्या मतलब है—क्या कार्यालय की इमारत गिरा दी गई थी या अभिलेख उड़ा लिये गये थे।

**श्री नम्बियार :** रिकार्ड उड़ा लिये गये और फर्नीचर तोड़ दिया गया ।

**श्री जी० बी० पन्त :** मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं हुई ।

अगला आरोप यह है कि एक व्यक्ति पर हमला किया गया था । यह सच है कि उसे साधारण चोट आई थी । मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि यह चोट उसे कैसे पहुंची । मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि दोष किस का था । मुझे मालूम हुआ है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट की जा चुकी है । चूंकि यह न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता । किन्तु मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि आघात की केवल तीस घटनाएं हुई हैं और इन आहत व्यक्तियों में दो तिहाई से अधिक कांग्रेस के लोग हैं । मुझे इन तीसों से सहानुभूति है । किन्तु मैं समझता हूं कि इन बीस व्यक्तियों को केवल इसी कारण कष्ट उठाना पड़ा है कि संभवतः ये ईमानदारी और उत्साह के साथ अपना कर्तव्य पालन करने से नहीं चूके ।

सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र में निर्वाचनों की व्यवस्था वहां के राज्यपाल द्वारा की गई है । वहां मन्त्रिमंडल नहीं है और न ही वहां कांग्रेस है । राज्यपाल एक अनुभवी, उत्साही और योग्य प्रशासक हैं । जिस दिन उन्होंने राज्य भार संभाला उसी दिन या उसके शीघ्र पश्चात, उन्होंने जोरदार घोषणा की कि वह स्वतन्त्र और उचित ढंग से निर्वाचन करवायेंगे और उन्होंने उस घोषणा का परिपालन किया है । उन्होंने सारे कलक्टरों, अधिकारियों और सब सम्बद्ध व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक और भय अथवा पक्षपात से दूर रहते हुए अपना अपना कार्य करने का अनुदेश दिया है । उन्होंने लोगों को भी संयम तथा मान के साथ चुनाव करने की अपील की है, ताकि जनतन्त्रात्मक देश में होने वाले निर्वाचनों के लिये आवश्यक उचित वातावरण बना रहे । फिर भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो गईं, जिन्हें सम्भवतः नहीं रोका जा सकता, जबकि पूरे जोश वाले उत्साही लोग एक दूसरे के विरुद्ध तैयार खड़े हों । किन्तु सौभाग्यवश, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई । मैं यह नहीं कहूंगा कि इन घटनाओं में किन लोगों को क्षति हुई है और किन लोगों ने आक्रमण किया है । मैं इस बात को छोड़ता हूं । मैं विरोधी दल के सन्देहों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थितियों में सन्देह या भ्रान्ति को कोई स्थान मिल सकता है । मुझे विश्वास है कि बिना शान्ति भंग हुए निर्वाचन जारी रहेंगे । प्रभावी व्यक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देंगे, और निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक, कुशलतापूर्वक तथा शान्तिपूर्वक समाप्त हो जायेंगे ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय का यह कहना है कि उन्हें किसी विशेष घटना की सूचना मिली ही नहीं । प्रत्येक घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना निर्वाचन आयोग तथा गृह मंत्री को तारों द्वारा भेज दी गयी थीं । वे सूचनाएं निर्वाचन-आयोग को तो प्राप्त हो चुकी हैं, परन्तु यह आश्चर्य है कि मंत्री महोदय को प्राप्त नहीं हुईं । दिनांक १४ को तनाकल्लू का कार्यालय चिकनाचूर कर दिया गया, अभ्यर्थी के रसोइये पर चाकू से आक्रमण किया गया, अभ्यर्थी की मोटर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और फिर हमारे एक अभ्यर्थी तथा एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया । परन्तु गृह मंत्री यह कहते हैं कि वहां पर ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इस में कुछ न कुछ सचाई

[अध्यक्ष महोदय]

अवश्य छिपाई गयीं है, और इन घटनाओं की सचाई का निर्णय यह सभा नहीं कर सकती। यह कार्य तो उन क्षेत्रों के न्यायालयों का ह, जहां पर ये घटनाऐं घटी हैं : अतः यदि वहां पर कोई ऐसी घटना घटी है तो यह मुकदमा वहां के विधि न्यायालयों अथवा दण्ड-न्यायालयों में जाना चाहिये ; और फिर स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की किसी विशेष नीति अथवा आचरण पर चर्चा करना न कि इस बात पर चर्चा करना कि किसी घटना के विषय में सचाई क्या है। अतः इस प्रकार के स्थगन प्रस्तावों की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हमारा यह उद्देश्य नहीं कि इन घटनाओं की सचाई के बारे में कोई अधिनिर्णय दिया जाय। हमारा उद्देश्य तो यह है कि आन्ध्र प्रांत से प्राप्त होने वाली इन घटनाओं के विषय में सरकार को सूचित किया जाए, और उसका ध्यान इस अन्याय की ओर दिला कर उनसे यह आश्वासन प्राप्त किया जाए कि वहां पर निर्वाचन में पूरा न्याय होगा और बाकी बचे हुए दो दिनों में तो वहां पर अवश्य न्याय संगत निर्वाचन होंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थगन प्रस्ताव के विषय में आपके मन में कोई आधार भूत मिथ्या धारणा है : स्थगन प्रस्ताव पर तो केवल कुछेक विशेष अवसरों पर ही विचार किया जा सकता है जबकि देश में कोई विशेष घटना घटित हो रही हो अथवा कोई विशेष संकट आ रहा हो। अतः बिना विशेष संकट पूर्ण परिस्थितियों के ऐसे प्रस्ताव पुरःस्थापित नहीं किए जाने चाहियें। हो सकता है कि यह विषय अत्यावश्यक हो, परन्तु यह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि सभा के सदस्य अन्य सब कार्य छोड़ कर इस पर चर्चा शुरु कर दें।

जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, वे सरकार के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। यदि मामला अत्यावश्यक है तो मैं सरकार को कह सकता हूं कि इस मामले की ओर शीघ्र ध्यान देवें। यदि वे इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिये भी एक नियम है। जिसके द्वारा दो घन्टे के लिये चर्चा हो सकती है। परन्तु आप तो व्यर्थ ही स्थगन प्रस्ताव के लिये हठ कर रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

---

## पटल पर रखे गए पत्र

### मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आंध्र संशोधन अधिनियम

**गृह-कार्य उपमंत्री** (श्री दातार) : मैं आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५४ की धारा ३ कीउपधारा (३) के अन्तर्गत, मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहन (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम, १९५५ (१९५५ का राष्ट्रपति अधिनियम सख्या १) की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-१४/५५]**

### भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५१ में तिथि १५ जनवरी, १९५५ को प्रकाशित भारतीय मानक संख्या (प्रमाणन चिन्ह) नियमों की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-१९/५५]**

**कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम**

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** मैं, कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की धारा (४) के अन्तर्गत उत्पादन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१४६, दिनांक २५ सितम्बर, १९५४ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-१८/५५]**

**प्रेस आयोग प्रतिवेदन-भाग २ और ३**

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति मैं सदन-पटल पर रखता हूं :

(१) प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २-३ भारतीय पत्रकारिता का इतिहास : **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-१५/५५]**

तथा (२) प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग ३- परिशिष्ट।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-१६/५५]**

## १९५५-५६ के लिए रेलवेआय व्ययक

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: मैं सदन के सामने भारतीय रेलों की १९५५-५६ की अनुमानित आय और उनके खर्च का बयान करने के लिए खड़ा हूं। बजट के कागजों के साथ मेरे भाषण का हिन्दी अनुवाद माननीय सदस्यों को दिया जायगा। इस बार हिन्दी अनुवादों की सूची में बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन और बजट-सम्बन्धी दूसरी पुस्तिकाएं भी शामिल हैं।

**[पण्डित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]**।

मैं पहले भारतीय रेलों की माली हालत का बयान सदन में पेश करूंगा जसा कि १९५३-५४ के पूरे लेखे से पता लगता है। साल में यातायात से कुल आय २७४.२९ करोड़ हुई और कुल साधारण संचालन-व्यय २०१.४७ करोड़ रहा, जबकि इन मदों का सशोधित अनुमान क्रमशः २७२.०० करोड़ और १९७.६३ करोड़ था। मूल्य ह्रास-आरक्षित-निधि, विविध खर्च और सामान्य राजस्व को लाभांश के मद में भुगतान के बाद वास्तविक शुद्ध बचत २.५६ करोड़ रही, जबकि बचत का संशोधित अनुमान ३.१८ करोड़ रखा गया था। बचत की पूरी रकम रेलवे-विकास-निधि में डाल दी गयी।

यातायात में जो सुधार हुआ है, उसकी वजह से १९५४-५५ में सब तरह के यातायात की कुल आय का संशोधित अनुमान अब २८२.८० करोड़ रखा गया ह, जबकि बजट अनुमान २७३.२५ करोड़ रुपये था। इस तरह इस मद में ९.५५ करोड़ की बढ़ती हुई। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बजट पेश करते समय मैंने यह आशा प्रकट की थी कि साल में यात्री-यातायात से कुछ अधिक आमदनी होगी। यह बतलाने में मुझे प्रसन्नता है कि सम्भवतः हमारी आशा पूरी हो जायगी। १९५२-५३ से यात्री यातायात में जो गिरावट शुरू हुई थी, वह अब रुक गयी है और चालू वर्ष में यात्री यातायात का झुकाव बढ़ने की ओर रहा है। इसलिए, अब अनुमान है कि यात्री-यातायात से आमदनी १०१.८ करोड़ रुपये होगी जो बजट के १०१.५ करोड़ से कुछ अधिक है। माल-यातायात में विशेष सुधार हुआ है और डिब्बों की लदान, मालगाड़ियों की मील-संख्या और ढोये गये माल—इन सब में बढ़ती हुई है। इसलिये अनुमान है कि माल—यातायात की आमदनी ७.४ करोड़ रुपये बढ़ जायगी। इस तरह उसका अनुमान अब १५६.०० करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि बजट के समय इसका अनुमान १४८.६० करोड़ लगाया गया था। सेना और दूसरे मदों से यातायात

[श्री एल० बी० शास्त्री]

की आमदनी में १.५ करोड़ रुपये की बढ़ती का अनुमान है।

साल में यातायात बढ़ा, पर साथ ही खर्च भी बढ़ गया है। साधारण संचालन-व्यय का संशोधित अनुमान २०२·७६ करोड़ है, जबकि मूल अनुमान १९४·३१ करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें ८·४५ करोड़ की बढ़ती हुई। उखाड़ी गयी लाइनों को फिर चालू करने के कारण इस साल राजस्व में यदि ६२ लाख रुपये की रकम बढ़ गयी होती, तो संचालन-व्यय के मद में ९ करोड़ से अधिक खर्च हुआ होता, जो लगभग आमदनी में बढ़ती के बराबर है। मूल्यहास-आरक्षित निधि के लिए ३० करोड़, गैर सरकारी लाइनों को भुगतान, विविध खर्च और सामान्य राजस्व को लाभांश की रकम निकाल कर चालू वर्ष की बचत का अनुमान ६·५७ करोड़ है, जबकि बजट अनुमान ५.१४ करोड़ था।

पार्लियामेंट ने अपने पिछले अधिवेशन में रेलवे वित्त को केन्द्रीय सरकार के सामान्य-वित्त से अलग करने के लिये जो नया कन्वेन्शन स्वीकार किया, मैं अब उसका जिक्र करूंगा। अगले पांच वर्षों में रेलवे-वित्त पर इस नये कन्वेन्शन का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। राजस्व-अनुमान पर असर डालने वाले इस कन्वेन्शन के नियम इस प्रकार हैं :—

(क) १९४९ के कन्वेन्शन के अनुसार ३ लाख के ऊपर की लागत पर चालन-सम्बन्धी अल्पलाभप्रद सुधार के काम का खर्च चालू लाइन राजस्व और विकास-निधि के बीच बांट दिया जाता था। इस तरह के काम पर अब जो खर्च होगा, वह सब विकास-निधि से लिया जायगा।

(ख) रेलवे राजस्व से मूल्यहास-आरक्षित-निधि में हर साल ३० करोड़ की जगह ३५ करोड़ की रकम डाली जायगी।

(ग) कुल लगी हुई पूंजी पर साल में रेलवे को ४ प्रतिशत लाभांश देना होगा और इसका निर्धारण नीचे दी गयी दो तबदीलियों के अनुसार होगा :—

(१) रेल के कामों पर पूंजी के मद से जो खर्च किया गया है उससे रेलवे का पूंजी-गत व्यय बहुत बढ़ गया है। इस बढ़ी हुई पूंजी का अनुमान लगभग १०० करोड़ है, लेकिन इसके निश्चित आंकड़े बाद में निर्धारित किये जायंगे। इस दी हुई पूंजी पर रेलवे उसी दर पर सूद देगी जो दूसरे वाणिज्य विभागों से लिया जाता है, और

(२) नयी लाइनों पर जो पूंजी लगेगी, उस पर लाइन बनने के समय और चालू होने के पांच साल बाद तक लाभांश के भुगतान की छूट दी जायगी। छठे साल और उससे आगे साल-ब-साल लाभांश दिया जायगा। इसके अलावा, यदि साल का लाभांश चुका देने के बाद बचत हुई, तो छठे साल से लाइन की शुद्ध आमदनी में से पिछला लाभांश भी दिया जायगा जिसकी दर वाणिज्य विभागों से लिये गये सूद की दर के समान होगी।

(घ) विकास-निधि से होने वाले कामों के लिए यदि उस निधि में धन की कमी हो, तो केन्द्रीय सरकार सामान्य राजस्व से विकास निधि को कर्ज देगी जिस पर उसी दर से सूद लिया जायगा जो वाणिज्य-विभागों से लिया जाता है। यह कर्ज लगी हुई पूंजी में शामिल नहीं किया जायगा।

(ङ) अब केवल वे योजनाएं लाभप्रद मानी जायेंगी जिनसे लगी हुई पूंजी पर मूल्य

हास, चालन और अनुरक्षण के खर्चे को छोड़ कर ४.२५ प्रतिशत की जगह ५ प्रतिशत लाभ होगा।

नये कन्वेन्शन में पूंजी, मल्यहास-आरक्षित निधि, विकास-निधि और चालू लाइनों पर राजस्व से होने वाले काम के खर्चे के सम्बन्ध में भी कुछ हेर-फेर कर दिया गया है, जो इस प्रकार है :—

(१) विकास-निधि से किये गये बदलाव की लागत उस निधि से न ले कर, मूल्यह्रास-आरक्षित-निधि से ली जायगी ;

(२) चालन-सम्बन्धी सुधार के लिए ३ लाख से अधिक लागत के जो अलाभप्रद काम किये जायंगे, उनका पूरा खर्च विकास निधि से लिया जायगा ;

(३) १९४९ के कन्वेन्शन के अनुसार अलाभप्रद लाइनों का खर्च आरम्भ में विकास-निधि के मद में डाल दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। नयी लाइनों के बनाने पर जो खर्च होगा वह शुरू से ही पूंजी के मद में डाल दिया जायगा;

(४) तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की लागत जो अब तक पूंजी के मद में डाली जाती थी, विकास-निधि में डाली जायगी ,

(५) रेल का उपभोग करने वाले सभी लोगों की सुविधा के लिए जो काम किये जायंगे, उनका खर्च विकास-निधि में डाला जायगा, पूंजी या राजस्व के मद में नहीं, जैसा कि अब तक होता आया है।

१९५५–५६ का बजट अनुमान नये कन्वेन्शन की इन सिफ़ारिशों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि पिछले वर्षों से तुलना करते समय, कृपया वे इन तब्दीलियों का ध्यान रखें।

अब मैं रेल के किराये-भाड़े के सवाल पर कुछ कहना चाहता हूं जिसका ज़िक्र मैंने पिछले बजट-भाषण में किया था। १९४८ में जिस समय यात्री-किराये की दर सारे देश में एक स्तर पर लायी गयी, उस समय हमारी बहुत सी रेलों में दूरी के आधार पर जो किराया लिया जाता था, उसे हटा कर किराये की एक सी दर रखी गयी। किराये के आधार में जो परिवर्तन हुए, उनका हमारे विशाल देश में लम्बे सफ़र के यात्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। १९५१ में जब किराये की दर बढ़ायी गयी, तो लम्बे सफर के यात्रियों पर किराये का भार और भी बढ़ गया। अब समय आ गया है जबकि किराये की दर दूरी के आधार पर रखी जाय जिससे लम्बे सफ़र के यात्रियों का बोझ कुछ हल्का हो जाय। यदि रेलों की आमदनी को घटाना नहीं है, तो ऐसी हालत में किराये की दरों में समझ-बूझ कर कमी बेशी करनी होगी। मैं किराये की दर में जो संशोधन करना चाहता हूं उसका ढांचा दूरी के आधार पर है और उसके तीन पाये हैं, पहला पाया १५० मील तक, दूसरा पाया १५१ से ३०० मील तक और तीसरा पाया ३०१ मील और उससे ऊपर।

भाड़े की दर में इन सुझावों की खास-खास बातें यह हैं : दूसरे, डयोढ़े और तीसरे दर्जे के किराये का आधार दूसरे पाये में वही होगा जो इस समय है। ३०१ मील या उससे ऊपर तीसरे पाये में किराये कम कर दिये गये हैं, जबकि १ से लेकर १५० मील के पहले पाये में किराया कुछ थोड़ा बढ़ गया है। वायु-अनुकूलित स्थान का किराया दूसरे दर्जों के किराये से कुछ अधिक बढ़ा है। एक मील पर ३० पाई की जगह पर ३४ पाई

[श्री एल० बी० शास्त्री]

रखने का विचार है। यह दर सफर के पहले ३०० मील से ऊपर ३२ पाई प्रति मील हो जायेगी। लेकिन मैं ने यह फैसला किया है कि रात में बिस्तर के लिये जो ५ रुपये अधिक लिये जाते हैं, वह न लिये जायं।

इन परिवर्तनों से किराये दर में अधिक बढ़ती नहीं होती। उदाहरण के लिये तीसरे दर्जे को लीजिये। पहले पाये में जो किराया बढ़ेगा,वह अधिकतर उन टिकटों पर लागू नहीं होगा जिन पर पाई या पाई के हिस्सों को पूर्णाङ्क मान लिया जाता है जिसे अंग्रेजी में 'राउंडिंग आफ' कहते हैं। ४९ मील तक के सफर में जो वास्तविक किराया बढ़ेगा, वह किसी भी हालत में एक आने से अधिक न होगा और ३०० मील से कम के सफर के लिये किराया अधिक से अधिक चार आने बढ़ेगा। इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष यह है कि लम्बे सफर के यात्री को कुछ छूट मिल जाती है। उदाहरण के लिये दिल्ली से मद्रास, जाने वाले तीसरे दर्जे के यात्री को इस समय जो किराया देना पड़ता है, उससे ५-५-० कम देने पड़ेंगे।

यात्री—किराये में परिवर्तन के सुझाव इस प्रकार हैं :—

यात्री—किराये

| | इस समय लागू (किराये की एकसी दर) | दूरी के आधार पर प्रस्तावित किराये की दरें | |
|---|---|---|---|
| | | मील | प्रति मील किराए की दर |
| वायु-अनुकूलित | ३० पाई प्रति मील | १–३०० | ३४ पाई प्रति मील |
| | | ३०१ और ऊपर | ३२ पाई प्रति मील |
| दूसरा दर्जा | १६ पाई प्रति मील | १–१५० | १८ पाई प्रति मील |
| | | १५१–३०० | १६ पाई प्रति मील |
| | | ३०१ और ऊपर | १५ पाई प्रति मील |
| ड्यौढ़ा दर्जा (डाक/ऐक्सप्रेस) | १०½ पाई प्रति मील | १–१५० (डाक/ऐक्सप्रेस) | ११ पाई प्रति मील |
| साधारण | ९ पाई प्रति मील | (साधारण) | ९½ पाई प्रति मील |
| | | १५१–३०० (डाक/ऐक्सप्रेस) | १०½ पाई प्रति मील |
| | | (साधारण) | ९ पाई प्रति मील |
| | | ३०१ और ऊपर (डाक/ऐक्सप्रेस) | ९½ पाई प्रति मील |
| | | (साधारण) | ८½ पाई प्रति मील |
| तीसरा दर्जा (डाक/ऐक्सप्रेस) | ६ पाई प्रति मील | १–१५० (डाक/ऐक्सप्रेस) | ६¼ पाई प्रति मील |
| साधारण | ५ पाई प्रति मील | (साधारण) | ५¼ पाई प्रति मील |
| | | १५१–३०० (डाक/ऐक्सप्रेस) | ६ पाई प्रति मील |
| | | (साधारण) | ५ पाई प्रति मील |
| | | ३०१ और ऊपर (डाक/एक्सप्रेस) | ५ पाई प्रति मील |
| | | (साधारण) | ४½ पाई प्रति मील |

किराये की दर में ये परिवर्तन १ अप्रैल १९५५ से लागू होंगे । माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इसी तारीख से इस समय के दूसरे और ड्यौढ़े दर्जे का नाम बदल कर पहला और दूसरा दर्जा हो जायगा ।

किराये की दर में इस कमी-बेशी से आमदनी में कुछ विशेष बढ़ती का अनुमान नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत कुछ लम्बे सफर के यात्रियों के भार थोड़ा हल्का करना है । लेकिन रेलवेके वित्तीय साधनोंमें सुधार की जो आवश्यकता है उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । १९५४ की कन्वेन्शन कमेटी, जिसने रेलवे की अगले वर्षों की माली हालत पर विचार किया, इस निर्णय पर पहुची कि यदि, संचालन-कार्य और मूल्य ह्रास आरक्षित-निधि के लिये पर्याप्त धन निकाल कर रेलों को ४ प्रतिशत लाभांश अगले ५ वर्षों में देना पड़े, तो इस समय के किराये-भाड़े की दर को देखते हुए रेलवे को ३१ करोड़ की कमी होगी । संशोधन कन्वेन्शन के अनुसार नयी लाइनों की पूंजी पर सूद की जो छूट दी गयी है, उससे यह घाटा कुछ पूरा हो जायगा ।

इन परिस्थितियों में माल-भाड़े की दरों में बहुत कुछ विचार के बाद मैंने परिवर्तन करने का निश्चय किया है । पूरे देश की आर्थिक स्थिति और रेलों की बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों को सामने रख कर मैंने जो परिवर्तन करने का निश्चय किया है वह नीचे दिया गया है ।

अनाज के सवाल को पहला स्थान देना होगा । अनाज के दाम एकाएक गिर गये हैं, लेकिन भाड़े के कारण अनाज कुछ महंगा पड़ता है जिसका असर खास तौर से उन कमी वाले क्षेत्रों में अनाज की कीमत पर पड़ता है जो बचत वाले क्षेत्रों से बहुत दूर हैं । इसलिए अनाज और दाल के माल-डिब्बों के भाड़े की दर में कुछ कमी करने का विचार है, जो ३०१ से ६०० मील पर ०·०२ पाई प्रति मील और ६०० मील से अधिक दूरी वाले माल-डिब्बों पर ०·०१ पाई प्रति मील कम होगी । इस तरह भाड़ की दर क्रमशः ७ प्रतिशत और ५½ प्रतिशत कम हो जायगी । अधिक से अधिक भाड़े की दर १ रु० १३ आना मन रखी गयी है जो लगभग १५०० मील का भाड़ा है । ऐसा इस-लिए किया गया है ताकि १५०० मील से अधिक दूरी के लिए अधिक भाड़ा न लिया जाय । उदाहरण के लिए, इस प्रस्तावित दर के अनुसार पेप्सू राज्य के भटिण्डा से दक्षिण में तूतीकोरिन अनाज और दाल भेजने के लिए १ रु० १३ आ० मन की दर से भाड़ा लिया जायगा, जबकि इस समय २ रु० ५ आ० मन भाड़ा लिया जाता है । इससे रेलवे की सालाना आमदनी १·२५ करोड़ कम हो जायगी ।

इसी तरह खाद को भी मैं विशेष रियायत दे रहा हूं क्योंकि किसानों के लिए खाद एक ज़रूरी चीज़ है । मेरा विचार है कि 'ब' भाग की रासायनिक खाद के डिब्बे के भाड़े की दर १०१ से ४०० मील तक के लिए ०·०२ पाई और ४०० मील से अधिक दूरी के लिए ०·०३ पाई मील कम कर दी जाय । इस तरह इसमें क्रमशः ६¼ प्रतिशत और १३ प्रतिशत की कमी हो जायगी । इसका भी अधिक से अधिक भाड़ा १ रु० १४ आ० मन रखा गया है, जो लगभग १५०० मील के भाड़े के बराबर है । उदाहरण के लिए, प्रस्तावित दर के अनुसार सिन्दरी से त्रिवेन्द्रम और राजकोट के लिए खाद भेजने पर क्रमशः १ रु० १४ आ० और १ रु० १० आ० २ पाई एक मन पर भाड़ा लिया जायगा, जबकि इस समय क्रमशः २ रु० ३ आ० ११ पाई और १ रु० १२ आ० ११ पाई मन भाड़ा लिया जाता है । इससे रेलवे की सालाना आमदनी २० लाख कम हो जायगी ।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

अब मैं "क्लास रेट" के बारे में कुछ कहूंगा। १९४८ में दूरी के अनुसार भाड़े की जो दर निर्धारित की गयी थी, उसमें फ़ासला बढ़ने के साथ-साथ भाड़े में थोड़ी सी कमी की गयी थी। उदाहरण के लिए, क्लास २ के माल के लिए ७०० मील पर जो भाड़ा लिया जाता है, वह १०० मील के भाड़े का केवल $^{1}/_{2}$ गुना है। इस पर सोच-विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूरी के आधार पर लागू भाड़े की दर में परिवर्तन करने से ही व्यापार और उद्योग के हित में दूर-दूर के माल भेजने के लिए व्यापारियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। मेरा विचार है कि ३०० मील के पहले पाये के भाड़े की दर को कुछ बढ़ा कर और ६०१ मील या उससे अधिक दूरी के तीसरे पाये के भाड़े की दर को कुछ घटा कर इस उद्देश्य को पूरा किया जाय। इसमें सन्देह नहीं कि इस परिवर्तन से रेलवे की आमदनी कुछ बढ़ेगी, और साथ ही दूरी के आधार पर भाड़ा लगाने के फलस्वरूप व्यापारियों को कुछ रियायत भी मिल जायगी।

वास्तव में विचार यह है कि ६०० मील से अधिक दूरी के भाड़े में १५ प्रतिशत कमी की जाय और पहले ३०० मील की दर को १० प्रतिशत बढ़ा दिया जाय और ३०१ और ६०० मील तक के भाड़े को ज्यों का त्यों रहने दिया जाय। इससे ८५० मील तक के भाड़े में कुछ बढ़ती तो होगी, लेकिन यह आम इस्तेमाल की अधिकतर चीजों के एक सेर पर लगभग आधी पाई से ज्यादा न होगा। दूसरी ओर ८५० मील से ऊपर के भाड़े में काफी कमी होती जायगी। उदाहरण के तौर पर, १५०० मील से अधिक दूरी के लिए वर्ग ६ में १ मन माल का भाड़ा $४^{1}/_{2}$ आने कम हो जायेगा।

पूरे डिब्बे पर भाड़े के इस समय जो दर लागू हैं, उनके पाये एकसां नहीं हैं। कम कीमत वाले माल के पूरे डिब्बों पर भाड़े की जो दर रखी गयी है, उसके शुरू के पायों के बीच दूरी कम होने के कारण व्यापारी माल को दूर भेजना पसन्द करते हैं। इस दर में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। हां, दूसरे माल के पूरे डिब्बे की दर जो "क्लास रेट" के पायों के समान नहीं है, उन्हें उसी स्तर पर ले आने का विचार है लेकिन नमक और खांडसारी के लिये दूसरे पाये की दर क्रमशः ·०३ पाई और ·०८ पाई एक ही साथ कम कर दी जायगी ताकि कुछ दूरी से ऊपर का भाड़ा कम हो जाय और किसी भी दूरी के लिये भाड़े में बढ़ती न हो।

अभी हाल के कुछ महीनों में फुटकर माल का यातायात बढ़ जाने के कारण जो समस्या खड़ी हो गयी है, मैं उसका भी ज़िक्र करना चाहता हूं। कोयले के डिब्बों को छोड़ कर डिब्बों की कुल संख्या का १५ प्रतिशत फुटकर यातायात में काम आता है, जो फुटकर यातायात के अनुपात से एकदम मेल नहीं रखता। यह बात सभी मानते हैं कि रेलों में फुटकर माल के यातायात पर अधिक खर्च होता है क्योंकि इन के लिए कुछ बड़ा डिब्बा काम में लाया जाता है और रास्ते में इन्हें कई जगह चढाना उतारना पड़ता है। साथ ही इन पर हर्जाने के दावे भी अधिक किये जाते हैं। इसलिए, यह आवश्यक समझा गया कि फुटकर माल का यातायात कम किया जाय और जो चीज़ें बड़ी तादाद या पूरे डिब्बे में भी भेजी जा सकती हैं, उन्हें फुटकर रूप में न भेजा जाये। विचार यह है कि २० मन से कम वज़न के हर मालके भाड़ेपर $१२^{1}/_{2}$ प्रतिशत 'सरचार्ज' लिया जाय। साथ ही २० मन से कम माल पर जो कम से कम भाड़ा लिया जाता है, उसे एक रुपये से बढ़ा कर डेढ़ रुपया कर दिया जाय। मुझे आशा है कि ऐसा करने से हम रेल के माल डिब्बों का अधिक उपयोग कर सकेंगे।

अब मैं १९५५–५६ के बजट अनुमान का जिक्र करूंगा। इसमें अगले साल रेल के यातायात में सामान्य बढ़ती की जो आशा है और किराये-भाड़े की दरों में जो कमी-बेशी की जा रही है, जिनका जिक्र मैंने किया है, उनके आधार पर १९५५-५६ में २९२·५० करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान २८२·८० करोड़ है। यात्री-यातायात से १०४·५० करोड़ की आमदनी का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान से २·७ करोड़ अधिक है। आमदनी में बढ़ती का अनुमान इस आधार पर किया गया है कि इस समय यातायात का झुकाव ऊंचाई की ओर है और रेलें भी बढ़ते हुए यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं। साथ ही किराये में जिन परिवर्तनों का जिक्र मैंने किया है उनसे भी आमदनी कुछ बढ़ेगी। इसी तरह, चालू वर्ष में माल-यातायात के झुकाव और माल-भाड़े की दर में जो कमी-बेशी करने का प्रस्ताव है, उसे देखते हुए १९५५–५६ में माल-यातायात से होने वाली आमदनी का अनुमान १६३·९० करोड़ रखा गया है, जो संशोधित अनुमान से ७·९० करोड़ अधिक है। लेकिन पार्सल आदि यातायात से आमदनी में लगभग एक करोड़ की कमी की सम्भावना है।

१९५५–५६ में साधारण संचालन-व्यय का बजट अनुमान २०६·५९ करोड़ रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ३·८३ करोड़ अधिक है। खर्चे में बढ़ती का कारण यह है कि कर्मचारियों की सालाना-तरक्की, यातायात में होने वाली बढ़ती के लिए नये कर्मचारियों की नियुक्ति, सामानों के अनुरक्षण और मरम्मत पर अधिक खर्च होगा। साथ ही उखाड़ी गयी लाइनें जो फिर चालू की गयी हैं, उनकी आमदनी अगले वर्ष से इस मद में न रखी जायगी।

नये कन्वेन्शन के अनुसार, मूल्य ह्रास-आरक्षित-निधि में ३५ करोड़ और सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में ३६·०७ करोड़ देने की व्यवस्था की गयी है। सरकार द्वारा संचालित गैर सरकारी लाइनों को २१ लाख और विविध-खर्च के लिए ७·५९ करोड़ की भुगतान के बाद १९५५–५६ में ७·१४ करोड़ की शुद्ध बचत की आशा है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में यह रकम ६·५७ करोड़ रखी गयी थी। इस बचत को रेलवे-राजस्व-आरक्षित निधि में रखने का विचार है ताकि पांच वर्ष की अवधि के अन्तिम वर्षों में जरूरत पड़ने पर इसमें से सामान्य राजस्व को आवश्यक रकम दी जा सके।

निर्माण-कार्य, मशीन, इंजन, सवारी-डिब्बों आदि का बजट-अनुमान, जिसमें चालू लाइनों पर राजस्वसे किये गये खर्च का अनुमान भी शामिल है, चालू वर्ष के खर्च के अनुरूप होने की सम्भावना है। इस वर्ष का संशोधित अनुमान ९५·६० करोड़ रखा जा रहा है जबकि बजट-अनुमान ९५ करोड़ है।

१९५५–५६ में निर्माण-कार्य, मशीन, इंजन, डिब्बे आदि का बजट-अनुमान १२६·६८ करोड़ रखा गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ३१·०८ करोड़ अधिक है। इसमें से ४५.०१ करोड़ नये काम और चालू लाइनों पर काम के लिए, ७६·५४ करोड़ इंजन, सवारी, डिब्बों आदि के स्टॉक के लिए, ३·३९ करोड़ मशीन और १·७४ करोड़ रोड-सर्विस में लगाने के लिए, रखा गया है। इंजन, सवारी-डिब्बों आदि के लिए जो रकम रखी गयी है उसमें अमेरिकन टेक्निकल सहयोग-मिशन के कार्यक्रम और कोलम्बो योजना के अन्दर जो इंजन, सवारी-डिब्बे

[श्री एल० बी० शास्त्री]

आदि १९५५–५६ में मिलने वाले हैं उनकी भुगतान के लिए १४·९८ करोड़ की रकम शामिल है। पूंजी, मूल्य ह्रास-निधि, विकास-निधि, चालू लाइनों पर राजस्व से होने वाले काम पर खर्च का कुल बजट-अनुमान नये कन्वेन्शन में निर्धारित नियमों के अनुसार बांटा गया है।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि बजट-वर्ष में इंजन, डिब्बे आदि के लिए जो व्यवस्था की गयी है वह पिछले साल से बहुत अधिक है। इस लागत का बहुत बड़ा हिस्सा पिछले वर्षों की देनदारियों के चुकाने में खर्च होगा। आशा है १९५५–५६ में देश में तैयार १७० रेल के इंजन हमें मिलेंगे जिनमें चितरंजन कारखाने से बड़ी लाइन के १२० इंजन और टाटा-लोको-मोटिव-कम्पनी से मीटर-लाइन के ५० इंजन होंगे। विदेशों से बड़ी लाइन के ४२५, मीटर-लाइन के १७१ और छोटी लाइन के ८ इंजन मिलने की आशा है, जबकि चालू वर्ष में बाहर से बड़ी लाइन के २६३, मीटर लाइन के १२४ और छोटी लाइन के ३१ इंजन आने को थे। इसी तरह सवारी-डिब्बों आदि के मद में भी खर्च बढ़ गया है। चालू वर्ष में १०६२ सवारी-डिब्बे और ८२०० बड़ी लाइन और ५५०० मीटर लाइन के माल-डिब्बे मिले। चालू वर्ष में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और रेल-कारखानों में तैयार १३४० माल-डिब्बे और देशी कारखानों से बड़ी लाइन के ७६०० और मीटर लाइन के ४४०० और बाहर से बड़ी और मीटर-लाइन के १२००० माल-डिब्बे मिलने की आशा है।

१९५१–५२ से १९५५–५६ के अन्त तक पंच-वर्षीय योजना की अवधि में देश के भीतर और बाहर से मिला कर लगभग १०१५ बड़ी लाइन, ५९१ मीटर-लाइन और ९६ छोटी लाइन के इंजन और लगभग ३३५०० बड़ी लाइन और २९००० मीटर-लाइन के माल-डिब्बे और ४९०० सवारी-डिब्बे मिलेंगे।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि विकास और पुनर्स्थापन की योजनाओं पर कितना काम हुआ है। नयी लाइनों को बनाने का काम तेजी के साथ किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेलों ने अच्छे ढंग से काम किया और प्रायः नियत समय से पहले ही काम पूरा हो गया है।

जिन नयी लाइनों पर काम हो रहा है, उनमें चुनार-राबर्टसगंज लाइन, राजकोट टाउन-राजकोट जंकशन नयी लाइन, मुरली-गंज-माधोपुर लाइन जुलाई, १९५४, और गांधीधाम-कण्डला लाइन अगस्त, १९५४ को यातायात के लिए खोल दी गयीं।

इनके अलावा नीचे दी गयी पांच नयी लाइनों पर काम जारी है। कुल मिला कर इनकी लम्बाई ३३५ मील है :—

(क) चम्पा-कोरबा कोल फील्ड्स रेलवे,
(ख) पठानकोट-माधोपुर,
(ग) गोप-काटकोला,
(घ) खण्डवा-हिंगोली, और
(ङ) क्विलन-इर्नाकुलम।

आशा है पठानकोट-माधोपुर, गोप-काट-कोला और चम्पा-कोरबा खण्ड पर क्रमशः जून-सितम्बर और नवम्बर १९५५ में गाड़ियां चलने लगेंगी। खण्डवा-हिंगोली लाइन का काम १९५९ में पूरा हो जाने की सम्भावना है। क्विलन-इर्नाकुलम लाइन का काम ३

भागों में बांट दिया गया है । सम्भव है कि अप्रैल १९५७ तक पूरी लाइन बन कर तैयार हो जाय । इर्नाकुलम-कोटायम खण्ड यातायात के लिए चालू वर्ष के अन्त तक खुल जाने की सम्भावना है । यह टुकड़ा ३७ मील लम्बा है । इस लाइन का क्विलन-मवेलीकर खण्ड अप्रैल १९५६ तक तैयार हो जायेगा, जो ३१ मील लम्बा है ।

बिजली की योजनाओं में कलकत्ता और उसके समीप के क्षेत्रों में बिजली की रेल चलाने के काम को प्राथमिकता दी गयी है । हावड़ा-मुगलसराय और कलकत्ता में उपनगरों में बिजली की रेल चलाने की जांच के लिए जो समिति नियुक्त की गयी थी उसने इन खण्डों का प्रारम्भिक सर्वे कर लिया है । उस अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । इसी बीच हावड़ा-बर्दवान मुख्य लाइन और हावड़ा डिवीजन की तारकेश्वर शाखा पर बिजली की गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक काम के लिए ११·८४ करोड़ की अनुमानित रकम मंजूर की गयी है । काम शुरू हो गया है और डिब्बे, इंजन आदि दूसरे सामानों के लिए विभिन्न देशों से टेण्डर मांगे गये हैं । आशा है १९५७ के मध्य तक इस खण्ड पर बिजली की गाडियां चलने लगेंगी ।

दक्षिण रेलवे में तम्बरम और बिल्लुपुरम के बीच बिजली की रेल चलाने की योजना मंजूर कर ली गयी है । इस में ३·३ करोड़ रुपये की लागत की संभावना है । योजना का ब्यौरा और उस पर खर्च का अनुमान तैयार होते ही उस पर काम शुरू हो जायगा ।

विभिन्न साधनों से ज्यों-ज्यों अधिक बिजली मिलेगी, इस में संदेह नहीं कि रेल-गाड़ियों को बिजली से चलाने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जायगा, और रेलवे प्रशासन वैसा ही कार्यक्रम बनायेंगे रेलवे बोर्ड इस पर विचार कर रहा है ।

पर-साल जिन नयी लाइनों के सर्वे का जिक्र मैं ने किया था, उन में से २५५ मील लाइन पर काम पूरा हो गया है । उनके नाम ये हैं :—

(क) इन्दौर-देवास-उज्जैन,
(ख) एटा को रेल द्वारा मिलाना,
(ग) तिलदंगा-खिजूरिया-माल्दा,
(घ) भावनगर-तारापुर, और
(ङ) फतेहपुर-चूरू ।

इनके अलावा मंगलौर-हसन और दिवादासगांव लाइनों का सर्वे अभी हो रहा है ।

शुरू साल में जिन लाइनों का सर्वे किया जा रहा था और जिन की मंजूरी चालू वर्ष में मिली है उनमें से रनिवास-भीलदी-दोहाद-इन्दौर, हृदयगढ़-दमुआ, पठानकोट, माधोपुर, गोआ-मनोहरपुर, अरंगा महानदी-ढल्ली राजहर और बाराबिल-जोडा कोयरा (प्रारम्भिक) लाइनों का सर्वे पूरा हो चुका है । लखनपुर के रास्ते माधोपुर-कथुआ और साम्बलपुर-टिटलागढ़ के अलावा गारू पहाड़ियों और रामशाई-बिन्नागुरी को रेल द्वारा मिलाने के लिये भी सर्वे हो रहा है ।

पुरे सर्वे के बाद जिन लाइनों को बनाने का फैसला हुआ है, उनका विवरण इस प्रकार है :—

(क) फतेहपुर-चूरू,
(ख) पठानकोट-माधोपुर,
(ग) इन्दौर-देवास-उज्जैन,

[ श्री एल० बी० शास्त्री ]

(घ) बाराबिल-जोडा, और

(ङ) रनिवास-भीलदी, ।

फतेहपुर-चुरू और पठानकोट माधोपुर लाइनों पर काम शुरू हो गया है । इन्दौर-देवास-उज्जैन और बाराबिल-जोडा लाइनों पर काम चालू वर्ष में शुरू होने की आशा है । १९५५-५६ के बजट अनुमान में इन कामों में खर्च की व्यवस्था की गयी है । एटा तक बड़ी लाइन बनाने की व्यवस्था भी बजट-अनुमान में की गयी है ।

भावनगर-ताराघुर लाइन का यातायात-सर्वे पूरा हो गया है । राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस लाइन को राजकोट तक बढ़ा दिया जाय । इस सुझाव पर फिर से जांच करनी होगी । राज्य भर में फैली मीटर-लाइन प्रणाली की जगह बड़ी लाइन बनाने के कारण खास तौर पर माल की अदला-बदली आदि की जो दूसरी समस्याएं उठ खड़ी होंगी, उन पर भी विचार करना होगा और तभी इस लाइन के इंजीनियरिंग सर्वे का निर्णय होगा ।

दूसरी लाइनों का सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन अभी वे विचाराधीन हैं । पश्चिमी तट पर रेलवे लाइन बनाने की योजना के सम्बन्ध में हवाई-सर्वे पूरा हो रहा है जिस से यह निश्चय किया जायगा कि क्या उस क्षेत्र में नयी रेलवे लाइनें बन सकती हैं ।

उखाड़ी गयी जिन लाइनों के नाम नीचे दिये गये हैं वे चालू वर्ष में बन कर तैयार हो गयी हैं :—

(क) अगदीपुरम-नीलाम्बूर (दक्षिण रेलवे);

(ख) उन्नाव-माधोगंज (उत्तर रेलवे);

(ग) उसलमपट्टी-बोदिनायकनूर (दक्षिण रेलवे);

(घ) नगरोटा-जोगिन्दर नगर (उत्तर रेलवे);

(ङ) भागल-पुर-मन्दार हिल (पूर्व रेलवे);

(च) सुलतानपुर-जफराबाद (उत्तर रेलवे) ;

माननीय सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने जिन १२ उखाड़ी गयी लाइनों को फिर चालू करने की मंजूरी दी थी, उन में से १० लाइनें पूरी तरह चालू कर दी गयी हैं । उतरटिया-सुलतानपुर-खण्ड पर यह काम जारी है और १९५५-५६ तक पूरा होने की सम्भावना है । पंजाब की नयी राजधानी, चण्डीगढ़ को रेल से मिलाने के लिये धन की व्यवस्था करनी पड़ी जिस की वजह से बारहवीं लाइन, रोहतक-गोहाना-पानीपत, पर काम स्थगित करना पड़ा । इस लाइन को चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले साल मैंने बतलाया था कि अधिक भीड़ वाली लाइनों और खण्डों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ विशेष कार्यवाहियां की जा रही हैं ताकि इन लाइनों पर इस समय

और आगे होने वाले यातायात की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। लाइनों की क्षमता बढ़ाने के काम के लिये १९५५-५६ के बजट में ६·१ करोड़ रखा गया है जबकि १९५३–५४ में इसी काम के लिए २·१ करोड़ और १९५४–५५ में ३·३ करोड़ की व्यवस्था की गयी थी। पर-साल बजट-भाषण में मैंने जिन खास-खास लाइनों पर इस तरह के काम का ज़िक्र किया था, उनकी स्थिति इस प्रकार है : आसाम रेल-कड़ा के सिलीगुरी अलीपुर द्वार खण्ड पर काम प्रायः पूरा हो गया है। दक्षिण रेलवे के बेजवाड़ा-मद्रास खण्ड पर ४ करोड़ खर्च किया जा रहा है। इसमें बेजवाड़ा यार्ड का ढांचा बदलने और गूदुर-रेनिगन्टा खण्ड पर मीटर लाइन की जगह बड़ी लाइन बनाने का काम भी शामिल है जिसके लिए बजट-वर्ष में १ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मध्य भारत कोयला-खान, कटनी-मारवारा और रायचूर-अराकोनम के बीच लाइन की क्षमता बढ़ाने का काम जारी है। अनार-जयचन्दी पहाड़- नैपुर और सिनी-गोमहरिया खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम भी आगे बढ़ रहा है।

चालू माली वर्ष में दूसरे जिन खास कामों की मंजूरी मिल गयी है या जिन पर काम हो रहा है, वे इस प्रकार हैं :—

(क) उत्तर रेलवे में दिलकुशा और उतरटिया के बीच दोहरी लाइन बिछाना ;

(ख) रतलाम (पश्चिम रेलवे) के मार्शलिंग यार्ड के ढांचे में परिवर्तन;

(ग) साबरमती यार्ड के ढांचे में परिवर्तन;

(घ) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-कलोल खण्ड में दोहरी लाइन बिछाना ; और

(ङ) मुगलसराय के रास्ते १५०० की जगह रोज २००० डिब्बों को चलाने के लिए आवश्यक विस्तार के काम।

१९५५-५६ के बजट-अनुमान में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो नए काम रखे गये हैं उनमें से कुछ खास ये हैं :—

(क) पूर्व रेलवे के रुरकेला-मनोहरपुर खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाना ;

(ख) दक्षिण रेलवे की उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम लाइनों की क्षमता बढ़ाने का काम ;

(ग) पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर यार्ड के ढांचे में परिवर्तन ;

(घ) पश्चिम रेलवे के असरवा यार्ड के ढांचे में परिवर्तन ; और

(ङ) पश्चिम रेलवे के फुलेरा यार्ड के ढांचे में परिवर्तन।

मैं चाहता हूं कि लाइनों की क्षमता बढ़ाने के ये काम, जहां तक हो सके, योजना की अवधि में पूरे हो जायें। मैं रेलवे बोर्ड से इसी आधार पर काम करने के लिए कह रहा हूं।

चालू वर्ष के समान १९५५-५६ के बजट अनुमान में भी कर्मचारियों के मकान के लिए ४ करोड़ से अधिक रखा गया है। मकान और कर्मचारियों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाओं के लिए सब मिला कर बजट में ५·३३ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। रेलवे ने मकान की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो काम किया है, वह इस बात से जाहिर है कि १९५२ से १९५५ तक ३ वर्षों में २४,००० से अधिक मकान बनाये गये और १९५५-५६ में १०,००० नये मकान बनाने की व्यवस्था की गयी है।

पहले की तरह १९५५–५६ के बजट अनुमान में यात्री-सुविधा के काम के लिए ३ करोड़ रखा गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी छोटे और देहाती स्टेशनों के सुधार पर जोर दिया जा रहा है। माननीय सदस्यों को एक छोटी सी पुस्तिका दी जा रही है जिसमें चालू वर्ष में किये गये इस तरह के खास-खास

[ श्री एल० बी० शास्त्री ]

कामों की सूचना दी गयी है। उसमें अगले साल का कार्यक्रम भी दिया गया है।

यहां यह बतला देना अच्छा होगा कि रेलवे की पहली पंचवर्षीय योजना में कितना काम हुआ है। योजना के पहले चार वर्षों में रेलवे विभाग लगभग २९१ करोड़ रुपये खर्च कर चुकेगा और १९५५–५६ में १२६·६८ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इसमें सन्देह नहीं कि पहली पंच वर्षीय योजना के अन्त तक रेलवे विभाग ४०० करोड़ रुपये खर्च करेगा जो उस के लिए निर्धारित है। विदेश से डिब्बे आदि मंगाने के जो आर्डर दिये गये हैं, यदि वे हमारी मांग के अनसार ठीक समय पर मिलते रहें, तो योजना के अन्त तक खर्च में १८ करोड़ रुपये भी बढ़ जायेंगे। योजना पर जो ४१८ करोड़ रुपये खर्च का अनमान है, उसमें से २६६ करोड़ चालू रेलवे राजस्व से मिला है और १५२ करोड़ सामान्य राजस्व दे रहा है।

अभी कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड ने एक योजना उप-विभाग खोला है जो एक विशेष अधिकारी के अधीन है। इसमें कुछ सीनियर टेकनिकल अफसर भी रखे गये हैं। उनका पहला काम यह होगा कि वे रेलवे को दूसरी पंच वर्षीय योजना तैयार करें और इस सम्बन्ध में रेल-प्रशासनों को निर्देश दें। योजना की प्रगति के बारे में जो रिपोर्ट आयगी उन पर ध्यान-पूर्वक विचार किया जायगा ताकि उसकी प्रगति में जो अड़चनें हों उन्हें दूर किया जा सके। रेलवे की दूसरी पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार के दूसरे सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना कमीशन की सलाह से आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जनरल मनेजरों को भी आदेश दिया गया है कि वे अपने यहां इसी तरह का उप-विभाग खोलें।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेल-परिवहन का क्या रूप होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर अब भी विचार हो रहा है। योजना का कार्यक्रम, योजना-कमीशन और राज्य-सरकारों की सलाह से तैयार करना है। कुछ राज्य सरकारों ने अभी अपने सुझाव नहीं दिये हैं। एक ऐसी विस्तृत योजना बनानी है जिससे हमारे देश की बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकतायें पूरी हों और उन क्षेत्रों में जहां अभी तक रेल की सुविधा नहीं है, रेल बनायी जा सकें।

देश में माल या यात्रियों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम रेलों के विस्तार के साथ-साथ परिवहन के दूसरे साधनों के विस्तार की भी योजना तयार करें जिनमें सड़कें, नदियां और समुद्री-मार्ग शामिल हैं। आर्थिक विकास के दूसरे क्षेत्रों में रेलें न पीछे रह सकती हैं और न रहेंगी। माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेलवे विभाग अपनी बड़ी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है और इस बात का भी उसे भरोसा है कि देश के परिवहन साधनों में प्रमुख होने के कारण वह दूसरों से आगे रहेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश में परिवहन के जो विभिन्न साधन हैं, उनमें अधिक से अधिक सहयोग बढ़ाना कितना आवश्यक है। परिवहन मंत्रालय इस पर पहले से विचार कर रहा है। इसी उद्देश्य से वहां एक अध्ययन-गोष्ठी बनायी गयी है जिसमें रेलवे विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। अध्ययन-गोष्ठी को अपनी रिपोर्ट देने में शायद कुछ समय लगेगा, इसलिए मेरा विचार है कि इस बड़े प्रश्न के केवल एक विषय पर शीघ्र ही जांच हो जाय कि रेलवे और भारतीय किनारों के समद्री परिवहन में अधिक से अधिक सम्बन्ध किस तरह स्थापित किया जाय जिससे समुद्री

परिवहन का स्थायी ढंग परविकास हो सके। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आये हुए कुछ विशेष सुझावों पर विचार करने के लिए जल्द ही एक समिति बनायी जाय। यह समिति प्रतियोगी रेल और समुद्री मार्गों के चालन-व्यय की भी विस्तारपूर्वक जांच करेगी और सुझाव देगी कि समुद्री परिवहन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जायें ताकि वे चीजें समुद्री रास्ते से भेजी जा सकें जिनके लिए यह रास्ता विशेष रूप से उपयुक्त है।

नयी लाइनों की योजना तयार करने में अभी कुछ समय लगेगा। फिर भी, मैंने रेलों को आदेश दिया है कि वे अभी से प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दें ताकि दूसरी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ होते ही काम होने लगे। जेसा मैंने पहले बताया, इसी उद्देश्य से १९५५-५६ में बहुत सी नयी लाइनों का और कई लाइनों पर दोहरी पटरी बिछाने का सर्वे किया जायगा। पहले की कुछ सर्वे-रिपोर्टों का भी इसी वर्ष पूरा करना है। लगभग १३०० मील लम्बी नयी लाइन के सर्वे और भीड़ वाले लगभग ९०० मील लम्बे खण्डों पर पहले किये गये सर्वे को पूरा करने की व्यवस्था बजट में की गयी है। दोहरी पटरी बिछाने के बजाय उन लाइनों के समानान्तर दूसरी लाइन बनाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य प्रस्तावित सर्वे से सम्बन्धित इन कामों का ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट ११ में पायेंगे।

चालू वर्ष में यात्री और माल-यातायात दोनों में सुधार की चर्चा मैंने पहले की है। १९५४–५५ के पहले ६ महीनों में सवारी-गाड़ी की मील-संख्या ३२३ लाख रही जबकि १९५३–५४ के इसी अवधि में यह संख्या ३१७ लाख थी। इसी तरह मीटर-लाइन पर यह मील-संख्या पिछले वर्ष की १८७ लाख से बढ़कर १९१ लाख हो गयी। माल-यातायात में इससे भी अधिक सुधार हुआ है। चालू वर्ष के पहले ६ महीनों में बड़ी लाइन पर मालगाड़ी की मील-संख्या २६७ लाख रही जबकि १९५३–५४ की इस अवधि में यह संख्या २५४ लाख थी। इस तरह इसमें ५·१२ प्रतिशत की बढ़ती हुई है। मीटर-लाइन पर इसी अवधि में मालगाड़ी की मील-संख्या ९९ लाख से बढ़कर १०१ लाख हो गयी। माल डिब्बों की लाइन का झुकाव बढ़ती की ओर है। अप्रैल से दिसम्बर तक बंगाल और बिहार की कोयले की खानों में कोयले की लदान की रोजाना औसत १९० डिब्बे अधिक है जबकि सभी खानों को मिला कर यह औसत २३० डिब्बे बढ़ गयी। मुगलसराय से आगे के स्टेशनों के लिए जो कोयला भेजा गया, उसकी रोज़ाना की औसत पिछले वर्ष की अपेक्षा ९९ डिब्बा अधिक रही। माल की अदला-बदली की व्यवस्था में सुधार हुआ है और माल भेजने की गति भी बढ़ गयी है। वर्ष के पहले ९ महीने में ढोये गये माल के आंकड़ों में पिछले वर्ष के पहले ९ महीने की अपेक्षा कुल मिलाकर २·६ प्रतिशत की बढ़ती हुई है।

दूर-दूर स्थानों में जल्दी माल पहुंचाने के लिए सभी मुख्य लाइनों पर एक्सप्रेस माल-गाड़ियां चलायी गयी हैं। ये गाड़ियां निश्चित समय पर चलती हैं जिसको सूचना सर्वसाधारण को पहले मिल चुकी है। फिर भी यातायात में अभी जो कमी है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। और उन्हें दूर करना ही है। कुछ खण्ड ऐसे हैं जिन पर माल भेजने में विशेष कठिनाई होती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो कदम उठाने का मेरा विचार है, उन्हें मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बतला दिया है।

पर साल मैंने क्षमता विभाग की विशेष रूप से चर्चा की थी। इस वर्ष कुछ समस्याओं का अध्ययन किया गया है। माल-डिब्बों के अधिक अच्छे इस्तैमाल के सम्बन्ध में विभाग के इस सुझाव पर अमल किया गया। साथ ही माल-गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने, अदला-बदली

[ श्री एल० बी० शास्त्री ]

के स्टेशनों पर प्राप्त सुविधाओं से लाभ उठाने, माल-डिब्बों को चालू रखने के लिए और नये रास्तों से माल पहुंचाने के सम्बन्ध में इसके सुझाव पर भी अमल किया गया जिससे बहुत कुछ सुधार हुआ है। मेरा विचार है कि इस विभाग का काम बढ़ाया जाय ताकि रेल के संचालन-सम्बन्धी दूसरे महत्वपूर्ण काम इसके अन्दर आ जायं।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि यात्रा में सुरक्षा के लिए रेलवे की ओर से कौन कौन से काम किये जा रहे हैं। आंकड़े ये बतलाते हैं कि रेल-दुर्घटनाओं की संख्या घट रही है, यद्यपि हमें दुख है कि पिछले सितम्बर में हैदराबाद के निकट एक भीषण दुर्घटना हो गयी। चालू वर्ष में जो कई दुर्घटनायें हुई, वे सामान्य सुरक्षा-नियमों को न बरतने के कारण हुई। आदमी से गलती हो ही जाती है, लेकिन गलतियों को जहां तक हो सके कम करने के लिए हमें अपनी सारी यांत्रिक शक्तियों और दूसरे साधनों को लगा देना है। अन्तर्पाशन ( Interlocking ) प्रणाली और सुरक्षा के दूसरे साधनों को हमें एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सब कहीं लागू करना है। इसलिए, मैंने यह निश्चय किया है कि इस काम पर हर साल एक करोड़ रुपये लगाये जायं और इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कामों को प्रथमता दी जाय।

रेल-कारखानों में इंजन, आदि तैयार करने के काम में स्वावलम्बन की ओर संतोषजनक उन्नति हुई है। चितरंजन के इंजन कारखाने में अब तक २०० इंजन बन चुके हैं। चालू माली-वर्ष में इसमें ९८ इंजन बनेंगे, जबकि परसाल केवल ६४ इंजन बन पाये थे। इस तरह, इस कारखाने में औसत आकार के १२० इंजन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो गया है। अब इसमें २०० इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। टाटा-लोकोमोटिव-कम्पनी से भी यह कहा गया है कि वह मीटर-लाइन के ५० इंजन की जगह ७५ इंजन तैयार करे और मेरा विचार है कि उसे १०० इंजन तक बनाने के लिए तैयार रहना चाहिये।

पैरम्बूर के सवारी-डिब्बा-निर्माण कारखाने को बनाने और उसके लिए मशीन और प्लाण्ट प्राप्त करने का काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। आशा है कि बजट-वर्ष के भीतर ही इस कारखाने में सवारी-डिब्बे बनने लगेंगे। १९५५–५६ में इसमें २० सवारी-डिब्बे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो धीरे-धीरे बढ़ कर १९५९–६० में ३५० तक पहुंच जायगा। जब यह कारखाना अपने उत्पादन-लक्ष्य पर पहुंच जायगा, तब सवारी डिब्बों में हम पूरी तरह स्वावलम्बी बन जाने की आशा रखते हैं। दूसरे रेल-कारखानों में भी अधिक सवारी-डिब्बे तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। अधिक उत्पादन की सम्भावना के प्रश्न पर अभी कुछ समय पहले बनायी गयी वर्कशाप कमेटी विचार कर रही है। इस कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट मिल गयी है। बिजली की रेलगाड़ी में चलने वाले सवारी-डिब्बे देश में बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

माल-डिब्बे तैयार करने का काम अधिकतर व्यापारिक कम्पनियां कर रही हैं। कुछ समय पहले इन कम्पनियों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे पांच साल तक १२००० माल-डिब्बे हर साल खरीदे जायेंगे। यदि वे अधिक माल-डिब्बे बना सकें तो रलवे उनसे और अधिक डिब्बे खरीदने का आर्डर दे सकती है। ऐसा करने से देशी कम्पनियों को यह मौका मिलेगा कि वे पहले से ही अपनी योजना

तैयार कर लें जिससे अधिक माल-डिब्बे बन सकें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में उन खास किस्म के अनेक डिब्बों की कमी है जिनकी हमें बहुत जरूरत है। आशा है कि माल-डिब्बे बनाने वाले कारखाने इस तरह के डिब्बे बनाने पर भी विचार करेंगे।

इस समय जो कल-पुर्जे बाहर से मंगाये जाते हैं, उन्हें अपने ही देश में बनाने का काम भी कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन इस ओर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने हाल ही में श्री जी० बी० कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है जो इस प्रश्न पर विचार करके जल्द अपनी सिफारिशें देगी।

मुझे प्रसन्नता है कि गाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्रियों को आराम और सुविधा देने की जो नीति रेलवे विभाग बरत रहा है, उसका सारे देश में स्वागत हुआ है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हर रेलवे में डिप्टी जनरल मैनेजर के दर्जे का एक अफसर रखा गया है जो इस बात की निगरानी रखेगा कि रेल-यात्रा में जन-साधारण को समुचित आराम और सुविधा मिले। इन अफसरों द्वारा रेलों और स्टेशनों में जांच और इनके दूसरे कामों से मुझे आशा है कि यात्रियों को अधिक आराम मिलेगा साथ ही स्टेशन और गाड़ियां अधिक साफ सुथरी रखा जायेंगी।

सुख-सुविधा के जो अलग-अलग काम किये गये हैं, मैं उनके ब्यौरे में जाना नहीं चाहता क्योंकि उनमें से अधिकतर काम माननीय सदस्यों को मालूम हैं। मैं केवल कुछ नये कामों का जिक्र करना चाहूंगा।

तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये शयन-यान की व्यवस्था और अलग-अलग दर्जे के यात्रियों के बीच स्टेशनों के उपाहार-गृह, विश्रामकक्ष और आने-जाने के रास्तों के उपयोग में अब तक जो अन्तर बरता जाता था उसके हटा देने का जनता ने स्वागत किया है। अब जो नये शयन-यान बनाये जा रहे हैं उनमें सोने के लिये अधिक अच्छे स्थान होंगे और साथ ही उनमें बिजली की रोशनी का अच्छा प्रबन्ध होगा और हाथ-मुंह धोने की एक और चिलमची रखी जायेगी।

कुछ बड़े स्टेशनों पर एक नये ढंग का विश्राम-कक्ष बनाया जायगा। इसमें ठहरने का भाड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इनमें सामान्य सभी सुविधायें होंगी।

तीसरे दर्जे की एक ऐसी जनता गाड़ी चलाने का विचार है जिसके एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने का रास्ता होगा। यह देखा जायगा कि इनमें क्या लाभ है। इससे कुछ डिब्बों में जो अक्सर भीड़ हो जाती है वह कम हो जायेगी और बिना टिकट गाड़ी में चलना भी घट जायेगा।

लाइन के समतल प्लेटफार्म को ऊंचा करना जहां तहां जरूरी है, वहां यह काम मुस्तैदी के साथ किया जायगा। उन स्टेशनों पर यह काम पहले किया जायगा जहां जनता श्रमदान देकर इसमें हाथ बटायेगी। स्वेच्छा से दिये गये इस प्रकार के सहयोग का रेलवे स्वागत करेगी और उसमें अपना योग भी देगी।

कुछ लाइनों पर अब भी भीड़ होती है और उसे दूर करना है। डिब्बे और इंजन जब अधिक संख्या में मिलने लगेंगे, तो भीड़ बहुत कुछ कम हो जायगी। इस सम्बन्ध में हम जो काम करना चाहते हैं, उनमें दो प्रमुख हैं। पहला, थोड़ी दूरी के लिए डीजल रेल-गाड़ियां चलायी जाय और दूसरा, शटल-गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जायं। डीजल गाड़ियां आ गयी हैं और उन रेलवे प्रशासनों को दी जा रही हैं जिन्हें इनकी अधिक जरूरत है।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास भी उपनगरीय गाड़ियों में दिनों में कभी कभी हुत अधिक भीड़ हो जाती है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कमेटी बनाने का निश्चय किया है जो इस बात की जांच करेगी और समस्या को सुलझाने के लिए सुझाव देगी।

रेलों में खाने-पीने की व्यवस्था से सम्बन्धित सारी बातों की जांच और उसमें सुधार के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी थी; उपमंत्री श्री ओ० बी० अलगेशन जिसके प्रधान थे। कमेटी ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उनके ब्यौरे में न जाकर मैं केवल कुछ विशेष बातों का ही ज़िक्र करूंगा। मैंने रेलवे बोर्ड को सुझाव दिया है कि खाने-पीने की चीज़ों और उनकी व्यवस्था को एक अच्छे स्तर पर रखने के लिए होटल, जलपान गृह, और दूकानों की जांच के काम में गैर-सरकारी लोगों का भी समुचित रूप से सहयोग लिया जाय। कमेटी ने भोजन के सम्बन्ध में जो प्रतिमान भोजन-सूची रखने की सिफारिश की है, उस पर मैंने इस बात की जांच के लिए कहा है कि क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों की रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह की कोई प्रतिमान भोजन-सूची तैयार की जा सकती है जिसे अधिकतर लोग पसन्द करें। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि पुराने भोजन-यानों को बदलने और उनमें नये सामान रखने का काम यथाशीघ्र पहले किया जाय। खोंमचे के ठेकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सबसे अधिक संख्या में यात्री खोंमचे वालों से ही खाने-पीने की चीज़ें लेते हैं। इसलिए में चाहता हूं कि अच्छी क़िस्म की पूड़ी और दूसरे सामान पकेट में बेचने की सुविधा दी जाय। पैकेटों में खाने-पीने की जो चीजें रखी जायें वे स्वास्थ्यकर और सादी हों। इन पैकेटों के सामान का प्रतिमान, उनके दाम बहुत सोच-विचार कर तय किये जायं ताकि सब दर्जे के यात्री इन्हें खरीद सकें।

खोये या नष्ट माल के हर्जाने के दावों के निबटारे के सम्बन्ध में मैं ने पिछले बजट-भाषण में जिन सुधारों का ज़िक्र किया था, वे जारी हैं। हर्जाने के रूप में जो रक़म देनी पड़ी, उसमें भी कुछ कमी हुई ह। १९५२–५३ में ३·१९ करोड़ हर्जाना देना पड़ा ज कि १९५३-५४ में यह रक़म घट कर २·८९ करोड़ रह गयी। हर्जाने की दी गयी रकम में जो कमी हुई है उसका एक कारण यह भी है कि रेलवे की ओर से इसकी रोकथाम के लिए कई उपाय किये गये। पुराने मामलों को निबटाने के काम पर इस समय विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पर-साल बजट-भाषण में, मैंने कहा था कि रेलों के सुरक्षा-संगठनों को सुधारने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड में सुरक्षा-सलाहकार की नियुक्ति की गयी है और हरएक रेलवे में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिसका दर्जा डी० आई० जी० का होगा। उस समय मैंने यह भी कहा था कि सुरक्षा-कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है जिससे सुरक्षा संगठन मज़बूत हो जाय। इन सब सुझावों पर काम हो रहा है। परन्तु माननीय सदस्य यह बात स्वीकार करेंगे कि चोरी से होने वाले नुकसान को रोकना मुख्यतः राज्यों के गृह-विभाग का काम है; परन्तु यदि रेल के सुरक्षा-दल को गिरफ्तारी, तलाशी और जांच करने का अधिकार दे दिया जाय और उसके एक टुकड़े को भली भांति हथियारबन्द किया जाय, तो सुरक्षा-दल अच्छा काम कर सकेगा। इस पर विचार किया जा रहा है। इस समय उसकी जो स्थिति है, उसे देखते हुये ऐसा जान पड़ता है कि वाच

एण्ड वार्ड विभाग को जो काम सौंपा गया है वह उसकी शक्ति से बाहर है। मैं इस बात को अच्छी तरह अनुभव करता हूं कि रेल के सुरक्षा-संगठन को उन दूसरे संगठनों से नीचा नहीं माना जाना चाहिये, जिन्हें बहुत कुछ इसी तरह का काम सौंपा गया है। इसे पुनः संगठित किया जा रहा है जिससे इसका दर्जा बढ़ें, इसको नये अधिकार मिलें और उसके काम करने की शक्ति अधिक हो जाय। इसके लिए एक समुचित कैडर बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है जिससे इस विभाग के कर्मचारियों और अफसरों को तरक्की और अच्छा काम करने का मौका मिल सके।

पिछले साल बजट-भाषण में मैंने रेलों के काम में खादी के प्रयोग की चर्चा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेल क्रमशः खादी को अधिक अपना रही हैं। जहां मिल के कपड़े से खादी बदली जा सकती है वहां उसे अपनाया जा रहा है और इस तरह खादी की सूची में कुछ सामान बढ़ गये हैं। खादी-बोर्ड को उन सभी चीज़ों की सूची दे दी गयी है जिनके लिए अब तक मिल का बना कपड़ा इस्तैमाल किया जाता है ताकि खादी-बोर्ड उनमें से कुछ सामान चुन ले और रेलों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर वैसा ही माल तैयार करे। मुझे आशा है कि चौथे दर्जे के कर्मचारियों की वर्दी में जिनके लिए सबसे अधिक खादी की ज़रूरत होगी मिल में बने कपड़े की जगह खादी काम में लायी जा सकेगी। रेलवे-विभाग में यह सबसे बड़ी मांग है। इसका मतलब यह होगा कि रेलें बहुत बड़ी मात्रा में खादी खरीदेंगी। आशा है, हमें वह मिल भी जायगी।

मेरे सम्मानित पूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी जी ने रेलों को पुनर्गठित करने का जो कदम उठाया वह ठीक दिशा में था। छोटी-छोटी बहुत सी रेलों का मिलना केवल रेलों के प्रशासन के हित में ही नहीं, देश के बड़े हित में भी अनिवार्य था। मैं समझता हूं कि अब हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिये। हमें यह मानना पड़ेगा कि ज्यों ज्यों रेलों का विकास होगा, उन पर काम का बोझा भी बढ़ता जायगा। पिछले बजट-भाषण में मैंने कहा था कि पुनर्गठित रेलों के संचालन सम्बन्धी अलग-अलग विषयों की जांच करने का काम मैं क्षमता विभाग को सौंप रहा हूं जो अभी हाल में खोला गया है। इस विभाग की जांच से यह बात पक्की हो जाती है कि रेलों के पुनर्गठन के बाद हर एक क्षेत्र में काम का भार बढ़ा है और कहीं-कहीं तो यह भार अधिक बढ़ गया है। फिर भी, प्रसन्नता की बात है कि अधिक भार होने पर भी रेलों ने अच्छे ढंग पर काम किया है। इस कार्यभार के प्रश्न पर बराबर निगरानी रखनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि देश के बढ़ते हुए आर्थिक ढांचे में रेल संगठन स्थिर नहीं रह सकता। सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सदा इस बात की कोशिश करूंगा कि रेलों का संगठन ऐसा हो ताकि वे परिवहन की आवश्यकताएं पूरी कर सकें और साथ ही उनके काम के ढंग का स्तर भी ऊंचा रहे।

मालभाड़े के वर्तमान ढांचे पर बहुत कुछ मतभेद रहा है और इस पर फिर से जांच और विचार करने की बराबर मांग की गयी है। अपने भाषण में मैंने इस प्रश्न पर सविस्तार विचार न कर के, केवल किराये-भाड़े की दरों में कुछ संतुलन सा किया है। परन्तु इस पर व्यौरेवार जांच करने के लिए मैं एक कमेटी नियुक्त करने की बात सोच रहा हूं।

पिछले कई साल से किराये में रियायत देने की हम उदार नीति बरत रहे हैं; विशेष रूप से ऐसी यात्राओं के लिए जिनका सम्बन्ध शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण के दूसरे किसी कार्य से हो। इन रियायतों का आर्थिक प्रभाव बहुत कुछ इस बात से प्रकट होता है कि १९५३-५४ में एक यात्री पर रेल की औसत आमदनी

[श्री एल० बी० शास्त्री]

५·२२ पाई से गिर कर ५·१७ पाई हो गयी। जो रियायतें साधारणतः विद्यार्थियों को दी जाती हैं अब उन लोगों को भी दी जा रही हैं जिन्होंने पढ़ाई समाप्त करने के बाद स्कूल या विश्वविद्यालय छोड़ दिया है और जिनका नाम उस संस्था में नहीं है। यह रियायत परीक्षा देने के ३ महीने बाद तक मिलती है। साधारण स्पेशल गाड़ियों पर गाड़ी रोकने का जो कम से कम 'चार्ज' लिया जाता है, वह विद्यार्थियों की स्पेशल गाड़ियों से नहीं लिया जायगा क्योंकि यह देखा गया है कि आम तौर पर विद्यार्थी और शिक्षा-संस्थायें यह नहीं दे सकतीं। इसलिए यदि विद्यार्थियों की टोली ४०० से कम न हो, तो उनकी स्पेशल गाड़ियों पर ये चार्ज नहीं लगेंगे।

मेरा विचार है कि राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किसान-टोलियों को भी यही रियायत दी जाय।

कम से कम चार की टोली में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को जो रियायती-पर्यटन-टिकट दिये जाते हैं वे प्राइमरी और सेकण्डरी स्कूल के अध्यापकों को दिये जायेंगे।

जो लोग राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-केन्द्रों में स्वेच्छा से सेवा करने जायेंगे या सेवा के बाद घर लौटेंगे, उन्हें भी आम तौर पर मिलने वाली रियायत दी जायगी।

१५०० मील या उससे अधिक दूरी के लिए सैर या तीर्थ यात्रा स्पेशल गाड़ी के किराये की दर साधारण किराये का तीन-चौथाई रखी गयी है। रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए जो 'चार्ज' लिया जाता है वह हर स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकती है दिन के पहले १२ घण्टों के लिए नहीं लिया जायगा।

मेरा यह भी विचार है कि लड़ाई के बाद पहली बार अगले दशहरे और दिवाली में रियायती दर पर छुट्टी के वापसी टिकट फिर जारी किये जायें

कई बार दोनों सदनों में इस बात की चर्चा की गयी है कि प्लेटफार्म टिकट का दाम घटाना जरूरी है। मेरा विचार है कि पहली अप्रैल १९५५ से प्लेटफार्म टिकट का दाम दो आने से घटा कर एक आना कर दिया जाय।

रेलों के पुनर्गठन के बाद १९५१ और १९५२ में भूतपूर्व रियासती रेलों के अफसरों की अग्रता-सूची तैयार करने में कई कठिनाइयां थीं। जो हालत है उस में एक-सा नियम लागू करना कठिन है और इसका कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो सकता जिस पर आलोचना न की जा सके। फिर भी इस मामले पर अभी कुछ दिन पहले विचार हुआ है और आदेश जारी किये जा रहे हैं। आशा है सम्बन्धित सभी लोगों को यह निर्णय स्वीकार होगा।

क्लास २ सर्विस के अफ़सरों को क्लास १ में तरक्की देने का सवाल कई बार उठाया गया है। क्लास १ में तरक्की का जो अनुपात रखा गया था वह इस समय पूरा लागू किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को मैं बतलाना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में इस अनुपात के आधार पर और पहले की जगहों को मिला कर कुल ९१ जगह खाली थीं जिनमें से ८० की तरक्की का आदेश दिया जा चुका है और शेष ११ के बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड की नयी नीति के अनुसार तरक्की वाली जगहों पर नियुक्ति नयी भर्ती के साथ या उससे कुछ ही बाद कर दी जायगी। क्लास २ के ३५ अफ़सरों को क्लास १ में तरक्की देने का चुनाव हो रहा है ताकि इनकी तरक्की नयी भर्ती के साथ-साथ की जा सके।

पुनर्गठित रेलों के कर्मचारियों की मिली-जुली अग्रता-सूचियां तैयार हो चुकी हैं या प्रायः तैयार हैं। तैयार सूचियां प्रकाशित की जा रही हैं। इसके बाद कर्मचारियों या यूनियनों के निवेदनों पर विचार किया जायगा। सम्भव है, यूनियनों की सलाह से जो अग्रता सम्बन्धी नीति बनायी गयी थी, उसमें अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार मामूली हेर-फेर करना पड़े। इसलिए फेडरेशन और यूनियनों की सलाह से यह विचार किया गया है कि रेलवे को इतनी छूट दे दी जाय कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी या कुछ मामलों में थोड़ा- हुत हेर-फेर कर लें ताकि इन नियमों के कारण वहां कुछ अन्तर यदि रहे भी तो वह कम से कम हो। यह मान लिया गया है कि यूनियन की सलाह से किसी सिद्धान्त के आधार पर रेलवे जो निर्णय करे, वही अन्तिम होगा।

जैसा मैंने पिछले बजट-भाषण में कहा था, २००—३०० और इससे अधिक वेतन-क्रम वाले पदों को प्रवर-पद मान लिया गया है। इसके अलावा १५०—२२५ वेतन-क्रम के कुछ उन पदों को भी इसमें रखा गया है जिनमें किसी हद तक निगरानी और निजी जिम्मेदारी का बोझा है। इस पर मैंने फिर विचार किया है। मैं समझता हूं कि प्रवर और अप्रवर पदों के बीच अन्तर रखने के लिए नमनीय नीति अपनाने की आवश्यकता है। मैं रेलवे बोर्ड को सुझाव दे रहा हूं कि यूनियन की सलाह से सभी पदों की एक व्यौरेवार सूची तैयार की जाय।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे-फैडरेशन के बीच जिन मामलों पर समझौता नहीं हो सका था, उन्हें निबटाने के लिए एक अधिकरण नियुक्त किया गया था। इसकी बैठक जल्द शुरू होने वाली है। मैंने यह उचित समझा है कि इस बीच में यदि और कोई खास मामले हों, तो उन्हें भी इसे सौंप दिया जाय। यह तय किया गया है कि ऐसे दूसरे मामलों की सूची भारतीय रेल-कर्मचारी राष्ट्रीय-संघ के साथ बातचीत करके बना ली जाय।

मैं रेलवे राजस्व से कर्मचारी-उपकार-निधि में दी जाने वाली रकम को बढ़ाने के सुझाव पर विचार कर रहा हूं ताकि रेलें इस निधि से होने वाले कामों पर अधिक खर्च कर सकें। इस निधि से कर्मचारियों को शिक्षा-सम्बन्धी सहायता दी जाती है क्योंकि रेलवे के नियमों में इस तरह की सुविधा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों और उनके बच्चों के मनोरंजन के लिए भी इसमें से खर्च होता है ; वर्तमान और भतपूर्व कर्मचारियों अथवा उनके परिवार को संकट के समय कुछ सहायता दी जाती है जो रेलवे के सामान्य नियमों के अनुसार नहीं दी जा सकती। साथ ही इससे कर्मचारियों के परिवार के इलाज और प्रसूति-सम्बन्धी योजनाओं को भी धन दिया जाता है। इस सवाल पर अन्तिम फैसला मैं जल्द ही करूंगा।

रेलवे बस्तियों के सम्बन्ध में जो नीति हम बरतना चाहते हैं, उसका मैं थोड़े में जिक्र करूंगा। कुछ बड़ी-बड़ी जगहों को छोड़कर रेलवे बस्तियां किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं बनायी गयी हैं ताकि उनमें मनोरंजन और पार्क आदि की व्यवस्था हो सके। चूंकि अब हम कर्मचारियों के लिए बड़ी तादाद में जल्द मकान बना रहे हैं, इसलिए रेलवे प्रशासनों को आदेश दिया गया है कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें। वास्तव में इन बस्तियों को अच्छे ढंग पर बसाना ही ठीक है।

कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधा के कार्यक्रम में हम इस योजना पर विचार कर रहे हैं कि कुछ अच्छे पहाड़ी स्थानों या समुद्र के किनारे या दूसरे सुन्दर स्थानों में विश्राम-

[श्री एल० बी० शास्त्री]

गृह बनाये जायें, जहां कम खर्च में आराम के साथ वे छुट्टी बिता सकें।

रेलवे कर्मचारियों को डाक्टरी सुविधा देने की ओर मेरा बराबर ध्यान रहा है और इसके ब्यौरे में जाकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। कुछ समय से मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि रेलवे के डाक्टरों को रेलवे बोर्ड से हिदायत मिलनी चाहिये। इसलिए, डाक्टरी सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड एक विशेष अफ़सर को, जो डाक्टर होगा, नियुक्त करने का विचार कर रहा है। इस अफ़सर का काम यह होगा कि वह डाक्टरी सुविधा में सुधार के लिए पहले की जो रिपोर्टें हैं, उनकी जल्द जांच करे, साथ ही, औषधि और अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की योजना तैयार करे और इस सम्बन्ध में जो फैसले हों, उन पर अमल कराये।

रेल-कर्मचारियों की शिक्षा और ट्रेनिंग को मैं बड़ा महत्व देता हूं। ट्रेनिंग की नयी संस्थायें खोली जा रही हैं और चालू संस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनमें उन सब नये कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा सके जिन्हें काम पर लगाने से पहले शिक्षा की आवश्यकता है। इसी तरह पुराने कर्मचारियों को भी समय-समय पर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जायगी। यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को उनके काम के सबसे नये ढंग से परिचित रखा जाय ताकि वे अच्छा काम कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे और कर्मचारियों तथा उनके फेडरेशन के बीच पूरे साल बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा। रेल-कर्मचारियों में प्रशंसनीय एकता रही है। मैं चाहता हूं कि यह एकता बनी रहे। इससे वे आगे बढ़ेंगे और साथ ही अपने फेडरेशन को भी अधिक मजबूत बना सकेंगे। कभी-कभी व्यक्तिगत मतभेदों और दूसरे कारणों से कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, लेकिन आशा है, उनके नेता आपसी मतभेदों को दूर करने में सफल होंगे। मुझे इस में तनिक भी सन्देह नहीं कि यह एकता फेडरेशन को अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनायेगी और इसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे।

रेलवे और यूनियनों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। सच तो यह है कि यह एक स्वाभाविक और बराबर चलने वाली बात है। लेकिन आवश्यकता इस की है कि फेडरेशन और रेलवे, दोनों देश की उन्नति और खुशहाली के समान हित के प्रति जागरूक रहें। मैं सबसे अपील करूंगा कि दोनों पक्षों में मिल कर समस्याओं को निबटाने का जो साधन अभी कुछ दिन पहले ही बनाया गया है उसे अपना सहयोग दें। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं ताकि यह अपना काम अच्छी तरह कर सकें। इस सम्बन्ध में फेडरेशन की सलाह से मैं जल्द ही कुछ कारवाई करूंगा।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं रेलवे बोर्ड के पहले के सदस्यों के सहयोग और उन की सहायता की प्रशंसा करना चाहूंगा जिनका कार्यकाल सितम्बर १९५४ में समाप्त हुआ है। रेल के इतिहास के सबसे कठिन समय में उन्होंने भारतीय रेलों का संचालन किया और खूबी के साथ अपना कर्तव्य निभाया। नये रेलवे बोर्ड में एक अधिक सदस्य रखा गया है। बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं और उन्हें पहले के रेलवे चीफ कमिश्नर के अधिकार और कर्तव्य दिये गये हैं। बोर्ड के नये सदस्यों ने उत्साह और निष्ठा के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं।

रेलवे का संगठन कितना ही अच्छा क्यों न हो, परन्तु उसका कुशल संचालन विशेष

रूप से उन लोगों पर निर्भर है जो उसे चलाते हैं। यदि उनमें योग्यता और समय के अनुसार उत्साह नहीं है और वे मलरूप से लोकतंत्री विचारों में विश्वास नहीं रखते, तो रेलवे विभाग की शक्ति बिखर जायगी और उसका लक्ष्य पूरा न हो सकेगा, अतएव रेलवे के अफसरों और दूसरे भाइयों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उन्हें सेवा का ऊंचे से ऊंचा आदर्श अपने सामने रख कर अपने कर्तव्य को सुन्दरता से निभाना है।

---

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—जारी

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम डा० मन मोहन दास द्वारा १८ दिसम्बर, १९५४ को प्रस्तुत किए गए विश्व-विद्यालय आयोग विधेयक से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एस० दास) :** पिछले सत्र के दौरान में मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। क्योंकि मेरे पास समय अधिक न था, इसलिए मैं अपना भाषण पूरा न कर सका था।

एक समय था जबकि विश्वविद्यालय, एक छोटे से सौभाग्यशाली वर्ग के लिए ही सांस्कृतिक विलास के स्थान माने जाते थे। परन्तु आज वह धारणा समाप्त हो चुकी है। आज हमारे सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में महान् परिवर्तन आ चुके हैं और आज हमारा देश विश्व विद्यालय की शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को अधिक अनुभव कर रहा है।

देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व भी, विश्व-विद्यालय की उच्च शिक्षा की मांग अधिक थी। स्वतन्त्रता के उपरान्त यह मांग और भी बढ़ गयी है। उच्च शिक्षा की यह आकांक्षा न ही केवल इस रूप में प्रकट हुई है कि विश्व-विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गयी है, अपितु इस रूप में भी प्रकट हुई है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त बहुत से नये विश्व विद्यालय भी उत्पन्न हो गए हैं। १९४७ के उपरान्त लगभग १२ नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए और आज भारत में विश्व विद्यालयों की कुल संख्या ३१ हो गयी है।

१९४८–४९ में हमारे विश्वविद्यालयों में कुल २,२३,०८१ विद्यार्थी थे। १९४९–५० में इन की संख्या ३,६६,९८६ थी और १९५२-५३ में यह ४,४३,०६१ हो गई थी। विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ने के कारण देश में अधिक विश्वविद्यालयों की मांग पैदा हुई है और विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सरकार के लिए दो गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पहली यह है कि विश्वविद्यालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाय और दूसरी यह कि इन के स्तरों को बनाये रखा जाये। सदन को ज्ञात है कि किसी भी देश में विश्व-विद्यालय वित्त के मामले में आत्म-निर्भर नहीं है और भारत में भी ऐसा ही है। हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस से जो रुपया प्राप्त होता है, वह उनके कुल व्यय का छोटा सा अंशमात्र है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक लड़के या लड़की के लिए सरकारी कोष से काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि १९४९-५० में विश्वविद्यालयों को कुल व्यय का ३८ प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने दिया इसके बाद के वर्षों में सरकारी सहायता और भी बढ़ गई है, किन्तु इस सहायता के बावजूद भी हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति संतोष-जनक नहीं है। विश्वविद्यालय उद्योग ने कहा है कि अधिकतर विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं और उनकी आय से उनकी आवश्यकताएं

[ डा० एम० एम० दास ]

पूरी नहीं हो सकतीं। दूसरी ओर विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि शिक्षा की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, अध्यापकों के वेतन कम हैं, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय सुसज्जित नहीं हैं, स्थान कम हैं, और विद्यार्थियों की अपेक्षा अध्यापकों की संख्या कम है। इन सब बातों के फलस्वरूप हमारे विश्वविद्यालयों में स्तर गिर गये हैं।

विश्वविद्यालयों में समन्वय बनाये रखना सरकार के लिए एक और समस्या है। यह कोई नई समस्या नहीं है। १९२४ में तत्कालीन भारत सरकार ने अनुभव किया था कि इस काम के लिए एक निकाय बनाना आवश्यक है। अतः अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड बनाया गया था। यह बोर्ड अब तक एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता रहा है। किन्तु यह हमारे विश्वविद्यालयों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल सका। यद्यपि इस बोर्ड के सदस्य मुख्यतया विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, तथापि हमारे विश्वविद्यालयों ने हर समय इस के परामर्श को नहीं माना। परिणाम यह कि हमारे विश्वविद्यालयों में समन्वय नहीं है।

संविधान के अनुसार विश्वविद्यालयों के स्तरों को बनाये रखने और उन में समन्वय स्थापित करने का सारा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५१ में विश्वविद्यालय (स्तर विनियमन) विधेयक १९५१ प्रारूपित किया था। इस विधेयक के द्वारा एक अनुविहित निकाय, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् स्थापित करना अपेक्षित था और इसका काम विश्वविद्यालयों के स्तर बनाये रखना और उनमें समन्वय स्थापित करना था। इस विधेयक को विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में नवम्बर १९५२ में केन्द्रीय सरकार ने एक संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी पुनः स्थापित कर दिया था। इस आयोग का काम विश्वविद्यालयों की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार करना और उन्हें केन्द्रीय कोष से आवश्यक वित्तीय सहायता देना था।

सदन को याद होगा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने अपनी उस रिपोर्ट में जो कि १९४३ में प्रकाशित हुई थी एक ऐसे निकाय के स्थापित किये जाने की सिफारिश की थी। अतः इस सिफ़ारिश के अनुसार भारत सरकार ने १९४५ में विश्वविद्यालय अनुदान समिति नियुक्त की थी। इस अनुदान समिति ने १९५० तक काम किया था, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार हो जाने तक इस का काम स्थगित कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उसी प्रकार का एक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से तत्काल बनाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी और १९५२ में एक संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनः स्थापित कर दिया था।

अतः अब सरकार के सामने दो प्रस्ताव थे। एक यह था कि विश्वविद्यालय (स्तर विनियमन) विधेयक के अन्तर्गत, स्तर और समन्वय बनाये रखने के लिए एक अनुविहित निकाय, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् स्थापित किया जाये। दूसरा यह था कि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कोष से धन देने और उनको विकसित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया जाये।

इन मामलों पर विचार करने के लिए अप्रैल १९५३ में दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था । इसने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि दो पृथक् निकाय स्थापित करने की बजाये एक अनुविहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करना और इसे दोनों निकायों को दिये जाने वाले अधिकार तथा कृत्य देना अधिक अच्छा होगा । अतः वर्तमान विधेयक इस आधार पर प्रारूपित किया गया है । यह इस विधेयक का संक्षिप्त इतिहास है ।

इसके विभिन्न उपबन्धों के बारे में मुझे इस अवस्था पर अधिक नहीं कहना है । माननीय सदस्य स्वयं इन के बारे में राय देंगे । किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार ने अच्छी तरह यह स्मरण रखा है कि इस विधेयक का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से है, जिनका प्रबन्ध बड़े बड़े विद्वान, ईमानदार और ऊंचे चरित्र वाले कुलपतियों और प्राध्यापकों के हाथ में है । सरकार ने इसके प्रत्येक उपबन्ध पर अच्छी तरह विचार किया है और इस बात को ध्यान में रखा है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में इनका कितना महत्व है । देश का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हमारे विश्वविद्यालयों को विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में कितनी सफलता प्राप्त होती है । राष्ट्र का भविष्य हमारे विश्वविद्यालयों से निकलने वाले नवयुवक स्नातकों के सामर्थ्य और नेतृत्व पर निर्भर है । हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय केन्द्र होने चाहिएं जहां सारे देश से विद्यार्थी और अध्यापक इकट्ठे हों और भारत की संस्कृति से प्रभावित हों । इस विधेयक को तैयार करते समय भारत सरकार ने यह चित्र अपने सामने रखा है ।

हमने इसे कुलपतियों में परिचालित किया है और उन से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए । हमारा विचार है कि इन्हें संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखा जाये ।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या ये अन्य सदस्यों को भी उपलब्ध कराये जायेंगे ?

**डा० एम० एम० दास** : यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार दूसरों की राय सुनने के लिए तैयार है । इसके बारे में बाहर के लोग अर्थात् विश्वविद्यालयों के कुलपति और राज्य सरकारें सहमत हैं । हमें आशा है कि सदन के अन्दर भी उतनी सहमति प्राप्त हो सकेगी । इसलिए मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने तथा उनका स्तर निर्धारित करने के हेतु एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य इस सभा के, अर्थात्, श्री नरहरि विष्णु गाडगील, श्री पी० बी० गांधी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी, श्री आर० वी० धुलेकर, श्री बीरबल सिंह, पंडित अलगूराय शास्त्री, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेटियार, श्री एस० सिन्हा, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री ए० एम० थामस, श्री एन० राचय्या, श्री दीवान चन्द शर्मा, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री राधेलाल व्यास, मुल्ला अब्दुल्लाभाई मुल्ला तेहर-अली, श्री कृष्णाचार्य जोशी, पंडित

[सभापति महोदय]

लिंगराज मिश्र, डा० मनमोहन दास, श्री रामेश्वर साहू, श्री जयपाल सिंह, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, हिज़ हाईनेस राजा राजेन्द्र नारायण सिंह देव, श्री बी० एच० खर्डेकर, श्री मेघनाद साहा, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री पी० एन० राजभोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति अपना प्रतिवेदन इस सभा के सामने ३० अप्रैल, १९५५ तक प्रस्तुत करेगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया-नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें ;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर): यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारत की शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से, विश्वविद्यालय प्रणाली, में काफी परिवर्तन हो जायेगा। सरकार के अत्यावश्यक कर्त्तव्यों में एक यह भी है कि वह उचित प्रकार की शिक्षा और समुचित प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करे। संविधान के अनुसार भी विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली में एकरूपता लाने और उनका स्तर निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस विधेयक के पेश करने वालों ने संविधान के इस उपबन्ध का गलत अर्थ लगाया है कि इस प्रकार विश्वविद्यालय के सामान्य मामलों में भी कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जायेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच कैसा सम्बन्ध होना चाहिए। मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का पक्षपाती हूं। पर सरकार विश्वविद्यालयों को धन देने के बहाने उन पर कार्यपालिका का नियंत्रण लागू करना चाहती है। शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो पाया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि शिक्षा में एकरूपता लाने और उसका स्तर निश्चित करने का अधिकार संविधान के अनुसार संसद् को सौंप दिया जाय पर संसद् और सरकार में अन्तर है। यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा तो केन्द्रीय सरकार आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों को आदेश और अनुदेश दिया करेगी। संविधान में कार्यपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है पर इस विधेयक के अनुसार यह अधिकार सरकार को मिल जायेगा। विश्वविद्यालय-शिक्षा में एकरूपता लाने और उसका स्तर निर्धारित करने के लिए एक अन्य छोटी सी संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम तो केवल धन वितरण की सिफारिश करना है पर इस विधेयक के अनुसार उसे अन्य बहुत से अधिकार भी दिये गये हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार इस आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों पर पूरा नियंत्रण रखेगी। शिक्षा का विषय राज्यों के अधिकार में होता है, केन्द्र केवल एकरूपता लाने या स्तर निर्धारित करने के कार्य में ही

हस्तक्षेप कर सकता है । मैं समझता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में वित्तीय मामला तो अनुदान आयोग के हाथ रहे और शेष सभी बातें किसी अन्य संस्था को सौंप दी जायें । मैं नहीं समझता कि सरकार सभी प्रकार के अधिकार अनुदान आयोग को क्यों देना चाहती है । अधिकारों के इस प्रत्यायोजन में केवल प्रक्रियात्मक मामले ही सम्मिलित नहीं हैं, इस विधेयक के खण्ड २७ में आयोग को इस अधिनियम के अनुसार विनियम बनाने का अधिकार होगा । वह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं निश्चित करेगा पर यह कार्य प्रक्रियात्मक नहीं है । विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार या सरकार की कार्यपालिका को बहुत अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें ।

सरकार के हस्तक्षेप से विश्वविद्यालयों का वातावरण बहुत गन्दा हो गया है । विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में राजनीति का हस्तक्षेप है और इस विधेयक के द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप और भी बढ़ जायेगा । इससे शिक्षा का बड़ा अहित होगा ।

अतः कर्त्तव्यों का बटवारा दो संस्थाओं में किया जाना चाहिए । कार्यपालिका को इतना अधिक अधिकार देना बहुत हानिप्रद सिद्ध होगा ।

आज अगर आप राज्यों के विश्वविद्यालयों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह राजनीति के अखाड़े बने हुये हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकारी नियंत्रण के अधीन उनका काफी पतन हो गया है । उनका वातावरण साम्प्रदायिक है । मैं समझता हूं कि विश्व विद्यालयों को स्वायत्तता का अधिकार दिया जाना चाहिए । द्वैध शासन में राज्य तथा केन्द्र दोनों का नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर होगा और यह शिक्षा के लिए बहुत हानिकारक होगा । अतः यदि यह विधेयक पारित होगा तो विश्वविद्यालयों की स्वायतत्ता छिन जायेगी ।

मैं चाहता हूं कि अनुदान आयोग केवल इस बात की जांच करे कि किस विश्वविद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । पर इस विधेयक के अनुसार उसके अधिकार इससे बहुत अधिक हो जायेंगे वह विश्वविद्यालय के किसी भी मामले——एकरूपता स्थापित करने और स्तर निर्धारित करने——में दखल दे सकेगा । इससे कठिनाइयां बढ़ेंगी । यदि अनुदान आयोग को ही दोनों कार्य —आर्थिक स्थिति की जांच करना और शिक्षा का स्तर निश्चित करना——सौंपे जायेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि हो सकता है कि आयोग के सदस्य दोनों कार्य के लिए सक्षम न हों । एकरूपता और स्तर निर्धारण के लिए संसद् के सदस्यों की एक समिति बनाई जा सकती है । पर कार्यपालिका को इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

अतः मैं संयुक्त समिति के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करें । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः सभा के सदस्य इसे पारित करने में जल्दबाज़ी से काम न लें ।

**श्रीमती जयश्री** (बम्बई —उपनगर) : हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार शिक्षा की योजना का अभिनवीकरण करने जा रही है । इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यावहारिक हो ताकि विद्यार्थी सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग ले सकें और राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकें । विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच वैसा ही सम्बन्ध होना चाहिए जैसा कि नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में था । चरित्र-निर्माण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए । अधिक से अधिक एकात्मक विद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने चाहिए और उनमें छात्रावास की अच्छी सुविधायें होनी चाहियें ।

[ श्रीमती जयश्री ]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियुक्त करने का मुख्य प्रयोजन शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है । आजकल बहुत से बरसाती विद्यालय खुल गय हैं जिनमें शिक्षा का कोई स्तर नहीं है । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाये और अध्यापकों की आर्थिक स्थिति को भी ऊंचा उठाया जाये क्योंकि इसके बिना चरित्र-निर्माण, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, पूरा नहीं हो सकेगा । अतः मैं अनुदान आयोग से प्रार्थना करूंगी कि वह इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करे ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि विश्व-विद्यालयों की एकरूपता भी आवश्यक है । इस कार्य के लिए कुछ मात्रा में केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है । आजकल देश में अनेक खतरनाक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं और अगर सावधानी न रखी गयी तो राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ जायेगी। अनु-दान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों को ठीक प्रकार संगठित किया जा सकता है । वित्तीय दृष्टि से, सभी साधनों का लाभ उठाया जाना चाहिए । विभिन्न राज्यों में समुचित शिक्षा योजना होनी चाहिए । कुछ विश्वविद्यालय कुछ विशेष विषय लेकर उन्नति करें कुछ गवेषणा कार्य करें । इस प्रकार अनुदान आयोग के द्वारा शिक्षा की समुचित योजना के सहारे देश की एकता की रक्षा हो सकेगी । हमारा देश उन्नति कर रहा है । हमें विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए व्यक्तियों की आव-श्यकता पड़ती है । हमें टेकनिकल व्यक्ति नहीं मिलते । अतः यदि सभी विश्वविद्यालयों में एकरूपता होगी तो यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और इस कार्य को अनुदान आयोग बड़ी सफलतापूर्वक कर सकता है । अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छिन जायेगी । मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जो चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वा-यत्तता की रक्षा की जाय पर चूंकि विश्व-विद्यालय सरकार से कुछ आर्थिक सहायता चाहते हैं अतः उन पर केन्द्र का कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है । और बिना सहायता प्राप्त किये विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में सफलता नहीं मिल सकती ।

मैं सरकार को बधाई देती हूं कि उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया । मुझे आशा है कि यह आयोग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठायेगा और इससे विश्वविद्यालयों को भी लाभ होगा । कुछ नये विश्वविद्यालय हैं जिन्हें पोषण की आवश्यकता है । आशा है, अनुदान आयोग पर्याप्त वित्तीय सहायता द्वारा उन्हें विकसित करेगा ।

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना): सभा-पति महोदय, यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं समझता हूं कि हमारे भारत के महान् विद्वान् शिक्षा मंत्री आज उपस्थित होते और भारत के संविधान ने जो यह बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया है उस का प्रयोग केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से कर रही है उसको विशद करने के लिये यहां आते तो अच्छा होता । बारम्बार सदस्य यहां शिकायत करते हैं कि जब कोई विधेयक सदन के सामने आता है तो उस के बारे में पूरी इन्फार्मेशन सदन के सामने रक्खी नहीं जाती । आज भी मैं देखता हूं कि इस विधेयक में विद्यापीठों के कर्तव्यों में पर्याप्त हस्तक्षेप हो रहा है । जो विद्यापीठ हैं उनकी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिये, उनको क्या मिलना चाहिये, जो परीक्षा होती है उसका परिमाण और स्तर क्या होना चाहिए ; यह विधेयक जो विद्यापीठों का कार्यक्षेत्र है जब उसमें हस्तक्षेप कर रहा है

तब विद्यापीठों के जो उपकुलगुरु हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है यह सरकार के पास है परन्तु इसका श्वेतपत्रक सदस्यों को नहीं दिया गया है। यह कहा जाता है कि हमारे पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के पास पूरी इन्फार्मेशन है और हमारे महान् शिक्षा मंत्री का यहां आना आवश्यक नहीं है हमें व्यक्तियों में कोई भेद नहीं करना चाहिये। मैं यह मानने के लिये तयार भी हूं। विद्यापीठों के विषय में शायद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे महान् विद्वान महामंत्री से भी ज्यादा योग्य हो सकते हैं परन्तु हम यह मानते हैं कि जो पूरा मंत्रिमंडल है वह हमारे प्रति उत्तरदायी है और इस दृष्टि से जब प्रथम बार यूनिवर्सिटी का विधेयक आज सदन के सामने आ रहा है— और मैं समझता हूं कि विद्यापीठों की शिक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होने के कारण शिक्षा विभाग राज्य सरकारों के हाथ में होते हुए भी विद्यापीठों के समन्वयीकरण और उनको क्या आर्थिक मदद देनी है उसका कार्य केन्द्र ने अपने हाथ में रक्खा है——तब शिक्षा मंत्री महोदय का यहां होना आवश्यक है।

मैं यह मानने वाला हूं कि जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है उससे भी किसी सीमा तक ज्यादा महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा और विद्यापीठों का प्रश्न है। भारत सरीखा जो प्रगति की तरफ जाने वाला राष्ट्र है, उसमें आज हम बड़े नये नये कदम उठा रहे हैं, नई नई कल्पनायें आज यहां आ रही हैं। बाकी देशों में हमने देखा है कि जो विद्यापीठ होते हैं वह मूलस्रोत होते हैं जिनसे देश का विकास होता है और इस दृष्टि से अंग्रेजों के आने के पश्चात् भी यदि विद्यापीठों का नया विकास हुआ है तो भी मैं चाहता हूं कि हमारे सभी विद्यापीठ इस देश की आर्थिक, सामाजिक और विचारक प्रगति के लिये एक केन्द्र बनें और उनके प्रयत्न से देश में नये नये विचार प्रवाहों का निर्माण हो, देश का चरित्र निर्माण हो। इस दृष्टि से मैं इन विद्यापीठों को देख रहा हूं और इसी दृष्टि से इस सदन को, इस संसद् को यह बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इसका निश्चय करे कि इस देश में शिक्षा का स्तर क्या हो, उसका परिमाण और स्टैन्डर्ड क्या हो। मैं अपने मित्र श्री गुरुपादस्वामी से पूर्ण सहमत हूं कि यह जो दो कार्य हैं अर्थात् एक तो उनको आर्थिक मदद देना और जिस तरह का उनका परिमाण और स्तर हो उस का डिटर्मिनेशन करना, उसका निश्चय करना यह दो भिन्न कार्य क्षेत्र हैं। यह तो मैं मानता हूं कि युनिवर्सिटी का जो कार्य चलता है उसमें किसी का भी हस्तक्षेप होना बहुत अच्छा नहीं है। परन्तु जिस प्रकार से इस देश में विद्यापीठों का विकास हुआ है उसको देखते हुए भी में यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जिस प्रकार से इंग्लैण्ड में ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी है या केम्ब्रिज युनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी परम्पराओं का निर्माण किया है उस प्रकार की परम्परायें हमारे देश में निर्मित नहीं हुई हैं। इस देश में कलकत्ता युनिवर्सिटी में आशुतोष मुकर्जी के नेतृत्व में, जिन्होंने निर्भीकता से सरकार के साथ युद्ध किया था, शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ परम्पराओं का निर्माण अवश्य हुआ है। कहीं कहीं बरी परम्पराओं का निर्माण भी हुआ है। हमारे केन्द्र का संचालन होने के पश्चात् भी और आर्थिक सहायता देने के पश्चात् भी, मैं जानता हूं, कई साम्प्रदायिक विद्यापीठों में उसी प्रकार से बुरे काम चल रहे हैं, उसके पहले से भी बुरे काम चल रहे हैं, इसके बारे में हमारा अनुभव कोई बड़ा सुखकारक नहीं है। लेकिन उसके पश्चात् भी मैं यह मानता हूं कि थोड़ी थोड़ी भिन्नता होते भी उनके परिमाण का निश्चय करना केन्द्र का काम होना चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक तृतीयांश यूनिवर्सिटी के उपकुलगुरुओं को लीजिये और दो तृतीयांश लोग

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सरकार द्वारा नियुक्त हों । उनके बारे में गवर्नमेन्ट का पहलू तो यह मालूम होता है कि देश में जो बड़े विद्वान् हैं, विज्ञान शास्त्री हैं और अनुभवी लोग हैं उनको लिया जायेगा लेकिन भी गलती हो सकती है इसलिये कोई आदमी अच्छा हो या बुरा हो, उसमें अच्छे स्टैन्डर्ड का आदमी हो या बुरे स्टैन्डर्ड का लेकिन उस को फाइनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरिएन्स जरूर होना चाहिये । लेकिन फाइनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्पीरिएन्स के बहुत से लोगों को रक्खा गया तो वह एक सरकारी बाडी बन जायेगी । जिस प्रकार का स्टेन्डर्ड हम बनाना चाहते हैं उसके लिये और जो ग्रान्ट्स हम देंगे उस के लिये, डिटर्मिनेशन आफ स्टैन्डर्ड के लिये दोनों किस्मों के लोगों को एक जगह इसलिये किया गया है कि पैसे देने हैं लेकिन वहां पर फाइनेन्शियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टस आने के पश्चात् और उनकी मैजारिटी होने के पश्चात् जिस तरह का डिटर्मिनेशन आफ स्टैन्डर्ड हम चाहते हैं उस प्रकार का डिटर्मिनेशन आफ स्टैन्डर्ड बनेगा नहीं । आप के संविधान को स्वीकृत हुए चार वर्ष हुए । अब तक हम अपेक्षा करते रहे कि सरकार की तरफ से कोई नई बात आयेगी । आपको याद होगा जब भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और लोग देश में स्वातन्त्रय यद्ध करने लगे तब पहला आक्षेप विदेशी सरकार पर यह किया गया कि इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसका निर्माण अंग्रेज़ लोगों ने जान बूझ कर इस देश के लोगों को अराष्ट्रीय करने के लिये, इस देश के लोगों का जो जीवन स्वत्व है उसको नष्ट करने के लिये, किया । और इसी के कारण सन् १९०८ ई० में और उसके पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा पर ज़ोर दिया गया । अब हमारी राष्ट्रीय सरकार बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के बारे में, खास कर उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में, इस निश्चित मत का हूं कि जब तक यूनिवर्सिटी में आमूल परिवर्तन नहीं होता है, रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता है, जब तक हम क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात सामने ले कर नहीं आते हैं तब तक इस देश के जीवन स्तर की, इस देश की सामाजिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति नहीं हो सकती है और इस दृष्टि से डिटर्मिनेशन आफ स्टैन्डर्ड के पूर्व हम आशा करते थे कि यह नई सरकार आई है, नया मंत्रिमंडल आया है, शिक्षा के बारे में नया मूल्य हमारे सामने रक्खा जायेगा और डिटर्मिनेशन आफ स्टैन्डर्ड के लिये एक कमीशन पहले नियुक्त किया जायेगा । यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का स्टैन्डर्ड हो इस की रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी और उसके स्वीकृत होने के पश्चात् उस स्टैन्डर्ड के अनुसार सब युनिवर्सिटीज और विद्यापीठ काम कर रहे हैं या नहीं इसके लिये देश के प्रतिष्ठित विद्वानों का एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा । उसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल एक्स्पीरिएन्स के नाम पर किन किन व्यक्तियों को, उसमें रक्खा जाता, इसका मुझे पता नहीं शायद हमारे त्यागी साहब भी उसमें घुस सकते, परन्तु हमें आशा है कि हमारे मिनिस्टर साहब इतनी खराब बात नहीं करेंगे, फिर भी यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार की बातें ही खराबी का कारण हो रही हैं । जैसा मेरे मित्र ने सुझाव दिया है उसके अनुसार पहले काम होना चाहिये । फाइनेन्शियल एड आप किस प्रकार से देंगे साथ ही जब आप आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ करेंगे तो उसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि कहां कितनी कितनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण होता है । आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश यहां पर पूरा छाया हुआ है । आज हम संविधान में भारत की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये थी : "इण्डिया अर्थात् भारत, अर्थात् उत्तर प्रदेश....."

आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत से विद्यापीठ हैं, मैं उत्तर प्रदेश के विद्यापीठों को कम नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं परम्परागत भारत का स्वतन्त्र विद्यापीठ उत्तर प्रदेश में काशी है और हालांकि चाहे सरकार ने उसे मान्यता न दी हो फिर भी इस विद्यापीठ में आप सब पहुंचते हैं। इस प्रदेश में तो हम देखते हैं कि विद्यापीठ के बाद विद्यापीठ बन रहे हैं दो नये विद्यापीठों का और भी निर्माण होने वाला है, परन्तु बहुत से ऐसे प्रान्त हैं जैसे कि मध्य भारत, जहां एक विद्यापीठ खोलने में भी केन्द्र झगड़ा लगा रहा है और गवर्नमेन्ट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहता हूं कि भारत में प्राचीन काल से उज्जैन विद्या का महान् केन्द्र रहा है और वहां एक विद्यापीठ बन सकता है। भारत सरकार को चाहिये कि वह अपना पैसा लगा कर वहां एक महान् विद्यापीठ का निर्माण करे।

बहुत से प्रदेश हैं कि जहां विद्यापीठ नहीं हैं। और भी बहुत छोटे मोटे राज्य हैं जिन राज्यों में विद्यापीठ नहीं हैं। नए नए विद्यापीठ खुलने शुरू हो गए हैं और अब प्रश्न यह उठता है कि उनको केन्द्र की तरफ से सहायता किन तत्वों के अनुसार किस नियमानुसार दी जानी चाहिए इसका भी विचार यहां होना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति बहुत सी बातों पर विचार करेगी और इस बिल में कई त्रुटियां हैं जिन पर इस को विचार करना होगा। मैं इस बिल में एक बात देखता हूं कि धारा १८ का सम्बन्ध एक रिपोर्ट से है। इस में लिखा हुआ है :—

"आयोग वर्ष में दो बार विहित रूप में और विहित समय पर पिछले छः महीने में इस के कार्यों का सच्चे और पूरे वृत्तान्त का प्रतिवेदन देगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेंगी।"

मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो कमीशन ने रिपोर्ट देनी है यह रिपोर्ट और प्रतिवृत्त इस सदन के सामने स्वीकृति के लिए आनी चाहिए। आप जब कोई यूनिवर्सिटी निर्माण करते हैं या यह स्टैंडर्ड डिटरमिन करने वाली बाडी की बात करते हैं तो मैं चाहूंगा उस प्रकार से अकादमी का एक नाम हमारे मौलाना साहिब देना चाहते हैं वैसी अकादमी न हो कोई अच्छा संस्कृत नाम हो। या उसे हम अंग्रेजी का ही नाम दे सकते हैं क्यों कि हमने १५ साल के लिए अंग्रेजी को रखने का फैसला कर रखा है। परन्तु अच्छे नाम की एक केन्द्रीय संस्था का आप स्टैंडर्डस को डिटरमिन करने के लिए निर्माण कर सकते हैं।

**डा० एम० एम० दास** : कोई नाम बतलाइए।

**श्री बी० जी० देशपाडे** : आप इसका नाम भारतीय विद्या संगम, विद्या संगम या और कोई अच्छा नाम रख सकते हैं। विचार करने के बाद में कोई सुन्दर नाम भी आपको बतला सकता हूं।

तो आप बहुत अच्छी श्रेणी की संस्था जिसका काम स्टैंडर्ड डिटर्मिन करना हो, बनाइए। बाकी पैसे देने के लिए एक अलहदा बाडी बनानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पैसे देने के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी होनी चाहिए क्योंकि पैसे देने के बारे में हमने बहुत सी शिकायतें की हैं और देखने में आया है कि आज के विद्यमान मंत्रिमंडल के अन्तर्गत जो पैसे दिए जाते हैं उसमें साम्प्रदायिकता बर्ती जाती है, यह हमारा आक्षेप है। इस दृष्टि से उस पर संसद् का नियन्त्रण हो। बाकी रहा स्टैंडर्डस को डिटर्मिन करने का सवाल, उसके लिये विद्वानों की आप एक कमेटी नियुक्त कर सकते हैं। स्वायत्त संस्था भी आप बना सकते हैं। यह दो सुझाव मैं आपके सामने रखना

[श्री वी० जी० देशपांडे]

चाहता था। बैठने के पूर्व मैं आप से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। आपने यह विधेयक एक समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रिमंडल के जो लोग यहां बैठे हैं उससे तो यह जान पड़ता है कि वे इसविधेयक को कोई खास महत्व नहीं देते। मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके जवाब इस बिल के बारे में आप के पास आए होंगे वे आप हमारे सामने रख सकते हैं ताकि हम यह जान सकें कि उनकी प्रतिक्रिया इस बिल के बारे में क्या है। और उनके दैनिक कारोबार में किस प्रकार का दखल दिया जाता है। यह सब देखने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जाए, इतनी मेरी प्रार्थना है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विश्वविद्याल अनुदान आयोग वास्तव में राधाकृष्णन् आयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्वविद्यालयों के सुधार अथवा विकास की योजना के लिये यह आधार भूत अंग है। संसद् सचिव ने हमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर बैठाये गये कई आयोग का इतिहास विस्तारपूर्वक बताया है किन्तु इन आयोगों तथा समितियों की सिफारिशें कोष की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकीं। इस दृष्टिकोण से लगभग सभी लोग सरकार के इस मन्तव्य का स्वागत करेंगे कि विश्वविद्यालयों के हाथों में समुचित राशि रखी जाय; किन्तु इस में साथ ही यह भय भी लगा रहता है कि कहीं सरकार शिक्षा के प्रभावीकरण तथा स्तरीकरण के नाम पर विश्वविद्यालयों पर प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ न करें। हमें इस बात का भय है कि शिक्षा के मामलों, विशेष कर विश्वविद्यालयों पर सरकार के हस्तक्षेप, से अग्रेतर पतन हो जायेगा। इसलिये आधारभूत प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालयों को समुचित कोष उपलब्ध किया जायेगा ; मैं अपने मित्र श्री गुरुपादस्वामी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य केवल अनुदान का वितरण करना है। क्योंकि अनुदान का वितरण करते समय भी कई दूसरे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इस लिये विश्वविद्यालय आयोग को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। वास्तव में, खंड २० एक घातक खंड है, जिस में कहा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार कार्य करने में नीति के प्रश्नों पर आयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार चलेगा। आयोग को शिक्षा मंत्रालय की सूक्ष्म नीतियों के प्रतिकूल जाने का भी अधिकार होना चाहिये। निस्सन्देह यह संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों तथा आयोजना की अवहेलना नहीं कर सकता किन्तु कई बातों में आयोग का शिक्षा मंत्रालय से मतभेद भी हो सकता है। इसलिये इस आयोग पर विचार करते समय इसके गठन के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह स्वतन्त्र निकाय हो, न कि शिक्षा मंत्रालय का अंग मात्र। हमारा मत है कि आयोग सरकार से नितान्त स्वतन्त्र हो। सरकार दो व्यक्तियों को शिक्षा अथवा वित्त मंत्रालय से नियुक्त कर सकती है किन्तु अधिकांश सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि कालेजों के आचार्य तथा विद्वान् लोग होने चाहियें। मेरे मत में यह आवश्यक है कि उनमें से अधिकांश चुनाव सिद्धान्तों द्वारा आयें। उदाहरणार्थ दो संसद् द्वारा चुने गये विद्वान्, पांच कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से चुने गये अध्यापक हों जिससे कि इसे विश्व विद्यालयों का सहयोग तथा विश्वास प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम चाहते हैं कि आपकी सत्ता स्वतन्त्र हो।

हम एक दूसरी बात पर भी जोर देना चाहते हैं वह यह है कि आयोग की सिफारिशें तथा प्रतिवेदन संसद् को उपलब्ध हो सकें।

क्योंकि संसद् को वश्वविद्यालयों तथा ऊंची शिक्षा का स्तर निश्चित करने तथा उसके समन्वय करने का अधिकार प्राप्त है अतः आयोग संसद् को अपनी सिफारिशें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिससे संसद् को ज्ञात हो जाय कि एक विशेष सिफारिश क्यों और किस कारण से की गई है; वे सिफारिशें अभिलिखित भी की जा सकतीं हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय की शिक्षा के विकास में भी सहायता प्राप्त होगी।

एक दूसरी बात जिससे लोग घबराते हैं यह है कि विश्वविद्यालय शब्द का सीमित अर्थ बना दिया गया है ? इस स्तर को ठीक करने के तर्क के अन्तर्गत संसद् सचिव ने इस दिशा में प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कई विश्वविद्यालय बनते जा रहे हैं। भारत में कुल ३१ विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश में यह संख्या बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती। प्रश्न यह है कि इन ३१ विश्वविद्यालयों का स्तर किस प्रकार निश्चित किया जाय। हमें इस पर विचार करना है किन्तु अधिकांश विश्व विद्यालय आर्थिक अभाव का सामना कर रहे हैं तथा वे सज्जा सामग्री, इत्यादि की कमी की शिकायत करते हैं, किन्तु हम वित्तीय सहायता करने के बजाय उन पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। भारत में चार प्रकार के विश्वविद्यालय हैं: पहिला, एकात्मक प्रकार के, दूसरे संघीय प्रकार के, तीसरे अध्यापन तथा सम्बद्ध करने वाले, औथे और अन्तिम केवल सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय। सारे देश में १३७ अंगभूत कालेज तथा ५५८ सम्बद्ध कालेज हैं। विश्वविद्यालयों में लगी हुई कुल संख्या ३९,६७,४५ है तथा सम्बद्ध कालेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ३०,३१,१३ है। इन्हीं सम्बद्ध कालेजों को सर्वाधिक सहायता की आवश्यकता है। किन्तु हम इस विधेयक में इन सम्बद्ध कालेजों को तो छोड़ ही रहे हैं; यदि संसद् सचिव यह विश्वास दिलायें कि ये सभी सम्बद्ध कालेज भी इस विधेयक की सीमा के अन्तर्गत आ जाते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इस कदम का स्वागत करने को प्रस्तुत हूं किन्तु जहां तक मैं समझ सकी हूं इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत भ्रांति है।

इसलिये प्रवर समिति से यह प्रार्थना करेंगे कि वह 'विश्वविद्यालय' शब्द के अन्तर्गत इन सारे कालेजों को भी सम्मिलित करे। यदि सरकार वास्तव में योजना के सम्बन्ध में गम्भीर है तो उसे इन सभी संस्थाओं को इस विधेयक की सीमा से अलग नहीं करना चाहिये।

**सभापति महोदय** : खंड ३ के अधीन विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य संस्थायें भी सम्मिलित की जाने वाली हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : निस्सन्देह हम अन्य टेकनिकल संस्थाओं को भी इससे सम्मिलित करने का समर्थन करते हैं।

तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समन्वय, आयोजन तथा संविलयन के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिये। इस प्रकार की भावना है कि यह तरकीब विश्वविद्यालयों के स्वतन्त्र वातावरण को अवरुद्ध कर देगी; उदाहरणस्वरूप 'स्तर का निश्चय करना' एक संदिग्ध शब्द है जो कि घातक भी सिद्ध हो सकता है। संविधि में ऐसे शब्द नहीं रहने चाहियें इसलिये हम यह अनुभव करते हैं कि प्रवर समिति को इस आयोग के कार्यों को सीमित करने की आवश्यकता है। मैं उनमें से कुछ स्पष्ट करूंगी।

सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विस्तार के प्रश्न को लेना चाहिये, न कि प्रतिबन्ध के। उनका पहिला उद्देश्य वित्तीय तथा दूसरी सहायता द्वारा उनका सुधार अथवा वद्धि करना है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

द्वितीय, विश्वविद्यालयों में गवेषणा कार्य की सुविधाओं का समन्वय होना चाहिये।

तीसरे, परीक्षओं में प्राप्ति का एक निम्नतम स्तर होना चाहिये। हम देखते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक स्नातक आगरा विश्वविद्यालय से भिन्न होता है। इसके साथ ही अध्यापकों तथा कर्मचारियों के न्यूनतम जीवनस्तर का निश्चय होना चाहिये।

अब मैं खंड १४ की ओर निर्देश करूंगी। यह दंडात्मक है। कम-से-कम हमें शिक्षा में दंडात्मक तरकीबें दूर रखनी चाहियें। कमीशन तथा विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध आदरपूर्ण होना चाहिये, न कि पुलिस का अपराधी के प्रति जैसा।

अन्त में, मैं अनुभव करती हूं कि यदि नियंत्रण अथवा दंडात्मक तरकीबें प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति दी जाय तो केवल वह विशेष मद जिस पर अनुदान दिया गया हो निलम्बित की जा सकती है।

संयक्त समिति को आयोग के वित्तीय पहलू, तथा आयोग के गठन के सम्बन्ध में विचार करना है कि वे प्रजातंत्रीय तरीके से उसे कैसे निर्मित कर सकते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि यह बिल्कुल स्वतन्त्र तथा संघ लोक सेवा आयोग की तरह का हो न कि सरकार की प्रतिलिपिमात्र। यह देश के शिक्षाविदों की प्रतिच्छाया हो, न कि सरकार का उपांग मात्र। मैं पुनः कहती हूं कि खंड २० और २१ घातक सिद्ध हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत कराना चाहती हूं।

**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : मैं विधेयक का सामान्य रूप से समर्थन करता हूं, परन्तु इतने पर भी मैं यह अवश्य कहूंगा कि देश की शिक्षा प्रणाली अधिकांश रूप में अव्यवस्थित है। यद्यपि उच्चतम शिक्षा से लेकर निम्नतम शिक्षा की प्रणाली को व्यवस्थित करने के निमित्त अनेकों आयोग तथा समतियां नियुक्त किये गये हैं तथापि यह खेद का विषय है कि अभी तक शिक्षा का कोई राष्ट्रीय रूप निर्धारित नहीं किया जा सका है। यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता है तो पंच वर्षीय योजनाओं की समस्त प्राप्तियों से भी कोई लाभ न होगा। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नवयुवक तथा युवतियां अपने सांस्कारिक आधार को खोकर यह जाने बिना ही प्रत्येक नारे के शिकार हो जाते हैं कि उनके राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं और कार्यवाहियों में उनका तथा शिक्षा का क्या स्थान है। सम्भव है कि आयोग विभिन्न सूत्रों से अधिक धन प्राप्त करके विभिन्न विश्वविद्यालयों को समानता के आधार पर वितरित कर सके परन्तु जब तक यह अधिक स्वतन्त्र होकर देश में शिक्षा प्रणाली का पथ-प्रदर्शन नहीं करता तब तक यह केवल सचिवालय तथा शिक्षा मंत्रालय का एक रूप में विस्तारमात्र होगा।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

आयोग के लिए इसके अतिरिक्त, मैं यह भी अति आवश्यक समझता हूं कि उसके सदस्य सुविख्यात शिक्षा शास्त्री हों। विधेयक के अनुसार आयोग में दो सरकारी पदाधिकारी भी होंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जैसा कि विधेयक में कहा गया है, अन्य व्यक्तियों को शिक्षा शास्त्री होने के साथ प्रशासन और वित्त सम्बन्धी मामलों का भी अनुभव हो, यदि हम ऐसे व्यक्तियों को आयोग में सम्मिलित करते हैं वे इससे आयोग के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। मैं प्रवर समिति से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान

दे कि आयोग में आधिक्य विश्वविद्यालय के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का हो।

यह सर्वविदित है कि हमारे हाई स्कूलों में आवश्यक सामान नहीं होता, स्थान भी अनुचित, और अपर्याप्त होता है और शिक्षक भी कम होते हैं। सभी अध्यापक सुशिक्षित नहीं होते। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बड़ी बड़ी सिफारिशें की हैं और सरकार भी उन्हें कार्यान्वित करने के लिए दत्तचित्त है, परन्तु सिफारिशों में या इस दिशा में हुए सरकारी कार्यपद्धति में समस्या को छूआ तक नहीं गया है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश की जनता से होना चाहिये ताकि उनकी दशा को सुधारा जा सके। तीक्षण बुद्धि वाले थोड़े से स्नातक तैयार करके कोई भी देश उच्च नहीं बन सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जनसमुदाय की परिस्थिति में सुधार करना होगा। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह भी आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों को सर्वोत्तम रूप में प्रयोग में लाया जाय। परन्तु शिक्षा मंत्रालय में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक बात के लिए अनुदान दिये जाते हैं। मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ता है कि इस प्रकार धन का अपव्यय किया जाता है। अतः इसके पूर्व कि हम अपनी आय का बड़ा भाग विश्वविद्यालयों को दें। हमे यह देखना अवश्य है कि शिक्षा पद्धति को प्रारम्भ से ही सुस्थिर बनाया जाय। प्रारम्भिक शिक्षा अनेकों स्थानों में थोथी हो चुकी हैं; यहां तक कि मध्यम शिक्षा के बारे में प्रत्येक राज्य स्वयं अपना एक आयोग नियुक्त करती है और प्रारम्भिक अवस्था में तथा बीच की अवस्था में कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में भी कोई समन्वय नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय को वही ख्याति प्राप्त हो जो कभी उनकी थी, और यह भी चाहते हैं कि वे सर्व प्रकार के ज्ञान के केन्द्र हों। परन्तु विश्वविद्यालय की शिक्षा अनुवादों के सहारे चलती रहती है और यह बढ़ती है प्रारम्भ से शिक्षा को सुस्थिर बनाने से और प्रत्येक स्तर पर शिक्षा में सुधार करने से। ऐसा होने से हमारी जनशक्ति का विनाश न होगा और नवयुवकों को विश्वविद्यालयों से निकलने पर निराशा का मुंह न देखना होगा।

**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं। विधेयक का नाम पढ़ने से किसी भी व्यक्ति के मन में इस प्रकार का विचार हो सकता है कि यह केवल एक अनुदान आयोग है और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षालयों में स्तरों को समन्वित तथा निर्धारित करने या वैज्ञानिक तथा टेक्निकल केन्द्रों में गवेषणा में सहायता देने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ऐसा विचार करना ठीक नहीं है। आज हमें भारत में अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो तक्षशिला और नालन्दा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के समान हों, जहां विद्यार्थियों और अध्यापकों का सम्बन्ध एक व्यक्तिगत बात थी। ऐसा सम्बन्ध उस समय तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि विश्वविद्यालय एकात्मक न हों। आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी संस्थाओं की स्थापना के लिए धनराशियों पर ध्यान दे। देश के कल्याण और प्रगति के लिए नवयुवकों में बार-बार उत्साह का संचार करना चाहिये क्योंकि देश का भविष्य उन पर निर्भर है। यह कार्य केवल अध्यापकों द्वारा ही हो सकता है, इसका बोध पुस्तकों से नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त, आजकल यह अत्यावश्यक है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा इस प्रकार की हो जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को शिक्षा-समाप्ति पर कोई काम-धंधा

[श्रीमती इला पालचौधरी]

मिल सके । आजकल की शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप विद्यार्थियों में अत्यधिक निराशा की लहर फैल गई है और मुझे इसमें भी सन्देह है कि मंत्रालय को इसकी अनुभूति होती है या नहीं फिर, सभा-सचिव ने तीन बातों—समन्वय का अभाव, धन का अभाव और उपयुक्त व्यक्तियों का अभाव—का उल्लेख किया था । इन सारे अभावों का कारण यह है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय चतुर्मुखी बनना चाहता है । इससे काम नहीं चल सकता । विशेष विषयों के लिए विशेष विश्वविद्यालय होने चाहियें । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक दिये जाने वाले धन का उचित उपयोग नहीं होता ।

मैं माननीय महिला सदस्य के इस मत से सहमत हूं कि खण्ड २ (६) में विश्वविद्यालय का जो विवरण दिया है वह अधिक विस्तृत होना चाहिये । सम्बद्ध कालिजों को उस विवरण में सम्मिलित न करना वास्तव में इस विधेयक द्वारा होने वाले नाम के लिए हानिकारक है । यदि ये कालिज दिये जाने वाले अनुदानों के क्षेत्र में नहीं आते तो हम उस लाभ की पर्याप्त मात्रा से वंचित हो जायेंगे जो इस विधेयक से हो सकता है । अतः ये कालिज इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आने ही चाहियें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि विश्वविद्यालयों में प्रत्येक प्रकार के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये । इसके साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि को भी नहीं भूल जाना चाहिये और इसके लिए पृथक् विश्वविद्यालय खोले जाने चाहियें ।

**श्री नन्द लाल शर्मा** (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो यूनिवर्सिटी ग्रांट आयोग का विधेयक आया है यह मेरे मन में थोड़ी सी निराशा और थोड़ा सा हर्ष लाता है । खेद इसलिए कि सम्भवतः हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मेरी भाषा को पूर्णतया समझ सकेंगे और जिन सचिव महोदय ने इस विधेयक को उपस्थित किया है वह भी हिन्दी से इतने परिचित न होने के कारण मेरी भाषा को समझने में कष्ट का अनुभव करेंगे ।

थोड़ा सा भय मुझे इस बात का भी है कि आजकल अधिकतर शिक्षा का अर्थ अंग्रेजी शिक्षा समझा जाता है । मैं इस विषय को इस सदन के सामने कुछ भारतीय दृष्टिकोण से उपस्थित करना चाहता हूं । एक समय था कि पृथ्वी के सारे मनुष्य यहां के विद्वानों के पास बैठकर अपनी अपनी संस्कृति का अध्ययन करते थे ।

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन :
स्वं स्वं स्वचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा :

परन्तु आज हम दूसरों के इतने मुखापेक्षी हो गये हैं कि जो काम भी लेते हैं उसमें दूसरे की नकल करने में अपना गौरव समझते हैं । हम यह नहीं समझते कि यह हमारी संस्कृति के ही कारण है कि आज विश्व हमारा सम्मान करता है । आज भारत वर्ष का सम्मान चाहे हमारे प्रधान मंत्री के नाम से होता हो चाहे श्री गांधी जी के नाम से होता हो, या चाहे किसी दूसरे के नाम से होता हो, लेकिन वह इसी कारण होता है कि वे किसी न किसी रूप में भारतीय संस्कृति का प्रतीक उपस्थित करते हैं । यदि वे भारतीय संस्कृति से विरुद्ध जायं तो उनका अपना मूल्य नष्ट हो जाता है और वे दूसरे को किसी प्रकार से आकर्षित नहीं कर सकते । मैं निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष में शिक्षा का क्या आदर्श रहा है । केवल रोटी पैदा करना या कपड़ा पैदा करना यहां की शिक्षा का ध्येय नहीं रहा । आजकल तो हमने मनुष्य को कुत्ते की तरह केवल रोटी की शिक्षा देकर रोटी के पीछे उसे बांध दिया

है। भारतवर्ष में शिक्षा का लक्ष्य केवल रोटी पैदा करना ही नहीं रहा बल्कि अपनी संस्कृति के स्वरूप को जानना और मोक्ष प्राप्त करना यहां की शिक्षा का मुख्य ध्येय रहा है। "विधाहिका ब्रह्मगति प्रदाया"—

**श्री विभूति मिश्र** :(सारन व चम्पारन) : पंचतंत्र में क्या लिखा है ?

**श्री नन्द लाल शर्मा** : सुन लीजिये। आपको तो पंचतंत्र ही सब कुछ दिखायी देता है। वही आपको सबसे बड़ा आदर्श ग्रंथ दिखायी देता है।

रोटी केवल शरीर को बचाने के लिये है। इसके ऊपर उठ जाना भारत की शिक्षा सिखाती रही है। यहां के विश्वविद्यालयों में एक राजा का पुत्र और एक भिखारी एक जगह जाकर पढ़ते थे। न कृष्ण को अपने पैसे के कारण कोई विशेष सुविधा थी और न सुदामा को अपनी दरिद्रता के कारण कोई भय था। दोनों बराबर पढ़ते थे। उनको २५ वर्ष तक एक कौड़ी खर्च करने का कोई भाव नहीं था। आज आपकी शिक्षा पद्धति इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी किसी प्रकार से भी ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। जो मरने के बाद तक अनन्तकाल तक आनन्द को देने वाली है और जो मोक्ष को देने वाली है हमारे यहां उसको शिक्षा कहा गया है, उसको विद्या कहा गया है। यदि आप इस चीटियों से प्राप्त इकानामिक्स को और मकड़ी से प्राप्त इंजीनियरिंग-शास्त्र को लेकर इसी के ऊपर मनुष्य शास्त्र को समाप्त कर दें और रेडियो से और समाचार पत्र जैसी दूसरी चीजों से सम्बन्धित ज्ञान को विद्या मान लें तो यह पूर्ण विद्या नहीं होंगी। बिना गुरु के वास्तविक विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और वह गुरु कैसा होना चाहिए ? वह ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी शिक्षा को स्वयं व्यवहार में लाकर दिखावे। हमारे यहां कभी शिक्षा को राज्य के अधीन नहीं रखा गया। हो सकता है कि आज राम का राज्य हो, कल रावण का राज्य हो, परसों सिकन्दर का राज्य हो और उसके बाद औरंगजेब का राज्य हो। तो हम किस किस के विचार के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति को बदलते फिरेंगे। इसलिए हमने कभी अपनी शिक्षा को राज्य के अधीन नहीं रखा। यदि शासन के अधीन शिक्षा को रखा जायगा तो जो शासक आयेगा वह उसको बदलेगा, अपनी पुस्तकें बनावेगा और उनका प्रचार करेगा। यदि ऐसा होगा तो हमारी संस्कृति कहां रहेगी ? वह कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जायगी। इसी लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा को शासन के आधीन न रखा जाय। आप आज इंजीनियरिंग की मैडीकल साइंस की और वार मैटीरियल प्रोड्यूस करने की विद्या सिखाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि संसद् के सदस्यों को भी इस बात का खेद होता होगा कि हमारी संस्कृति के जितने भी शिक्षणालय हैं वे सारे के सारे नष्ट होते जाते हैं। इस युग में व्यक्तिगत सहायता देने वाले नहीं रहे। राजे महाराजे नहीं रहे, धनी मानियों का व्यापार नष्ट हो गया है। उनके द्वारा अकेले काशी में ३५० शिक्षण संस्थाय चलती थी वे आज नष्ट होती जाती हैं। डा० मंगलदेव और दूसरे लोगों ने आज शिक्षा पद्धिति में ऐसा डाइल्यूशन पैदा कर दिया है कि विद्यार्थी थोड़ी संस्कृत भी पढ़े, थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़े, यानी जैक आफ आल ट्रेड्स एंड मास्टर आफ नन हो जाय। इस प्रकार संस्कृत की किसी भी विद्या का कोई विद्वान नहीं बन सकता है।

अभी समारी बहिन ने नालन्दा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों का नाम लिया। परन्तु केवल नालन्दा और तक्षशिला ही नहीं उनके पूर्व पश्चात् जितने भी विश्वविद्यालय भारत में रहे वे कभी भी राजा के मुखा-

[श्री नन्द लाल शर्मा]

पेक्ष नहीं रहे । अगर कभी राजा भी विद्यार्थियों में जाता था तो अपने राज चिन्ह उतार कर जाता था इस विचार से कि विद्यार्थियों पर उसकी तड़क भड़क का प्रभाव न पड़े । आज आप कहते हैं कि विद्यार्थियों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अनुशासन भंग हो रहा है इसका कारण क्या है ! इसका कारण यह है कि आज आपके प्रोफेसर को इस बात का ध्यान नहीं है कि जो शब्द वह विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उनका उसके जीवन से भी कोई सम्बन्ध है या नहीं । वह आज ऐकेडेमिक रीति से फिलासफी पढ़ाते हैं । वह आज एरिस्टोटल्, प्लेटो और सात्रेटीज़ की एकेडमी की शिक्षा दें अथवा मायावाद में जगत के मिथ्यात्व की फिलासफी लड़कों को पढ़ाते हैं और एक मिनिट बाद जाकर होटलों में मौज करते हैं । जो शिक्षा वे देते हैं उसका उनके जीवन के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है । वे यह नहीं समझते कि इस शास्त्र के साथ मेरे जीवन का कोई सम्बन्ध है या नहीं ।

उसका फल यह हुआ कि आज विद्यार्थियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है । जब अध्यापक पर विद्या का कोई प्रभाव दष्टिगोचर नहीं होता तो भला विद्यार्थी के ऊपर विद्या का क्या प्रभाव हो सकता है ? बुक्स लिखी जाती हैं, उन पर नोट्स लिखे जाते हैं और कुछ सेट क्वेश्चन दे दिये जाते हैं और विद्यार्थी परीक्षा में उतीर्ण हो जाता है । इस बिल की २२,२३ और २४ धाराओं में जो नियम दिये गये हैं और दफा २४ में जो पैनाल्टी का क्लाज़ है और जिस में कहा गया है कि जो धारा २२ और २३ का उल्लंघन करेगा उसको दंड दिया जायगा. इसमें दंड देने की व्यवस्था रक्खी गयी है । इन धाराओं के अनुसार हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को 'यूनिवर्सिटी' के नाम से नहीं पुकार सकते । आज हम लोग अखिल-भारतीय धर्म संघ महाविद्यालय दिल्ली में चला रहे हैं, कलकत्ते में, काशी में,वृन्दावन में और नरवर में उसकी शाखायें हैं और मैं बड़े से बड़े विद्वान् से कहता हूं कि वहां जाकर देखें कि किस तरह शिक्षा का कार्य चल रहा है और मैं जानता हूं कि उनके प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है । और कितने ऊंचे और विद्वतायुक्त स्नातक निकाले हैं और ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, हरद्वार का निकला हुआ ब्रह्मचारी कितना योग्य और पंडित होता है, यह आप स्वयं उससे सामना होने पर अनुभव कर सकते हैं । अभी हमारे यहां एक ब्रह्मचारी शास्त्रीय द्वितीय खंड में पढ़ता था, उसने पंजाब से गोल्ड मेडेल प्राप्त किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास लिया और काशी के क्वीन्स कालिज की परीक्षा में फर्स्ट क्लास रहा और आचार्य की परीक्षा में भी वह विद्यार्थी बैठा और वहां भी फर्स्ट क्लास उसने प्राप्त किया । आज सरकार की ओर से हमारी इन शिक्षण संस्थाओं को कोई सहायता नहीं मिलती, उस परिस्थिति में भी हम लोग उन शिक्षण संस्थाओं को अपने ढंग और संस्कृति के आधार पर चला रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया विद्यार्थी वहां से निकले हैं । अब विद्या के अन्दर उसकी योग्यता के अन्दर यह जो आपने बंधन लगा दिया है कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा तो उसको इस नियम के उल्लंघन के लिए एक हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा, यह कहां तक ठीक और उचित है । आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा के स्वातन्त्र्य को बिल्कुल नष्ट न होने दें । मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि वह इस बात को सोचें कि भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति एक बहुत गम्भीर चीज़ है और मैं यहां जो अपने विचार और सुझाव रख रहा हूं वह

कोई शिक्षा देने के लिए नहीं रख रहा हूं। यहां शिक्षा क्षेत्र के एक से एक बड़े विद्वान् लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वे मेरे सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैं तो अपना खेद और दुःख प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपने जो हमारे वास्तविक शिक्षणालय थे उनको मटियामेट कर दिया। और उसी का नतीजा है कि आज वाचस्पति मिश्र और शंकर का जन्म नहीं हो सकता, अ। हम बच्चा झा और शिव कुमार शास्त्री को पैदा नहीं कर सकते और जिस तरह से निरन्तर हमारी शिक्षा के क्षेत्र में ह्रास होता जा रहा है उससे तो मालूम पड़ता है कि कुछ दिनों के बाद मधुसूदन झा, गिरधर शर्मा और अनन्त कृष्ण शास्त्री जैसे विद्वान् आपको नहीं मिलेंगे। दिन पर दिन हमारा स्तर गिरता जा रहा है और कम होते होते एक दिन वह शीघ्र ही आने वाला है जब वह ज़ीरो हो जायगा। आप कृपा करके भारतवर्ष की शिक्षा पर दया करें, भारतवर्ष की संस्कृति पर दया करें। आज इस प्रवर समिति में जो बनेगी इसमें संस्कृत के कितने विद्वान् हैं, मैं उनका इस कमेटी में सर्वथा अभाव पाता हूं। आप अपनी संस्कृति और संस्कृत की डींग तो बहुत हांकते हैं लेकिन एक भी व्यक्ति इस कमेटी में ऐसा नहीं रक्खा जो संस्कृत का विद्वान् हो और संस्कृति की दृष्टि से इस को देखने का प्रयत्न करने वाला हो। मैं कमेटी के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस दृष्टि से इस समस्या को देखें और सर्वथा भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश न होने पाये, इसका प्रयत्न करें मैं आपको बतलाऊं कि हमारी उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट से रेक्गनाइज़्ड नहीं है, महामहोपाध्याय की डिग्री ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्राप्त कर चुके थे। इस समय वह पंजाब में जालंधर में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलिज प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहे हैं। हम जो इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहे हैं उसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति और धर्म नीति तो अवश्य है। हम जानते हैं कि आप हम को किन किन बातों में रोकना चाहते हैं, किस किस रूप में हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते हैं अतः मैं आप से निवेदन करता हूं कि हम अपने आपको किसी तरह से चुप करके अपने घर में भूखे प्यासे रह कर भी अपना जीवन चलाना चाहते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि औरंगज़ेब के शासन काल में भी जब कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा था, हमारे लोगों ने अपने पेट फाड़ फाड़ कर वेदादि ग्रंथों को अपने पेट में छिपा कर रक्खा था, तो आज जबकि हमारा देश स्वतन्त्र है हम अपनी शिक्षा पद्धति को जीवित न रख सकें, इससे बढ़ कर दुःख और खेद की बात और क्या हो सकती है। ऐसा न हो कि एक दिन ऐसा आये जब हमें यह कहना पड़े कि भारतवर्ष का शिक्षा मंत्रालय भारतवर्ष की अपनी संस्कृति और शिक्षा का गला घोटने में एक कारण बना था, निमित्त बना था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन धाराओं को अच्छी तरह से देखें। यहां पर बड़े बड़े विद्वान् बैठे हैं, विश्वविद्यालयों के संचालन करने वाले हमारे श्री श्यामनन्दन सहाय और शास्त्री जी सरीखे पंडित बैठे हुए हैं, मेरे समीप ही एक बड़े शिक्षा शास्त्री बैठे हुए हैं, मैं उन सब महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भली प्रकार से इस समस्या पर ध्यान दें। अगर हमारे पास पैसा सुलभ हो तो हम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर दें, और यह भी आप को बतला दूं कि भारतवर्ष के बाद अगर शिक्षा पद्धति को किसी ने ऊंचे से ऊंचे ढंग से चलाया है तो जर्मन ने चलाया है, वैसे गप्प तो कोई भी हांक सकता है, ब्रिटेन भी दावा कर सकता है और फ्रांसभी कर सकता है। जर्मनी में किसी समय में अध्यापक अपनी सोसाइटी का एक दरिद्रतम अंग माना जाता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था, तब अध्यापक पैसे को मुख्य वस्तु नहीं मानते थे और आज भी हमारी

[ श्री नन्द लाल शर्मा ]

अपनी शिक्षा पद्धति में कहीं पढ़ाई की फ़ीस या प्राइवेट ट्यूशन फ़ीस का सवाल नहीं उठता। अध्यापक शिष्य को अपने पुत्र समान मान कर अपनी रोटी खिला कर उसको विद्या देता है और हमारा आदर्श यह रहा है :

शिष्यादिच्छेत्य सजयम्

सारे जगत् को विद्या बल से जीत कर और शिष्य से जो हार जाय वह अध्यापक ऊंचे दर्जे का अध्यापक है, यह आदर्श आपके यहां रहा नहीं और आप पाश्चात्य ढंग की जिस शिक्षा पद्धति से चकाचौंध हो रहे हैं आपने उसके बल पर भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब भी आप अपने ऊपर, समाज और भारतीय संस्कृति के ऊपर दया करें और उसको जीवित रहने दें और इस बिल में इस तरह के जो गला घोंटने वाले अंश हैं वह उसमें से हटा दें। शिक्षण संस्थाओं का नियमन करना और उनका भली भांति संचालन करना ठीक है परन्तु यह कि सरकार के अधीन सब शिक्षा संस्थायें हो जायं और जैसे सरकार चाहे वैसे नाच नाचें, यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। सब दिन बराबर और एक समान नहीं होते, आज आपके पास गवर्नमेंट है हो सकता है कि कल किसी दूसरे हाथ में शासन सत्ता हो और परसों किसी तीसरे के हाथ में हुकूमत की बागडोर चली जाय और निरन्तर इन संस्थाओं का बदलते जाने वाली हुकूमतों के इशारे पर उनका मनचाहा नाच नाचते जाना शिक्षा के हित में और समाज के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको भारत को जीवित रखना है तो आपको शिक्षा को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना होगा और सरकार को केवल एक सहायक के रूप में इस तरह से सलाह देना चाहिये ताकि किसी किस्म की उसमें ख़राबी न होने पाये और उसमें भारतीय दृष्टिकोण का विशेष ध्यान रक्खें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : भारत में विश्वविद्यालय तथा उसके काम की दो प्रणालियां हैं। यदि सरकार का उद्देश्य शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का है तो यह विधेयक इस दिशा में प्रथम प्रयास है। यदि राष्ट्रीयकरण उद्देश्य नहीं है तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली भी मिली जुली होनी चाहिए जिस प्रकार अर्थ नीति मिली जुली हुआ करती है। जनतन्त्रात्मक देश में हमने देखा है कि शिक्षा की मिली-जुली प्रणाली सुचलित रही है। गैर सरकारी संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है और यूरोप तथा अमरीका में इन्होंने शिक्षा को पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया है। मेरा ख्याल है कि इस विधेयक का उद्देश्य भी वही है जो शिक्षा मंत्रालय का है और इस प्रकार यह मंत्रालय का ही विस्तारीकरण है। परन्तु इससे विश्वविद्यालयों की शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा और न ही कार्य कुशलता का कोई मानक निर्धारित होगा।

कहा जाता है कि विधेयक का उद्देश्य केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके शिक्षा को सुव्यवस्थित बनाना है। परन्तु विधेयक अनुदान की देख भाल करना चाहता है और इतना ही नहीं अपितु विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करना चाहता है। जनतन्त्रात्मक देश में हम इस एकाधिकार से कहां तक सहमत हो सकते हैं। इस विषय में प्रो० राधाकृष्णन का मत है कि विश्वविद्यालय के उत्तम कार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वतन्त्र हो। आधि अनुदान भी इस रूप में दिये जा सकते हैं कि जिससे विश्वविद्यालय के आत्म सम्मान पर आंच न आये। श्रीमान्, इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम मद्रास, बम्बई

जैसे स्वतन्त्र विश्वविद्यालयों द्वारा ही दिखाया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों के लिए हितकारी होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक है।

धारा २० और २१ प्रायः विश्वविद्यालयों की क्रिया के बारे में नियम व अनियम निर्धारित करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में तीन उपकुलपति, दो सरकारी सदस्य और चार मान्य शिक्षा शास्त्री हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि उनका प्रवरण कैसे होगा और सभापति चुनने का क्या सिद्धान्त है तथा कौन सभापति होगा। इसके अतिरिक्त, हम इस विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर व्यय करने के लिए संसद् की स्वीकृति चाहते हैं। परन्तु क्या हम इस आयोग के स्थान पर एक विशेषज्ञ समिति बना कर, जो बनाये जाने वाले नियमों व अनियमों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, और उसके प्रतिवेदन पर संसद् की स्वीकृति प्राप्त करके पुनः उसे राज्यों द्वारा कार्यान्वित कराये, इस पर होने वाले व्यय को नहीं बचा सकते? मैं महसूस करती हूं कि इस विधेयक में शिक्षा के प्रश्न पर गलत दृष्टि से विचार किया गया है। जब तक हम मध्यम शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करते और प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य नहीं बनाते तब तक हम विश्वविद्यालय-शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते।

यदि सरकार राष्ट्रीय आय का पर्याप्त भाग शिक्षा के लिए पृथक् कर देती तो इस विधेयक का मान किया जाता। रूस में राष्ट्रीय आय का साठ या उससे अधिक प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाता है। अमरीका और इंगलैंड में भी शिक्षा पर पर्याप्त व्यय किया जाता है। परन्तु हमने भारत में क्या किया है? हमने केवल लगभग दो प्रतिशत या इससे कुछ अधिक शिक्षा में लगाया है। शैक्षिक प्रगति के लिए इस सहायता में आप एक ऐसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति के लिए विधेयक कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस विधेयक को पारित करने के पूर्व वह प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ आधार पर पुनः संगठन करने की योजनाओं पर विचार करे। और तत्पश्चात् इस विधेयक को पारित करे ताकि हमारे भावी भारत में उन्नति हो।

**श्री एस० एन० दास:** (दरभंगा--मध्य): सभापति जी, यह विधेयक जो संसदीय मंत्री जी ने इस सभा के सम्मुख रखा है स्वागत करने की चीज़ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में जिसके सम्बन्ध में लगभग ५ वर्ष पहले जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन आज के हमारे उप-राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी थी और जिसने अनेक सिफारिशों के साथ एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी की थी कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया जाए, यह विधेयक इतनी देर से लाया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार को इतने वर्ष क्यों लग गए। आज जो विधेयक अभी आया है उसे पढ़ने से सचमुच मुझे तो यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियुक्त करने का बिल उसी आधार पर बनाया गया है जैसी कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने सिफारिश की थी या उससे कुछ दूसरी चीज़ है। हमारा खयाल है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने एक खास काम के लिए इस तरह के आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की थी लेकिन आज जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया गया है और मुझे शक होता है कि जो काम इस कमीशन के सुपुर्द किये जा रहे हैं और जैसी बनावट इस विधेयक के ज़रिये उस कमीशन की होने वाली है और जो जो अधिकार

[ श्री एस० एन० दास ]

इस कमीशन को मिलने वाले हैं या जो जो कर्तव्य इस को सौंपे जाने वाले हैं उन सब का सम्पादन यह प्रस्तावित आयोग ठीक तरह से कर सकता है या नहीं कर सकता है । इस प्रस्ताव को रखते हुए संसदीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार की इच्छा थी कि एक दूसरा विधेयक उन अतिरिक्त अधिकारों के सम्बन्ध में जो कि संविधान के जरिये केन्द्रीय सरकार को मिले हैं जैसे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करना और उन के कामों में समन्वयता का स्तर को कायम रखना, लाया जाय । इसके साथ साथ यह भी उसका काम है कि केन्द्र से इन विश्वविद्यालयों को उनके विभिन्न कामों के लिए आर्थिक सहायता कैसे दी जाय । जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा, और मेरा भी खयाल यही है, कि दो तरह की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और इस सदन पर आती है । विश्वविद्यालयों का स्तर कैसा हो, उसको कैसे ऊंचा किया जाए, परीक्षा और शिक्षण की पद्धति ऊंचे दर्जे की हो, इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कैसे व्यक्ति हों, इन सब बातों की जांच करने के लिए मैं समझता हूं कि विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों की ज़रूरत है । विश्वविद्यालयों के काम का समन्वय करने के लिए, कौन से विश्वविद्यालयों में किस विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध हो, कहां कहां कौन कौन अनुसंधान काम हो और किस तरह हो, इन कामों का निर्णय करने का, उस विश्वविद्यालय के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रगति के लिए, किस तरह के वित्त की आवश्यकता है, इसका निर्णय करने के लिए दूसरी तरह के आदमियों की ज़रूरत है । ड्यूटीज़ आफ दी कमीशन के बारे में, यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में १९वीं धारा में कहा है :

> कि हमने इस आयोग के ज़िम्मे और काम लगाने की बात के गुणा-वगुणों पर विचार किया है और यह निश्चय किया है कि और काम उसे न सौंपे जायं ।

इसके मानी स्पष्ट हैं कि उसकी सिफारिश का अर्थ यह है कि उसके खयाल में एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो सिर्फ विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सरकारी विभागों की तरफ से जो देर होती है और जिसके कारण उस विश्वविद्यालय का काम भली प्रकार नहीं चल सकता, उनका जल्दी निपटारा कर सके ।

उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता के लिए जांच पड़ताल करने के बाद शिक्षा मंत्रालय जो प्रस्ताव पेश करता है वह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के यहां जाता है और वह भी जांचने की कोशिश करता है कि दरअसल यह जो योजना पेश की गई है यह हर दृष्टि से ठीक है या नहीं । इस प्रकार वित्त मंत्रालय में भी उसके सम्बन्ध में निर्णय करने में बहुत वक्त लग जाता है और जो विश्वविद्यालय की स्कीम होती है उसको कार्यान्वित करने में बहुत समय लग जाता है । इन त्रुटियों को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने यह निर्णय किया कि एक ऐसा कमीशन नियुक्त किया जाए जो आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद या आर्थिक अनुदान विश्वविद्यालयों के विभिन्न कामों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना है उसका वह निपटारा जल्दी कर सके । परन्तु अभी जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है उसके प्रिएम्बल में उसके कार्य का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है ।

यहां पर यूनिवर्सिटीज़ को आर्थिक सहायता देने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है । यह ठीक है कि संविधान के आर्टिकल ६६ के अनुसार शिक्षा में सुधार आदि करने के सम्बन्ध

में केन्द्र को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु इस विधेयक में बहुत सी बातें रख दी गई हैं। जहां तक हमारी तुच्छ बुद्धि काम करती है हमारे खयाल में संविधान के अनुसार स्तर निर्णय या स्तर कायम करने के लिए एक अलहदा कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए था और आर्थिक कार्य को करने के लिए एक अलहदा। विश्वविद्यालयों की शिक्षा की पद्धति में, परीक्षा की पद्धति में और विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में, जिनका कि शिक्षा के सुधार के कामों से सम्बन्ध है, सुधार करने के लिए विद्वानों का एक अलग कमीशन बनाया जाता तो हमारे खयाल से ज्यादा उचित होता। इसलिए मैं प्रवर समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अब भी इस बात पर विचार करें कि विश्वविद्यालयों के लिये वित्त का प्रबन्ध और उनमें प्रचलित शिक्षा स्तर के नियंत्रण के लिए प्रस्तावित एक आयोग रखना कहां तक ठीक होगा।

आगे चल कर इसमें कठिनाई पैदा होगी। इस आयोग के संगठन के लिए जो धारा दी गयी है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वे मेम्बर किस तरह के होंगे।

यह स्पष्ट है कि ग्रांट्स कमीशन के कुछ सदस्यों का वाइस चांसलरों में से चुनाव होगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वाइस चांसलरो की नियुक्ति के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बहुत सी यूनीवर्सिटियों ने अभी तक नहीं माना है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में इस सिफारिश का विरोध चल रहा है। हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें इसलिए इस सिफारिश को मंजूर नहीं करतीं कि उनका हक चला जायगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा पद्धति का निर्णय करने के लिए और परीक्षा पद्धति का निर्माण करने के लिए जो शिक्षा शास्त्री हैं या मनोविज्ञान शास्त्री हैं वे अधिक उपयुक्त होंगे बनिस्बत उनके जो कि सिर्फ वैत्तिक विषयों का अनुभव रखते हैं।

इस धारा के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि कम से कम दो सदस्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से, उसके प्रतिनिधियों के रूप में चुने जायेंगे। इसका यह मतलब है कि चूंकि सरकार पैसा देती है, इसलिये उसके दो प्रतिनिधि रहने चाहिएं। तो इस आयोग में दो सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। इससे मालूम होता है कि जो संगठन आप बनाने जा रहे हैं उस पर सरकार को पूरा विश्वास नहीं है। इसमें यह नहीं दिया गया है कि इस आयोग में कैसे अफसर रहेंगे। सरकार को स्वतन्त्रता है कि वह किसी भी अफसर की नियुक्ति कर दे। हो सकता है कि उनको सीनयारिटी के आधार पर रखा जाय। हो सकता है कि कोई अफसर सीनियर हो पर योग्य न हो। इस तरह के मेम्बर बोर्ड के कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं कर सकेंगे।

हमारा जहां तक ख्याल है कि जब मेम्बरों की नियुक्ति का समय आवेगा तो जो तीन उपकुलपति हैं वे शिक्षा के विशेषज्ञ समझे जायेंगे। जो सरकारी अफसर हैं उनको किस आधार पर रखा जायगा यह इसमें नहीं दिया गया है। सरकार जिसको चाहे रख सकेगी। लेकिन तीसरे में कहा गया है कि ऐसे आदमी जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शल मैटर्स का अनुभव हो। मैं यह समझ सकता हूं कि जहां तक रुपया देने का सवाल है वहां-तक तो ऐसे अफसरों की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह निर्णय करने में कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति कैसी हो, या परीक्षा पद्धति कैसी हो, इसका निर्णय करने में प्रशासनिक अनुभव की कोई विशेष जरूरत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का नियमन करना दूसरी बात है और शासन चलाना दूसरी बात है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस कमीशन के

[श्री एस० एन० दास]

दो अलग अलग विभाग होने चाहियें। अगर एक बिल से ही ये दोनों काम होने हैं तो इस कमीशन के दो विभिन्न तरीके के कामों को चलाने के लिये दो पृथक्, विभाग कर दिये जायं। एक विभाग आर्थिक अनुदान देने का संगठन होना चाहिए, और जहां तक शिक्षा के स्तर को कायम रखने का सम्बन्ध है इसका निर्णय करने के लिए दूसरा विभाग होना चाहिए। दोनों का काम अलग अलग बता देना चाहिए।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुयीं]

एक बात और यहां कही गयी है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इस विषय में दो दृष्टिकोण हैं। एक यह कि विश्वविद्यालय के शासन में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और दूसरा है कि नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है उसको अंग्रेज़ों ने कायम किया था और आज तक हम उस विरासत को ढो रहे हैं, और जैसा कि हमारे श्री लिंगम ने कहा कि बड़े बड़े विशेषज्ञों के भाषण होते हैं कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है उसे बदलना चाहिए, लेकिन न तो केन्द्रीय सरकार ने और न राज्य सरकारों ने और न किसी विश्वविद्यालय ने किसी नई शिक्षा पद्धति का निर्माण किया है। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आयी है कि जिसको कहा जाय कि यह हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन है। इस शिक्षा पद्धति की वजह से हमारा देश गुलाम रहा और हमें अपनी आजादी प्राप्त करने में भी इसके कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस लिये हमें दूसरी शिक्षा पद्धति तो चलानी ही है। अब अगर हमें अपनी शिक्षा का आदर्श कहीं ढूंढना है तो हमें उस को अपने संविधान में ढूंढना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो उस प्रकार के समाज के निर्माण में सहायक हो सके जिसकी कि हमने कल्पना की है। हमने अपने संविधान में जो मूलभूत सिद्धान्त रखे हैं उनके आधार पर हमको अपने समाज का निर्माण करना है। हम को वह शिक्षा पद्धति निर्माण करनी चाहिए जो कि हम को उस समाज के निर्माण में सहायता दे सके।

इसके अतिरिक्त मेरा यह सुझाव भी है कि हमारे देश के लिए जहां कि जलवायु की, रहन सहन की और दूसरी चीज़ों की इतनी विभिन्नता है, केवल एक प्रकार की ही शिक्षा पद्धति सब के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। इस देश में एक तरह की शिक्षा पद्धति तो वही चलावेगा जिसको मनोविज्ञान का या देश की दशा का ज्ञान न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी केन्द्रीय संस्था द्वारा हिन्दुस्तान जैसे देश में शिक्षा पद्धति का नियंत्रण और नियमन ठीक नहीं होगा। इसका विरोध हर एक आदमी को करना चाहिए। हम लोगों ने शान्ति मय क्रान्ति द्वारा इस देश की सरकार का स्थान लिया है, और हमने अपने सामने एक नये समाज का आदर्श रखा है। हमको अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा उस आदर्श की पूर्ति करनी है। हमने अपने देश को सर्वसत्ता सम्पन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया है और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सब के लिए समान रूप से उपलब्ध करने का संकल्प किया है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज ३६ करोड़ जनता में से हमारे देश में केवल ६ करोड़ ही ऐसे हैं जो लिख पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा प्रयोग हम अपने देश में करने जा रहे हैं जिसमें हमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव का प्रसार करना चाहिये। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा देश हिन्दुस्तान विश्व बन्धुत्व कायम करने में अग्रसर रहे।

हमने अपने देश की जनता के हाथों में तमाम निर्वाचित संस्थाओं के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखा है । ऐसी दशा में अगर हम उनको अज्ञान के अंधकार में रखें तो यह हमारे लिए बहुत लज्जा की बात होगी । इसलिये जहां हम आज विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, हम इस बात को कभी अपने दिल से नहीं हटा सकते हैं कि करोड़ों जनता को शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित कर उन्हें योग्य नागरिक बनाना है । राष्ट्र का निर्माण ऊपर से नहीं हुआ करता है, राष्ट्र का निर्माण नीचे से होता है । नीचे नींव अगर कमज़ोर हो, नीचे नींव पक्की न हो और ऊपर बड़ा महल खड़ा किया जाय जिसमें नक्काशी और फूल पत्ती का काफ़ी काम किया जाय तो ऐसी इमारत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है । इस सम्बन्ध में हम शिक्षा मंत्री का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यदि सचमुच में यह सरकार चाहती है कि जो प्रजातांत्रिक गणतंत्र हमने क़ायम किया है, वह सफल रहे और जो समाज व्यवस्था का आदर्श हमने अपने सामने रक्खा है वह जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो तो यूनिवर्सिटी शिक्षा का नियमन और उनको आर्थिक सहायता देने के साथ साथ हमें देश की जो करोड़ों जनता अभी भी अपने कर्तव्य और अधिकार की भावनाओं से वंचित है उसको जल्द से जल्द उस योग्य बनाना है ।

लेकिन अभी वह विषय नहीं है, अभी जो विषय हमारे सामने है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालयों में जो दिन प्रति दिन के काम हैं, शिक्षा के सम्बन्ध में, परीक्षा के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के जो विभिन्न अंग होते हैं जैसे सीनेट, सिंडीकेट और फ़ैकलटीज़ की जो अलग अलग कमेटियां होती हैं उन सब कमेटियों के काम में न तो राज्य की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और न केन्द्र की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये । जो हम नियमन करने जा रहे हैं इसे हम हस्तक्षेप नहीं कहते क्योंकि हमें एक नये समाज की रचना करनी है और राष्ट्र ने ऐसा समाज स्थापित करने की ज़िम्मेदारी ली है इसलिए अंग्रेज़ी राज्य के समय में जितनी यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई और अभी भी जो यूनिवर्सिटियों की स्थापना हो रही है, उनके संचालकों के सामने हमको बराबर एक आदर्श रखना है कि हमारे इस राष्ट्र का क्या उद्देश्य है, किस तरह के समाज की हम रचना करना चाहते हैं और सभानेत्री महोदया, इस बात को मानना पड़ेगा कि चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइये, विज्ञान के क्षेत्र में जाइये, टैक्निकल विभाग में जाइये, प्रशासनिक विभाग में जाइये कहीं भी जाइये जब तक हमारे देश में ये करोड़ों भाई अशिक्षित हैं और जब तक वह अपने प्रजातांत्रिक अधिकार और कर्त्तव्यों के ज्ञान से वंचित हैं तब तक अगर कोई उन आदर्शों की रक्षा करने वाले हैं तो वह यही हमारे यूनिवर्सिटियों के तरुण भाई हैं । उनकी शिक्षा दीक्षा अगर ठीक से न हो तो इस बात का पूरा खतरा है कि जब तक हमारे यह ३६ करोड़ लोग कर्त्तव्य और अधिकार के ज्ञान से युक्त हो सकेंगे और जागृत होंगे तब तक हमारा प्रजातन्त्र का जो ढांचा है वह ढह सकता है । इस दृष्टि से हम ज़रूरी समझते हैं कि हम यहां केन्द्र में एक ऐसी समिति का निर्माण करें जो इस आदर्श को सामने रखते हुए विश्वविद्यालयों के काम में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए विश्वविद्यालय को रास्ता बतावे, उनके कामों में समन्वय लावे और तब आर्थिक सहायता देते हुए उनके सर्वाङ्गीन विकास में सहायक हो । सभानेत्री जी, अभी इस आयोग की आवश्यकता पांच, छै वर्ष के बाद महसूस की गई है कि इस तरह का आयोग बनाना चाहिए यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि हमारे विश्वविद्यालयों की वर्तमान अवस्था क्या है ।

[श्री एस० एन० दास]

बहुत से विश्वविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से चलाये जाते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है और वह इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका न स्टैन्डर्ड अच्छा है, न जिनकी कार्य प्रणाली अच्छी है और न उनके अध्यापक अच्छे हैं और उनके यहां जो शिक्षा सम्बन्धी सामान इत्यादि है वह भी नीचे दर्जे का है, विद्यार्थियों का विकास मानसिक और शारीरिक दृष्टि से नहीं हो पाता है । इस सम्बन्ध में आवश्यकताएं जो बताई गई थीं कि विश्वविद्यालयों में क्या क्या कमी हैं, किस वजह से हमारे देश में उच्च शिक्षा का जो आदर्श है वह पूरा नहीं हो पाता है, उस उच्च शिक्षा के आदर्श को सहायता देने के लिए केन्द्र की सरकार की सहायता की ज़रूरत है । यह बात सही है कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का जो काम है वह राज्य सरकार के अन्तर्गत है लेकिन राज्य सरकारों की आर्थिक अवस्था आप जानते हैं कि कैसी हैं । राज्य की सरकार के ऊपर जो बुनियादी तालीम का काम है वह भी सब काम पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर विश्वविद्यालय का सारा भार उन राज्यों पर छोड़ दिया जाय, तो यह काम होने वाला नहीं है । इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह का आयोग बना कर जो आवश्यक चीज़ें हों उनकी पूर्ति के लिये काम किया जाय ।

अब मैं कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । विधेयक की क्लाज़ तीन में बतलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार जो अभी आयोग बनाने वाली है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की राय से और गजट में नोटीफिकेशन करके किसी भी ऊंची शिक्षा की संस्था को यूनिवर्सिटी घोषित कर सकती है । इस सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार सिफारिश करे और यह काम अन्तिम रूप में पार्लियामेंट द्वारा पूरा किया जाय । संविधान के सातवें शेड्यूल के अन्दर जो सूची दी गयी है और जिन विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र को, संसद् को कानून बनाने का हक़ है उस सूची में विश्वविद्यालयों के स्तर का निर्माण या उसकी रक्षा एक है । यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाने का हक सम्बन्धित राज्य की सरकार को या इस संसद् को है, इसलिए मेरी राय है कि इसका इस तरह से संशोधन किया जाय ताकि अन्तिम निर्णय करने का अधिकार संसद् को हो . . . .

**श्री अलगू राय शास्त्री** (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : क्या करेगी सभा ?

**श्री एस० एन० दास** : सभा क्या करेगी । मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्मारक के सम्बन्ध में विधान में ही दिया गया है, जो राष्ट्रीय स्मारक सारे देश में फैला हुआ है उसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे उनका निर्णय केन्द्रीय पार्लियामेंट विधि द्वारा करेगी, केन्द्र की सरकार आख़िर हमसे कोई भिन्न नहीं है लेकिन एक बाज़ाब्ता क़ानूनी मंज़ूरी के लिए अगर वह चीज़ संसद् में आये तो सारे संसद् के सदस्य जिनके ऊपर यह ज़िम्मेदारी है, वे देख सकेंगे कि जो सिफारिश सरकार की ओर से की जा रही है, वह सचमुच मंजूर करने योग्य है या नहीं ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि वाइस चांसलर जो इस आयोग के सदस्य होंगे उनका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सरकार पर हो, इसमें मुझे कोई उज्र नहीं है लेकिन हमारा ख़याल है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं या उनकी अगर कोई संगठित संस्था हो तो उस संस्था की इस सम्बन्ध में राय ली जाय और उस के सम्बन्ध में उन से कुछ नाम मांगें जायें, मैं

समझता हूं कि वह मुनासिब होगा, इस तरह का समावेश इस विधेयक में होना चाहिए।

तीसरे क्लाज़ ६ के सम्बन्ध में मेरा ख़याल है कि जो सेवा के नियम और शर्तें (टर्म्स एन्ड कंडीशंस आफ़ सर्विस आफ़ मेम्बर्स) रक्खी गयी हैं वे कुछ स्पष्ट नहीं मालूम होतीं और उस क्लाज़ के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी शिक्षा कमीशन ने जो सुझाव रक्खा है उसकी तरफ मैं उस संयुक्त प्रवर समिति का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके सामने यह विधेयक जाने वाला है, कमीशन के सुझाव को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस तरह की ज़िम्मेदारी इस आयोग को हम देने वाले हैं, मैं समझता हूं कि उस ज़िम्मेदारी के साथ साथ हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन्स आफ सर्विस में इस तरह बदलाव करें जिससे समय समय पर हम उनके काम में अनुचित दखल न दे सकें और वह अपना काम स्वतंत्रता-पूर्वक निर्भयता के साथ कर सकें। इस लिये जो सुझाव यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग ने दिया है उसके सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि उसका इस बिल में समावेश कर दिया जाय।

जहां तक मेरा खयाल है यह जो धारा २० है उसमें कहा गया है कि जहां तक नीति का ताल्लुक है उस पर सरकार का पूरा अधिकार होगा। लेकिन यह साफ़ नहीं मालूम होता है कि नीति में किस प्रकार की बातें होगी। अगर आयोग में और सरकारी अधिकारियों में इस बात पर कोई मतभेद होगा कि कौनसा विषय नीति से सम्बन्ध रखता है तो उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में सरकारी निर्णय ठीक समझा जायेगा। अच्छा तो यह होगा कि कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका शिक्षा पद्धति से ताल्लुक है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय करें और सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, परीक्षा पद्धति कैसी हो इसका निर्णय हो जाय तो इस में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस लिये इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनका अधिकार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। अगर यह स्पष्टीकरण कर दिया जाय तो बात समझ में आ सकती है।

एक धारा २२ है जिस में कहा गया है कि पदवी देने का या उपाधि देने का जो अधिकार है वह उसी यूनिवर्सिटी को रहेगा जिसकी व्याख्या इस में दी गई है और उसी संस्था को रहेगा जिस संस्था को सरकार बाजाब्ता यूनिवर्सिटी घोषित करेगी। अब इसमें सवाल यह है कि अभी तक हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो सरकारी तौर पर नहीं बनी हुई हैं, उनके द्वारा स्वेच्छा से संगठन करके और जिन को शिक्षा से प्रेम है और जिन में दानशीलता है उनके प्रयत्न से बहुत सी संस्थायें पुराने जमाने से शिक्षा प्रदान कर विभिन्न प्रकार की पदवी और प्रमाणपत्र देती आ रही हैं। इस धारा को स्वीकार करने के बाद इन संस्थाओं का क्या स्थान रहेगा, क्या वह किसी तरह की परीक्षा ले सकती हैं या कोई पदवी दे सकती हैं या नहीं, मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ा शक है। जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन है, गुरुकुल कांगड़ी है काशी विद्यापीठ है, यह स्वतन्त्र संस्थायें सरकार से सहायता नहीं लेती हैं, यह पदवी दान करती हैं, यह अपनी शिक्षा पद्धति रक्खे हुए हैं, इन संस्थाओं का क्या होगा? मैं समझता हूं कि इस पर पूरा विचार करके तब इस धारा को रखना चाहिये। यह जो धारा है उससे स्पष्ट नहीं मालूम होता कि उसमें सरकार का क्या उद्देश्य है। मैं इस बात को मानता हूं कि जैसी तैसी संस्थाओं को जिनके कोई

[श्री एस० एन० दास]

साधन नहीं हैं, जिन में कोई विद्वान् आदमी नहीं हैं, जिन्हें शिक्षा से कोई प्रेम नहीं है, पदवी देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जो अच्छी संस्थायें हैं वे सभी सरकारी नियंत्रण में आ जायें तभी वे पदवी दान कर सकें, यह उनके लिये अच्छा नहीं मालूम होता है। इसलिये इस धारा पर फिर से विचार करना चाहिये। और अदल बदल करना चाहिये जिस में कि कुछ स्वतन्त्र संस्थायें चलाने का अधिकार भी लोगों को रहे।

अन्त में मैं फिर इस विधेयक का जो सभा के सामने है, समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो दो प्रकार के काम मैंने बतलाये हैं उन दोनों प्रकार के कामों को अलग अलग विधेयकों द्वारा किया जाना चाहिये और उनके लिये अलग अलग आयोगों की स्थापना की जाय तो अति उत्तम है और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये जो जो सुझाव यूनिवर्सिटी कमीशन ने देश के सामने रक्खे थे वह सब इनके द्वारा पूरे होने चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री एस० एस० मोरे** : मैंने चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना है, किन्तु मैं देखता हूं कि अनेक वक्ताओं ने इस मामले का केवल शिक्षा सम्बन्धी पहलू लिया है। उन्होंने इसके सामाजिक पहलू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रधान मंत्री का कथन है कि समाज का समाजवादी ढंग पर निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। बहुत से लोगों ने इस पर ज़ोर दिया है कि आर्थिक विषमतायें दूर कर दी जायें। किन्तु समाज का समाजवादी ढंग पर निर्माण करने के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। हमें आर्थिक विषमतायें को दूर करने के साथ साथ शिक्षा सम्बन्धी असमता को भी दूर करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। वस्तुतः, मैं यह मानता हूं कि यह काम एक दम नहीं हो सकता। हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति का कोई सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। हम एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाना चाहते हैं। अधिकांश वक्ताओं ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा अगस्त, १९४९ में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की सफारिशों का उल्लेख किया है। किन्तु उस प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि उसमें ब्रिटिश काल की नौकरशाही प्रवृत्ति का ही अनुकरण किया गया है। संविधान के लागू होने से देश के समक्ष एक नवीन सामाजिक दृष्टिकोण आ गया है और ब्रिटिश काल की वह प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है।

इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रयोजन विश्वविद्यालयों के स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय करना है। राधाकृष्णन आयोग ने स्वयं यह बताया है, कि हम जड़ीभूत एकरूपता नहीं लाना चाहते। भारत एक विस्तृत देश है। प्रत्येक राज्य की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं और शिक्षा का विकास प्रत्येक राज्य में एक सा नहीं है। अतः विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्य का समन्वय करते समय वहां प्रचलित सामाजिक दशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण उपस्थित करता हूं। पूना में गैर सरकारी तौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह प्रशंसनीय है। स्वर्गीय श्री गोखले और तिलक ने अपने सार्वजनिक जीवन गैर सरकारी संस्थाओं में ही प्रारम्भ की थी। उन्होंने जो स्तर स्थापित किया, वह अंग्रेज़ों के लिये भी अनुकरणीय था। शिक्षा चेतन है और लोगों की आकांक्षाओं और सामाजिक दशाओं से सम्बद्ध है। इसको जड़ीभूत एकरूपता देने का अर्थ इसको निर्जीव बनाना है, तथा इसके विकास को रोकना है। महाराष्ट्र के सारे

विश्वविद्यालय और कालेज नगरों में हैं। बम्बई में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि मध्यम वर्ग के लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। ग्रामीण जनता का तो कहना ही क्या ? इस प्रकार सामाजिक विषमता बढ़ती जाती है। शिक्षा थोड़े से धनी व्यक्तियों तथा बड़े बड़े पदाधिकारियों का व्यसन रह गया है। इन्हीं के पुत्र और पुत्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं और बड़े बड़े पद प्राप्त करने में सफल होती हैं। किसान वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग आर्थिक संघर्ष में ही पिस कर रह जाते हैं। अतः, मेरा कहना है कि केवल स्तर निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है। आयोग को लोगों की सामाजिक अवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी शिक्षा संस्थायें चल रही हैं, उनकी उपयोगिता को यहां पर निर्धारित कुछ स्तरों अथवा नगर की दशाओं को सामने रख कर नहीं किया जा सकता। वस्तुतः, हमें देखना यह है कि श्रमिकों और निम्न स्तर के समाज को कितना लाभ हो रहा है। आयोग को विश्वविद्यालयों और कालेजों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखना चाहिये और अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक गठन के समक्ष रख कर ही स्तर को निर्धारित करना चाहिए।

मैं किसी आदर्शवादी योजना का सुझाव नहीं दे रहा हूं। ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण लेता हूं। वहां के प्रशासकों ने अब यह समझ लिया है कि यदि अब श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग को सारी सुविधायें प्रदान नहीं की गईं तो विद्रोह हो जायेगा और अराजकता फैल जायेगी। वे अब धन की अधिकांश मात्रा इन वर्गों की शिक्षा के लिये ही व्यय कर रहे हैं और चाहते हैं कि सामाजिक असमतायें दूर हो जायें।

१९४९–५० में इंगलैण्ड में ७३ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अथवा छात्रवृत्ति लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहां प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, यहां तक कि माध्यमिक शिक्षा भी कुछ सीमा तक निःशुल्क और अनिवार्य है। किन्तु अपने यहां के विद्यार्थियों को ऐसी सुविधायें बहुत कम प्राप्त हैं। अतः, स्वभावतः इंगलैण्ड में विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों की संख्या यहां से कहीं अधिक है।

कुछ राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का यत्न कर रहे हैं किन्तु मेरे राज्य में तो शुल्क इत्यादि में वृद्धि करके शिक्षा और भी दुरुह बना दी गई है। कालेजों को अपने से सम्बद्ध करने के लिये विश्वविद्यालय जो एक विशेष स्तर की मांग करते हैं, उससे उन कालेजों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मूल मान्यता देने के लिये विश्वविद्यालय पहले ४० या ६० हजार रुपया जमा करने को कहते हैं। इसके पश्चात् भवन सम्बन्धी स्तर रखे जाते हैं। जिस देश के अधिकांश व्यक्ति गरीब हैं, और झोंपड़ों में रहते हैं, वहां पर इन स्तरों को कायम करने से निर्धन संस्थाओं की क्या दशा होगी, इसका प्रत्येक व्यक्ति सरलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है। गरीबों और श्रमिकों की शिक्षा में रुचि रखने वाले किसी संस्था के खोलने के लिये जो धन इकट्ठा करते हैं, वह ईंट और सीमेन्ट खरीदने में ही व्यय हो जाता है। जब उपकरण का सवाल आता है, तो उसके जुटाने के लिये उनके पास तनिक भी धन नहीं रहता और विद्यार्थी बिना उपकरण के ही उन भवनों में बैठते हैं। विदेशों का चित्र अपने समक्ष रखने वाले शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ हमारी शिक्षा संस्थाओं के ऊपर भी वे ही बातें लागू करना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि स्थानीय परिस्थितियां क्या हैं और देश कितना गरीब है। परिणाम यह होता है कि शिक्षा के विस्तार में बाधा पड़ती है।

अतः, इस प्रकार के आयोग को बनाते समय हमें इस बात पर विचार कर लेना

[श्री एस० एस० मोरे]

चाहिए कि क्या बिना उचित अनुदेशों के यह उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस आयोग का सामाजिक उद्देश्य बतायें।

इस विधेयक के अध्याय ३ में इस कमीशन के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख है। मैं चाहता हूं कि हम इस विधेयक में एक ऐसा खण्ड औरजोड़ दें,जो कि इस विधान का सामाजिक उद्देश्य बताये और विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय करते समय अनुदान आयोग जिसका ध्यान रखे।

इन सब बातों के अतिरिक्त मैं इस विधेयक को संविधान की दृष्टि से वैध नहीं मानता। संविधान की सातवीं अनुसूची प्रविष्टि २२ सूची २ के अनुसार सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २४ के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा का विषय पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। प्रविष्टि ६३ सूची १ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य कोई ऐसी संस्था, जो संसद् द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई है, का उल्लेख है। प्रविष्टि ६४ वैज्ञानिक अथवा प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का उल्लेख करती है। प्रविष्टि ६५ संघ अभिकरणों और संस्थाओं के बारे में है। प्रविष्टि ६६ उच्च शिक्षा अथवा गवेषणा सम्बन्धी संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और प्राविधिक संस्थाओं के निर्धारण तथा समन्वय के सम्बन्ध में है।

इस विधेयक का उद्देश्य स्तरों के निर्धारण और समन्वय के सम्बन्ध में उपबन्ध करना बताया गया है। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि "स्तरों के निर्धारण और समन्वय" शब्दों का क्या अर्थ लिया गया है। मैं इस बात को इस लिये उठा रहा हूं, क्योंकि इस विषय पर केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों में प्राधिकार सम्बन्धी विवाद पैदा हो सकता है मान लिया जाये कि यह अनुदान आयोग कुछ ऐ अनुदेश जारी करता है, जो स्तरों के समन्वय, तथा निर्धारण के क्षेत्र का प्रतिक्रमण करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि राज्य सरकारें आयोग के उन अनुदेशों को मानने से इंकार कर देंगी और वह मामला अनेक न्यायालयों में चलेगा और फिर अन्तिम निर्णय के लिये उच्चतम न्यायालय में जायेगा। कभी भी राज्य में दूसरा दल शक्ति में आ सकता है जिसका सिद्धान्त केन्द्र में शक्ति सम्पन्न दल से पूर्णतः भिन्न है। ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में विवाद उत्पन्न होने की बहुत कुछ संभावना रहेगी। खण्ड २० के अनुसार नीति निर्धारण का काम केन्द्रीय सरकार का है, अतः आयोग को केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों को ही मानना पड़ेगा। यद्यपि यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को परामर्श दे सकता है, किन्तु जहां तक राज्य सरकारों का विषय है, उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

**श्री एस० एस० मोरे** : मैं थोड़ा समय और लेना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी करें।

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २३ फरवरी, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**